



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
राज्य के वित्त



हिमाचल प्रदेश सरकार
प्रतिवेदन संख्या 4 वर्ष 2016

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

राज्य के वित्त

हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रतिवेदन संख्या 4 वर्ष 2016

अनुक्रमणिका		
विषय	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना	-	v
कार्यकारी सारांश	-	vii
अध्याय-I: राज्य सरकार के वित्त		
परिचय	1.1	1
राज्य के संसाधन	1.2	5
राजस्व प्राप्तियां	1.3	7
पूंजीगत प्राप्तियां	1.4	11
लोक लेखा प्राप्तियां	1.5	13
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.6	13
व्यय की गुणवत्ता	1.7	17
सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	19
परिसम्पत्तियां एवं देयताएं	1.9	24
ऋण प्रबंधन	1.10	27
राजकोषीय असंतुलन	1.11	29
राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.12	32
निष्कर्ष	1.13	33
संस्तुतियां	1.14	34
अध्याय-II: वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
परिचय	2.1	35
विनियोजन लेखे का सारांश	2.2	35
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	36
व्यक्तिगत निक्षेप लेखों का परिचालन	2.4	41
चयनित अनुदान की समीक्षा का परिणाम	2.5	41
कोषों के निरीक्षण के परिणाम	2.6	43
निष्कर्ष	2.7	44
संस्तुतियां	2.8	44
अध्याय-III: वित्तीय विवरण		
प्रयुक्त प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.1	45
स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने तथा पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधान सभा के समक्ष रखने में विलम्ब	3.2	46
प्रदत्त अनुदानों/ऋणों के ब्यौरे का अप्रस्तुतीकरण	3.3	46
दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि	3.4	47
अस्थायी अग्रिम का असमायोजन	3.5	48
निष्कर्ष	3.6	48
संस्तुतियां	3.7	49

परिशिष्ट

परिशिष्ट संख्या	शीर्षक	परिच्छेद	पृष्ठ
परिशिष्ट-1	राज्य रूपरेखा		
	क: सामान्य आंकड़े	1.1	51
	ख: वित्तीय आंकड़े	1.1	51
परिशिष्ट-1.1	भाग-क: सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप	-	52
	भाग-ख: वित्त लेखे की रूपरेखा	-	53
परिशिष्ट-1.2	भाग-क: राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्यपद्धति	-	55
	भाग-ख: राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा संशोधित)	-	57
परिशिष्ट-1.3	राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े	1.3, 1.6.1, 1.9.2 तथा 1.11.3	58
परिशिष्ट-1.4	भाग-क: वर्ष 2015-16 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	1.1.1	61
	भाग-ख: 31 मार्च 2016 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति	1.1.1 तथा 1.9.1	64
परिशिष्ट-1.5	लिंग बजटीकरण	1.1.4	66
परिशिष्ट-1.6	2014-15 एवं 2015-16 के दौरान कार्यक्रम/स्कीमों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियों को दर्शाने वाली विवरणी	1.2.2	68
परिशिष्ट-1.7	31 मई 2016 तक अद्यतन अंतिम रूप से तैयार लेखानुसार निवेश पर प्रतिफल हेतु प्रदत्त शेयर पूंजी का राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	1.8.2.2	70
परिशिष्ट-1.8	हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों की लोक-निजी भागीदारी परियोजनाओं की प्रास्थिति	1.8.2.3	71
परिशिष्ट-2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों जिनमें अधिक व्यय प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था, की विवरणी	2.3.1	72
परिशिष्ट-2.2	विगत वर्षों के प्रावधानों पर आधिक्य जो नियमन के लिए अपेक्षित है	2.3.1.1	73
परिशिष्ट-2.3	वर्ष 2015-16 के दौरान प्रावधानों पर आधिक्य जो नियमन के लिए अपेक्षित है	2.3.1.1	74
परिशिष्ट-2.4	वर्ष 2015-16 के दौरान प्रावधानरहित व्यय	2.3.1.3	75
परिशिष्ट-2.5	मामले जहां अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए	2.3.1.4	76
परिशिष्ट-2.6	विभिन्न अनुदानों की विवरणी जहां अनुपूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए	2.3.1.4	77
परिशिष्ट-2.7	निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	2.3.2	78

परिशिष्ट संख्या	शीर्षक	परिच्छेद	पृष्ठ
परिशिष्ट-2.8	व्यय का तीव्र प्रवाह	2.3.3	79
परिशिष्ट-2.9	विभिन्न अनुदान जहां बचत प्रत्येक में ₹ एक करोड़ के अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी का विवरण	2.3.4	80
परिशिष्ट-2.10	क: वर्ष 2015-16 के दौरान किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी	2.3.4.2	81
परिशिष्ट-2.11	ख: वर्ष के दौरान शत-प्रतिशत अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी	2.3.4.2	83
परिशिष्ट-2.12	31 मार्च 2016 को ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों के अभ्यर्पण को दर्शाती विवरणी	2.3.4.2	86
परिशिष्ट-2.13	31 मार्च 2016 को व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में अव्ययित शेष दर्शाने वाली विवरणी	2.4	87
परिशिष्ट-2.14	पुनर्विनियोजन के माध्यम से अत्यधिक बजट प्रावधान का आहरण	2.5.2, 2.5.3 व 2.5.4	89
परिशिष्ट-3.1	31 मार्च 2016 को बकाया पड़े प्रयुक्त प्रमाण पत्र	3.1	90
परिशिष्ट-3.2	स्वायत्त निकायों का निष्पादन दर्शाने वाली विवरणी	3.2	94
परिशिष्ट-3.3	चोरी, दुर्विनियोजन/हानि आदि के मामलों का विभागबद्ध तथा अवधिबद्ध ब्यौरा	3.4	95
परिशिष्ट-3.4	सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागबद्ध/श्रेणीबद्ध ब्यौरा	3.4	96
परिशिष्ट-4	शब्दावली		97

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय-I व अध्याय-II में 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखों व विनियोजन लेखों की जांच से उजागर मामलों की लेखापरीक्षा टिप्पणियां समाविष्ट हैं। जहां भी आवश्यक था, हिमाचल प्रदेश सरकार से सूचना प्राप्त की गई है।

'वित्तीय रिपोर्टिंग' पर अध्याय-III चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निदेशों से सम्बंधित राज्य सरकार की अनुपालना के विहंगावलोकन तथा प्रास्थिति को दर्शाता है।

विभिन्न विभागों में निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेन-देनों की लेखापरीक्षा के परिणाम का प्रतिवेदन तथा सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उजागर हुई अभ्युक्तियों से समाविष्ट प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर अभ्युक्तियों से अंतर्विष्ट प्रतिवेदन पृथक्-पृथक् रूप से प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

भूमिका

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन बजट आकलनों, 2011 के अधिनियम संख्या 25 द्वारा यथासंशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत स्थापित लक्ष्यों की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के निर्धारणार्थ प्रस्तुत किया गया है तथा सरकार की प्राप्तियों व संवितरणों की प्रबल प्रवृत्तियों व ढांचागत रूप रेखा को विश्लेषित करता है।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं तथा राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण एवं जनगणना जैसे विभिन्न स्रोतों से एकत्रित अतिरिक्त आंकड़ों पर आधारित इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा तीन अध्यायों में उपलब्ध है।

अध्याय-I वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह 31 मार्च 2016 को हिमाचल प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति की समीक्षा करता है। यह प्राप्तियों एवं संवितरणों, बाजार उधारों, व्यय की गुणवत्ता, सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण, ऋण स्थायित्व तथा राजकोषीय असंतुलों का समयावली लेखा उपलब्ध करवाता है।

अध्याय- II विनियोजन लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह विनियोगों का अनुदानबद्ध विवरण प्रस्तुत करता है। यह वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, कोषागारों के प्रचालन में कमियों तथा चयनित अनुदानों की समीक्षा का परिणाम प्रस्तुत करता है।

अध्याय- III विभिन्न रिपोर्टिंग अपेक्षाओं तथा वित्तीय नियमावली की हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई अनुपालना की एक सूची है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय-I

राज्य सरकार के वित्त

राज्य ने वर्ष 2011-12 में राजस्व घाटा शून्य तक ले जाने के लक्ष्य को लब्ध कर लिया क्योंकि राज्य राजस्व अधिशेष तक पहुँच गया लेकिन तत्पश्चात् इसे बरकरार नहीं रख पाया तथा वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान समस्त तीनों सूचकों में भारी घाटे की स्थिति महसूस की गई।

वर्ष 2014-15 के ₹ 1,944 करोड़ का राजस्व घाटा 2015-16 के दौरान राजस्व व्यय में 13 प्रतिशत की वृद्धि के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में 31 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि के कारण राजस्व अधिशेष में परिवर्तित होकर ₹ 1,137 करोड़ हो गया।

राजकोषीय घाटा वर्ष 2014-15 के ₹ 4,200 करोड़ से घटकर वर्ष 2015-16 में ₹ 2,165 करोड़ हो गया तथा राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.96 प्रतिशत था जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं

बजट प्रबन्धन/चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत निर्धारित सीमा (अर्थात् तीन प्रतिशत) से नीचे रहा। चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुति पर केन्द्रीय निधि अन्तरण के परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्तियों में अत्यधिक वृद्धि के कारण वर्ष 2014-15 में ₹ 1,351 करोड़ का प्राथमिक घाटा वर्ष 2015-16 के दौरान अधिशेष (₹ 990 करोड़) में परिणत हुआ।

वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य की प्राप्तियाँ (₹ 23,440 करोड़) विगत वर्ष (13.57 प्रतिशत) की तुलना में ₹ 5,597 करोड़ (31.36 प्रतिशत) बढ़ गई। राज्य के अपने संसाधनों से केवल 37 प्रतिशत प्राप्तियाँ थी जिसमें कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियाँ शामिल थीं जबकि अधिकांश (63 प्रतिशत) राजस्व प्राप्तियाँ केन्द्रीय निधि अन्तरण अर्थात् सहायता अनुदान (48 प्रतिशत) तथा केन्द्रीय करों एवं शुल्कों (15 प्रतिशत) से प्राप्त हुई।

वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य का कुल व्यय (₹ 25,630 करोड़) गत वर्ष के कुल व्यय (₹ 22,734 करोड़) से ₹ 2,896 करोड़ (13 प्रतिशत) बढ़ गया। राजस्व व्यय वर्ष 2014-15 के ₹ 19,787 करोड़ से ₹ 2,516 करोड़ (13 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 22,303 करोड़ हो गया लेकिन इसी अवधि में कुल व्यय पर इसका अंश (87 प्रतिशत) यथावत् रहा। योजनागत राजस्व व्यय (₹ 3,493 करोड़) गत वर्ष (₹ 3,204 करोड़) से ₹ 289 करोड़ (9 प्रतिशत) बढ़ गया तथा विगत पाँच वर्षों में राजस्व व्यय का 12 से 16 प्रतिशत रहा। यद्यपि आयोगनेतर राजस्व व्यय 2011-16 के वर्षों में राजस्व व्यय का 84-88 प्रतिशत रहा। वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन व उपदान पर व्यय 2011-16 वर्षों की अवधि में निरन्तर वृद्धि दर्शाते हुए वर्ष 2011-12 के ₹ 11,027 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 16,511 करोड़ हो गया जो कि राजस्व व्यय का औसतन 77 प्रतिशत था। वर्ष 2015-16 के दौरान कुल व्यय पर पूँजीगत व्यय का अंश 2014-15 के 10.9 प्रतिशत की तुलना में 11.2 प्रतिशत रहा। कुल व्यय पर विकासात्मक व्यय की प्रतिशतता 2014-15 वर्ष के 64.10 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 65 प्रतिशत हो गई।

वर्ष 2015-16 के दौरान भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत ₹ 364.57 करोड़ की निधियाँ राज्य बजट के माध्यम से देने के बजाय सीधे ही राज्य कार्यदायी अभिकरणों को हस्तान्तरित कर दी गयी। इन निधियों से किए गए व्यय की निगरानी करने के लिए राज्य में कोई भी अभिकरण नहीं है और कोई आंकड़ा तैयार नहीं है कि इन अभिकरणों द्वारा उस विशेष वर्ष में वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई। वर्ष 2015-16 के अन्त में 12 अपूर्ण परियोजनाओं में कुल ₹ 142.55 करोड़ की निधियाँ अवरूद्ध पड़ी थीं।

कम्पनियों/निगमों में 31 मार्च 2016 तक ₹ 3,041 करोड़ के निवेश का प्रतिफल नगण्य (₹ 111.94 करोड़) अर्थात् 3.68 प्रतिशत था जबकि सरकार ने अपने उधारों पर 7.89 प्रतिशत के औसत दर पर ब्याज का भुगतान किया था। यह निवेश उन कम्पनियों/निगमों में भी किया गया जो निरन्तर हानि वहन कर रही थीं।

2008-09 से 2013-14 की अवधि के दौरान ₹ 18.48 करोड़ की राशि विभिन्न ऋणी/इकाई को शर्तों एवं निबंधनों को अंतिम रूप दिये बिना संस्वीकृत कर ली गई थी।

आठ प्रतिशत की वृद्धि के साथ विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष की समाप्ति पर राजकोषीय देयताएं ₹ 41,197 करोड़ थी तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 37 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 176 प्रतिशत थी। कुल लोक ऋण में बाजार ऋणों के अन्तिम शेष का हिस्सा 2014-15 में 59 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 60 प्रतिशत हो गया। राज्य द्वारा 7 वर्षों के भीतर 62 प्रतिशत ऋण का भुगतान किया जाना अपेक्षित है जो कि एक आरामदायक स्थिति नहीं है और 'ऋण जाल' की तरफ राज्य को धकेल रही है।

वर्ष 2015-16 के दौरान 32 प्रतिशत उधार पहले से लिए गए ऋणों को चुकता करने में प्रयुक्त किए गए जिससे इन ऋणों को लेने का उद्देश्य विफल रहा।

अध्याय-II

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

वर्ष 2015-16 के दौरान अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत दर्ज ₹ 191.90 करोड़ की समग्र बचत ₹ 2,848.43 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित ₹ 3,040.33 करोड़ की पर्याप्त बचत (शिक्षा एवं ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण अनुदानों के अन्तर्गत) का निवल परिणाम थी। वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक की अवधि से सम्बन्धित ₹ 7,904.32 करोड़ के अधिक व्यय का अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत राज्य विधान मण्डल द्वारा नियमन अपेक्षित है।

15 उपशीर्षों में ₹ 818.51 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक/अपर्याप्त सिद्ध हुआ क्योंकि या तो व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँच पाया या फिर सकल असम्बद्ध अधिक व्यय हुआ। 48 उपशीर्षों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) में निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन किया गया जिसका परिणाम आधिक्य/बचत हुआ। 42 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक) में ₹ 3,135.63 करोड़ वित्त वर्ष के अन्त में अभ्यर्पित किए गए थे। 83 मामलों/उपशीर्षों में ₹ 385.80 करोड़ की राशि का शत प्रतिशत अनुदान अभ्यर्पित किया गया था।

छ: मामलों में वर्ष की चौथी तिमाही का व्यय 52 प्रतिशत व 70 प्रतिशत के बीच था और इन लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अकेले मार्च 2016 महीने में किया गया व्यय कुल व्यय का 31 से 58 प्रतिशत था।

अध्याय-III

वित्तीय रिपोर्टिंग

31 मार्च 2016 तक ₹ 2,225.40 करोड़ की राशि के ऋणों एवं अनुदानों के सम्बंध में 2,944 प्रयुक्ति प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ।

दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि के ₹ 78.70 लाख की सरकारी धन राशि से अन्तर्ग्रस्त 47 मामले थे जिन पर जून 2016 तक अंतिम कार्रवाई लम्बित थी। इनमें से 41 मामले पांच वर्ष से पुराने थे।

विभिन्न विभागों में विभिन्न नियमों, क्रियाविधियों तथा निर्देशों की सरकार ने अनुपालना नहीं की जिससे सितम्बर 2016 को कुल ₹ 34.38 करोड़ राशि के अस्थाई अग्रिम के 104 मामले समायोजन हेतु लम्बित थे।

अध्याय-I
राज्य सरकार के वित्त

अध्याय - I

राज्य सरकार के वित्त

1.1 परिचय

यह अध्याय चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार के वित्त का विस्तृत परिदृश्य दर्शाता है तथा गत पांच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों के दृष्टिगत विगत वर्ष से सम्बन्धित मुख्य राजकोषीय योगों में मुख्य परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। भारत सरकार द्वारा किये गये राज्यों के वर्गीकरण के आधार पर हिमाचल प्रदेश एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है। जहां बिना विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केन्द्र सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता का अनुपात 30 प्रतिशत अनुदान तथा 70 प्रतिशत ऋण है, वहीं हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार द्वारा विशेषाधिकार के रूप में वित्तीय सहायता का अनुपात 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण है।

राज्य की रूपरेखा

हिमाचल प्रदेश भौगोलिक क्षेत्र (55,673 वर्ग कि०मी०) की दृष्टि से 17वां सबसे बड़ा राज्य है तथा जनसंख्या की दृष्टि से यह 20वां सबसे बड़ा राज्य है। जैसाकि परिशिष्ट-1 में दर्शाया गया है, राज्य की जनसंख्या 2001 में 0.61 करोड़ से बढ़कर 2015 (प्रक्षिप्त) में 0.71 करोड़ हो गई, जिसमें 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या की प्रतिशतता 11 प्रतिशत रही, जो अखिल भारतीय औसत (30 प्रतिशत) से कम थी। राज्य में विगत दशक में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई तथा इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद¹ की मिश्रित विकास दर 2006-07 से 2015-16 की अवधि में 15.47 प्रतिशत (परिशिष्ट 1) रही।

चालू मूल्यों पर 2015-16 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 1,10,511 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 76.50 प्रतिशत (2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 82.80 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गयी। वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,30,067² रही।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

चालू मूल्यों पर राज्य तथा भारत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.1 में इंगित की गई हैं।

तालिका 1.1: सकल घरेलू उत्पाद/सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	87,36,039	99,51,344	1,12,72,764	1,24,88,205	1,35,76,086
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	--	13.91	13.28	10.78	8.71
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	72,720	82,294	92,589	1,01,108	1,10,511
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	--	13.16	12.51	9.20	9.30

स्रोत: आर्थिक तथा सांख्यिकीय विभाग, हिमाचल प्रदेश तथा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

चालू मूल्यों पर भारत के और राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2011-16 की अवधि के दौरान अन्तः वर्षीय ह्यसो-मुखी प्रवृत्ति दर्शाती है। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 0.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

¹ परिशिष्ट-4 में शब्दावली का संदर्भ लें।

² अग्रिम आंकड़ा

1.1.1 राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

तालिका 1.2 विगत वर्ष (2014-15) की तुलना में चालू वर्ष (2015-16) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश प्रस्तुत करती है जबकि परिशिष्ट 1.4 विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण तथा समग्र राजकोषीय स्थिति दर्शाता है।

तालिका 1.2: राजकोषीय प्रचालनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	2014-15	2015-16	संवितरण	2014-15	2015-16		
	कुल	कुल		कुल	आयोजनेत्तर	योजनागत	योग
प्रवर्ग -क: राजस्व							
राजस्व प्राप्तियां	17,843	23,440	राजस्व व्यय	19,787	18,810	3,493	22,303
कर राजस्व	5,940(33)	6,696(29)	सामान्य सेवाएं	7,604	8,734	54	8,788
कर-भिन्न राजस्व	2,081(12)	1,837(8)	सामाजिक सेवाएं	7,451	6,036	1,944	7,980
संघीय करों/शुल्कों का भाग	2,644(15)	3,611(15)	आर्थिक सेवाएं	4,723	4,030	1,494	5,525
भारत सरकार से अनुदान	7,178(40)	11,296(48)	सहायता अनुदान व अंशदान	9	10	--	10
प्रवर्ग -ख: पूंजीगत तथा अन्य							
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	650	--	पूंजीगत परिव्यय	2,473	296	2,568	2,864
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	41	26	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	474			463
लोक ऋण प्राप्तियां	10,877	6,129	लोक ऋण की अदायगी	8,260			3,948
आकस्मिकता निधि	--	--	आकस्मिकता निधि	--			--
लोक लेखा प्राप्तियां#	10,575	11,515	लोक लेखा संवितरण#	8,844			10,577
अथ रोकड़ शेष	(-)887	(-)739	अन्तिम रोकड़ शेष	(-) 739			216
योग	39,099	40,371	योग	39,099			40,371

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

अन्य स्थानों पर लोक लेखा प्राप्तियों के शुद्ध आंकड़े राज्य संसाधनों के विश्लेषणार्थ लिए गए हैं।

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2015-16 में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

राजस्व प्राप्तियां	₹ 5,597 करोड़ (31 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि केन्द्रीय अन्तरणों अर्थात् सहायता अनुदान (₹ 4,118 करोड़) तथा केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (₹ 967 करोड़) के कारण थी।
राजस्व व्यय	₹ 2,516 करोड़ (13 प्रतिशत) बढ़ गया। आयोजनेत्तर व्यय तथा योजनागत व्यय में यह वृद्धि क्रमशः ₹ 2,227 करोड़ तथा ₹ 289 करोड़ थी।
राजस्व अधिशेष	वर्ष 2014-15 में ₹ 1,944 करोड़ का राजस्व घाटा चालू वर्ष (2015-16) में ₹ 1,137 करोड़ के अधिशेष में बदल गया। यह राज्य को भारी केन्द्रीय निधि अन्तरण के कारण था।
पूंजीगत व्यय	₹ 391 करोड़ (16 प्रतिशत) बढ़ गया।
लोक ऋण प्राप्तियां	प्राप्तियां व इनकी अदायगी क्रमशः ₹ 4,748 करोड़ (44 प्रतिशत) व ₹ 4,312 करोड़ (52 प्रतिशत) घट गई।
लोक लेखा प्राप्तियां	प्राप्तियां एवं संवितरण दोनों ही क्रमशः ₹ 940 करोड़ (नौ प्रतिशत) एवं ₹ 1,733 करोड़ (20 प्रतिशत) बढ़ गये।
अन्तिम नकद शेष	गत वर्ष (-) ₹ 739 करोड़ से ₹ 955 करोड़ बढ़कर 2015-16 के अन्त में ₹ 216 करोड़ हो गया।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों तथा राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के लक्ष्यों के प्रति मुख्य राजकोषीय घटकों पर राज्य सरकार का निष्पादन तालिका 1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: मुख्य राजकोषीय घटक

राजकोषीय घटक	2015-16				
	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य	बजट/ एम0टी0एफ0पी0एस0 [#] में प्रस्तावित/प्रक्षिप्त लक्ष्य	वास्तविक आंकड़े	वास्तविक आंकड़ों का प्रतिशत परिवर्तन	
				राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के लक्ष्य	बजट/ एम0टी0एफ0पी0एस0 [#] में प्रस्तावित /प्रक्षिप्त लक्ष्य
राजस्व अधिशेष (+)/ घाटा (-) (करोड़ में)	राजस्व अधिशेष का अनुरक्षण	46.84	1,137*	लक्ष्य लब्ध	लक्ष्य लब्ध
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	(-) 3.00 या कम	(-)2.91	(-) 1.96	लक्ष्य लब्ध	लक्ष्य लब्ध
सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर सरकार के कुल बकाया ऋण* का अनुपात (प्रतिशत में)	35.42	33.83	37.27	(-)1.85	(-)3.44

स्रोत: वित्त विभाग तथा वित्त लेखे

मीडियम टर्म फिस्कल प्लान स्टेटमेंट * ₹ 1,137.67 करोड़


** इसमें राज्य सरकार के लोक ऋण तथा अन्य उत्तरदायित्व शामिल हैं।

एफ0आर0बी0एम0 एक्ट/एम0टी0एफ0पी0एस0 में उल्लिखित सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर कुल बकाया ऋण के अनुपात जोकि एफ0आर0बी0एम0 एक्ट/एम0टी0एफ0पी0एस0 में उल्लिखित लक्ष्य से अधिक था को छोड़कर एफ0आर0बी0एम0 एक्ट व एम0टी0एफ0पी0एस0 में उल्लिखित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए थे।

1.1.3 बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आंकड़े

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट प्रलेख एक विशिष्ट राजकोषीय वर्ष के प्रक्षेपों का विवरण अथवा आय तथा व्यय के अनुमान उपलब्ध करवाते हैं। समूचे आर्थिक प्रबंधन के लिए राजकोषीय नीतियों के प्रभावशाली कार्यान्वयन के संदर्भ में राजस्व तथा व्यय के प्राक्कलन की शुद्धता का महत्व व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। 2015-16 के कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदण्डों के बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आंकड़े चार्ट 1.1 में दर्शाए गये हैं:

चार्ट 1.1: चयनित राजकोषीय मापदंड: वास्तविक आंकड़ों की तुलना में बजट प्राक्कलन (₹ करोड़ में)



स्रोत: आय तथा व्यय (दिसम्बर 2015) की समीक्षा तथा वित्त लेखे 2015-16

जैसा कि चार्ट 1.1 से देखा जा सकता है कि अनेक मापदंडों के मामले में बजट प्राक्कलनों तथा वास्तविक आंकड़ों में बहुत भिन्नताएं थी।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि राजस्व, प्राथमिक व राजकोषीय घाटे में वैविध्य मूलतः प्राक्कलनों की तुलना में अधिक राजस्व प्राप्तियों से हुआ जो कि मुख्यतः संघीय करों/शुल्कों के अंश व भारत सरकार से अनुदानों के कारण विगत वर्ष की तुलना में ₹ 5,085 करोड़ की अधिक प्राप्ति के कारण था।

1.1.4 लिंग बजटीकरण

वर्ष 2013 में महिला तथा बाल विकास विभाग में लिंग बजटीकरण कक्ष का गठन किया गया था। महिलाओं को लाभान्वित करने हेतु 100 प्रतिशत की आवंटन सीमा तक 18 स्कीमें थीं तथा वर्ष 2015-16 के दौरान पांच स्कीमें आंशिक आवंटन की थीं, जिनके अन्तर्गत परिव्यय किया गया था जैसा कि परिशिष्ट 1.5 में उल्लेख किया गया है। इन स्कीमों में ₹ 327.09 करोड़ के कुल परिव्यय के सापेक्ष वर्ष 2015-16 के अन्त तक ₹ 285.62 करोड़ की राशि खर्च की गयी थी तथा ₹ 41.47 करोड़ का अव्ययित शेष विभाग के पास पड़ा था।

1.1.5 चालू वर्षों के बजटों में मुख्य नीतियां बनाने के लिए पहल

2015-16 का बजट प्रस्तुत करते समय राज्य सरकार ने मुख्य रूप से निर्धन तथा दलित को ध्यान में रखते हुए राज्य तथा समाज के क्रमशः सभी क्षेत्रों एवं वर्गों के सर्वांगीण एवं संतुलित विकास की प्रतिबद्धता की थी। 2015-16 के दौरान सरकार की कुछ मुख्य नीतियों के अन्तर्गत इन स्कीमों पर बजट प्रावधान एवं किये गये वास्तविक व्यय को तालिका 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: मुख्य नीतियां बनाने के लिए पहल, बजट प्रावधान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)


क्रमांक	स्कीम का नाम	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक प्राप्त बजट	व्यय	प्राप्त वास्तविक बजट पर व्यय प्रतिशत
1	कौशल विकास भन्ता	100	--	100	40.92	41
2	एकीकृत जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम	50	8	8	2.36	30
3	शीत भण्डारणों का नियन्त्रित तापमान भण्डारणों में रूपान्तरण	5	--	--	13.61	--

स्रोत: विभागीय आंकड़े।


उपर्युक्त तालिका से अवलोकित होता है कि प्रथम दो स्कीमों में प्राप्त/प्रावधानकृत बजट के सापेक्ष 60 से 70 प्रतिशत राशि विभाग के पास अव्ययित पड़ी थी जिससे स्कीम का उद्देश्य ही विफल हो गया। 'शीत भण्डारणों का नियन्त्रित तापमान वाले भण्डारणों में रूपान्तरण' नामक स्कीम में राज्य के बजट में ₹ 5 करोड़ का प्रावधान किए जाने के बावजूद भी सरकार द्वारा बजट अवमुक्त नहीं किया गया। विभाग ने स्कीम को पूर्ण एवं वाणिज्यिक रूप से सफल बताया लेकिन इसकी देयताएँ अभी भी राज्य सरकार द्वारा भुगतान हेतु अपेक्षित हैं।

1.2 राज्य के संसाधन


चार्ट 1.2, 2015-16 के दौरान प्राप्तियों के घटकों तथा उप-घटकों को दर्शाता है।



कुल प्राप्तियाँ (₹ 30,533 करोड़)



राज्य के संसाधन (₹ करोड़ में)




1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

प्राप्तियों के राजस्व तथा पूंजीगत दो भाग हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों का गठन करते हैं। राजस्व प्राप्तियां कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्वों, संधीय करों तथा शुल्कों का राज्यांश तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों से समाविष्ट हैं। पूंजीगत प्राप्तियां विनिवेशों से आगमों, ऋणों व अग्रिमों की वसूलियों, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से ऋणों व अग्रिमों जैसी विविध पूंजीगत प्राप्तियों से अंतर्निष्ट हैं। इसके अतिरिक्त संवितरण के बाद लोक लेखे में उपलब्ध निधि का भी सरकार द्वारा घाटे को पोषित करने हेतु उपयोग किया जाता है। **तालिका 1.2** वार्षिक वित्त लेखे में अभिलिखित वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य की प्राप्तियों तथा संवितरणों को दर्शाती है, जबकि **चार्ट 1.3**, 2011-16 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों की प्रवृत्तियां दर्शाता है।

जैसाकि **चार्ट 1.2** से स्पष्ट है कि 2015-16 के दौरान ₹ 30,533 करोड़ की कुल प्राप्तियां 77 प्रतिशत की राजस्व प्राप्तियों, 20 प्रतिशत की पूंजीगत प्राप्तियों तथा तीन प्रतिशत की निवल लोक लेखा प्राप्तियों से समाविष्ट हैं। राजस्व प्राप्तियों में भारत सरकार से सहायता अनुदान का अंश, कर राजस्व, संधीय करों तथा शुल्कों का राज्यांश तथा कर-भिन्न राजस्व क्रमशः 48 प्रतिशत, 29 प्रतिशत, 15 प्रतिशत तथा 8 प्रतिशत था।

(₹ करोड़ में)



उपर्युक्त **चार्ट 1.3** से स्पष्ट है कि पूंजीगत व शुद्ध लोक लेखे में कम प्राप्तियों के कारण गत वर्ष की तुलना में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां ₹ 31,142 करोड़ से दो प्रतिशत न्यून रूप में घटकर वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 30,533 करोड़ रह गयी।

राजस्व प्राप्तियों में 2011-15 के वर्षों के दौरान वृद्धि हुई लेकिन वर्ष 2015-16 में यह ₹ 5,597 करोड़ बढ़ गई जिसका कारण चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुति के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप संधीय करों/शुल्कों में राज्यांश व भारत सरकार से अनुदानों में ₹ 5,085 करोड़ की वृद्धि रहा। राज्य की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 2014-15 वर्ष के 57 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 77 प्रतिशत हो गया।

1.2.2 भारत सरकार द्वारा राज्य बजट से बाहर राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अंतरित की गई निधियां

सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को काफी मात्रा में निधियों का अंतरण किया जा रहा है जो कि राज्य बजट/कोषागार के माध्यम से नहीं होता है।

इन निधियों को बजट के माध्यम से देने के केन्द्र सरकार के निर्णय के बावजूद 2014-15 व 2015-16 के वर्षों में राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियाँ सीधे ही हस्तान्तरित की गई।


वर्ष 2015-16 के दौरान गत वर्ष की तुलना में प्रत्यक्षतः अन्तरित ये निधियाँ ₹ 278.55 करोड़ से बढ़कर ₹ 364.57 करोड़ हो गयीं। इन्हें मुख्यतः परिवहन उपदान स्कीम (एच0पी0एस0आई0डी0सी0) (₹153.68 करोड़), सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (₹42.50 करोड़), ऑफ ग्रिड डी0आर0पी0एस0 (हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास अभिकरण) (₹41.03 करोड़) एवं अन्य विविध अभिकरणों (₹127.36 करोड़) को हस्तान्तरित किया गया था (परिशिष्ट 1.6)।

इस प्रकार भारत सरकार द्वारा 2015-16 के दौरान ₹ 364.57 करोड़ सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरित किए जाने से राज्य संसाधनों की कुल उपलब्धता ₹ 41,110 करोड़ से बढ़ कर ₹ 41,475 करोड़ हो गई। इन निधियों का अनुश्रवण करने के लिए राज्य में अभी तक कोई अलग अभिकरण नहीं है और यह सुनिश्चित करने के लिए पहले से तैयार कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि एक विशेष वर्ष में वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई।

1.3 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखे के विवरण संख्या-14 में सरकार की राजस्व प्राप्तियों का उल्लेख किया गया है। राजस्व प्राप्तियां राज्य के अपने कर तथा कर-भिन्न राजस्वों, केन्द्रीय कर अंतरणों तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों से समाविष्ट हैं। 2011-16 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति का परिशिष्ट 1.3 में उल्लेख किया गया है तथा इन्हें चार्ट 1.4 में भी दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)



- राजस्व प्राप्तियां 13.46 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि की दर पर 2011-12 में ₹ 14,543 करोड़ से निरंतर बढ़कर 2015-16 में ₹ 23,440 करोड़ हो गई। 2015-16 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में 31.36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 5,597 करोड़ बढ़ गई।

- 2015-16 के दौरान केवल 37 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां करें तथा कर-भिन्न राजस्व से राज्य के अपने संसाधनों से आई तथा शेष 63 प्रतिशत केन्द्रीय करें तथा शुल्कों में राज्यांश (15 प्रतिशत) तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान (48 प्रतिशत) से समाविष्ट केन्द्रीय अन्तरण के रूप में आई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 1.5 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.5: सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	14,543	15,598	15,711	17,843	23,440
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	14.41	7.25	0.72	13.57	31.36
राज्य के अपने कर (₹ करोड़ में)	4,108	4,626	5,121	5,940	6,696
राज्य के अपने करें की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	12.76	12.61	10.70	15.99	12.73
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	72,720	82,294	92,589	1,01,108	1,10,511
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	--	13.16	12.51	9.20	9.30
राजस्व प्राप्ति/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	20	18.95	16.97	17.65	21.21
उत्प्लावकता अनुपात³					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	--	0.55	0.06	1.48	3.37
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के अपने कर की उत्प्लावकता	--	0.96	0.86	1.74	1.37

- राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर वर्ष 2011-12 के 14.41 प्रतिशत से निरन्तर घटकर 2013-14 में 0.72 प्रतिशत रह गयी लेकिन गत दो वर्षों (2014-16) में इसने सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित की। 2015-16 के दौरान राजस्व प्राप्तियां 2014-15 के 13.57 प्रतिशत से बढ़कर 31.36 प्रतिशत हो गईं। यह चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के प्रभाव के कारण केन्द्रीय अन्तरणों का अधिक आवंटन था।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्ष 2012-13 के 13.16 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 9.20 प्रतिशत हो गई लेकिन इसमें गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2015-16 में 0.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता जो वर्ष 2012-14 के दौरान लगातार 0.55 से 0.06 तक घटती रही, राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि व सकल राज्य घरेलू उत्पाद की घटती दर के कारण 2014-15 में 1.48 तथा 2015-16 में 3.37 तक बढ़ गई।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के अपने कर की उत्प्लावकता में अन्तः वर्षीय भिन्नता देखी गई जो 2014-15 के 1.74 से घटकर राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों में कमी के कारण 2015-16 में 1.37 तक आ गई।

1.3.1 राज्य के अपने संसाधन

चूँकि केन्द्रीय करें तथा सहायता अनुदान में राज्य के शेयर का निर्धारण वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है, अतः संसाधनों की गतिशीलता में राज्य के निष्पादन का निर्धारण अपने करें तथा कर-भिन्न स्रोतों से समाविष्ट अपने संसाधनों के संदर्भ में किया गया।

चौदहवें वित्त आयोग तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणों द्वारा किये गये निर्धारण की तुलना में वर्ष 2015-16 के राज्य के वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां तालिका 1.6 में दर्शाई गयी हैं।

³ परिशिष्ट 4 की शब्दावली में संदर्भित।

तालिका 1.6: प्रक्षेपों/प्राक्कलनों से सम्बन्धित वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशत भिन्नता

(₹ करोड़ में)

	14वें वित्त आयोग के प्रक्षेप	बजट आकलन/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण प्रक्षेप	वास्तविक आंकड़े	वास्तविक आधिक्य का प्रतिशत भिन्नता	
				14वें वित्त आयोग के प्रक्षेप	बजट आकलन/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण प्रक्षेप
कर राजस्व	7,820	6,341	6,696	(-) 14.37	5.60
कर भिन्न राजस्व	1,698	1,507	1,837	8.19	21.90

स्रोत: वित्त विभाग तथा वित्त लेखे

कर राजस्व की वास्तविक वसूली चौदहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपों से ₹ 1,124 करोड़ (14.37 प्रतिशत) कम तथा कर-भिन्न राजस्व की वास्तविक वसूली 8 प्रतिशत अधिक थी। वर्ष 2015-16 के बजट आकलनों/एम0टी0एफ0पी0एस0 की तुलना में कर राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व दोनों ही 5.60 तथा 21.90 प्रतिशत अधिक थे जो यह दर्शाता है कि कर राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व सम्बन्धी एम0टी0एफ0पी0एस0 प्रक्षेप निम्नतर दिशा में थे।

1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों तथा शुल्कों के संदर्भ में सकल संग्रहण तालिका 1.7 में दिया गया है।

तालिका 1.7: कर राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,477 (18)	2,728 (10)	3,141(15)	3,661(17)	3,993(9)
राज्य आबकारी	707 (26)	810 (15)	952 (18)	1,044(10)	1,131(8)
वाहन कर	176 (8)	196 (11)	208 (6)	220 (6)	317(44)
स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस	155 (17)	173 (12)	188 (9)	190(1)	206(8)
विद्युत कर एवं शुल्क	185(-39)	262(42)	191(27)	333 (74)	551(65)
भू-राजस्व	18 (260)	24 (33)	10 (-58)	17(70)	7(-59)
माल तथा यात्री कर	94 (1)	101 (7)	105 (4)	110(5)	115(5)
अन्य कर	296 (4)	332 (12)	326 (-2)	365(12)	376(3)
योग	4,108 (13)	4,626(13)	5,121 (11)	5,940 (16)	6,696(13)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि इंगित करते हैं।

कर राजस्व में वर्ष 2011-16 के दौरान ₹ 2,588 करोड़ (63 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई और गत वर्ष की तुलना में 2015-16 के दौरान ₹ 756 करोड़ (13 प्रतिशत) बढ़ा। कर राजस्व में सभी करों एवं शुल्कों मुख्यतः (क) विद्युत कर एवं शुल्क में ₹ 218 करोड़ (65 प्रतिशत); (ख) वाहन कर में ₹ 97 करोड़ (44 प्रतिशत); (ग) वैट के अन्तर्गत कर संग्रहण में वृद्धि के कारण बिक्री, व्यापार आदि पर कर में ₹ 332 करोड़ (9 प्रतिशत) तथा (घ) राज्य आबकारी में ₹ 87 करोड़ (8 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गयी।

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व की स्थिति तालिका 1.8 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.8: कर-भिन्न राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5	6
ब्याज प्राप्ति	115 (64)	70 (-39)	119 (70)	101(-15)	94(-7)
लाभांश तथा लाभ	86 (34)	100 (16)	103 (3)	171(66)	112(-35)
अन्य कर-भिन्न प्राप्ति, जिनमें	1,714 (10)	1,207(-30)	1,563 (29)	1,809(16)	1,631(-10)
विविध सामान्य सेवाएं	40 (1900)	9(-78)	6(-33)	3(-50)	19(533)
शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	104(27)	112(8)	157(40)	161(3)	206(28)
वानिकी तथा वन्य जीवन	107(65)	64(-40)	358(459)	116(-68)	34(-71)

1	2	3	4	5	6
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	26(-16)	46(77)	26(-43)	36(38)	33(-8)
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	120(5)	148(23)	111(-25)	162(46)	155(-4)
विद्युत	1,146(5)	637(-44)	696(9)	1,122(61)	924(-18)
अन्य	171(-2)	191(12)	209(9)	209(-)	260(24)
योग	1,915 (13)	1,377 (-28)	1,785 (30)	2,081(17)	1,837(-12)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/घटा इंगित करते हैं।

कर-भिन्न राजस्व में गत वर्ष की अपेक्षा 2015-16 में ₹ 244 करोड़ (12 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई। 2015-16 में अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों में 10 प्रतिशत की कमी देखी गई। कर-भिन्न राजस्व में कमी मुख्यतः वानिकी एवं वन्य जीवन में ₹ 82 करोड़ (71 प्रतिशत), विद्युत क्षेत्र में ₹ 198 करोड़ (18 प्रतिशत), लाभांश एवं लाभ में ₹ 66 करोड़ (24 प्रतिशत) के अन्तर्गत पाई गई।

1.3.1.3 संग्रहण लागत

2015-16 के दौरान बिक्री, व्यापार पर कर के संग्रहण पर व्यय ₹ 3.92 करोड़, राज्य आबकारी पर ₹ 4.15 करोड़, माल तथा यात्री कर पर व्यय ₹ 34.30 करोड़, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस पर ₹ 2.20 करोड़, वाहन कर पर ₹ 6.41 करोड़ तथा विद्युत पर व्यय ₹ 1.79 करोड़ था। राजस्व के सकल संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत क्रमशः 0.10, 0.37, 29.83, 1.07, 2.02 तथा 0.32 था। माल व यात्री कर (29.83) में संग्रहण प्रभारों की प्रतिशतता राजस्व के अन्य शीर्षों की तुलना में अधिक थी।

1.3.2 भारत सरकार से राज्य को अन्तरण

2011-12 से 2015-16 की अवधि में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को कुल केन्द्रीय अन्तरणों में लगातार वृद्धि (2013-14 को छोड़कर) देखी गई जिसे तालिका 1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: भारत सरकार से अन्तरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
भारत सरकार से सहायता अनुदान	6,521	7,313	6,314	7,178	11,296
संघीय करों व शुल्कों में राज्य का अंश	1,999	2,282	2,491	2,644	3,611
राज्यों को कुल केन्द्रीय अन्तरण	8,520	9,595	8,805	9,822	14,907

केन्द्रीय अन्तरणों की घटक वार स्थिति अनुवर्ती पैरों में दर्शाई गई है।

1.3.2.1 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की स्थिति तालिका 1.9 (अ) में दर्शाई गई है:

तालिका 1.9 (अ): भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
आयोजनेत्तर अनुदान	2,647	2,526	2,025	1,199	8,524
राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान	3,342	4,179	3,765	4,333	756
केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान	27	28	17	31	38
केन्द्र प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान	505	580	507	1,615	1,978
योग	6,521	7,313	6,314	7,178	11,296
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	15.25	12.15	(-)13.66	13.68	57.36
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	45	47	40	40	48

2011-13 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त कुल सहायता अनुदान ₹ 6,521 करोड़ से बढ़ कर ₹ 7,313 करोड़ (तालिका 1.9 व 1.9 (अ)) हो गए किन्तु वर्ष 2013-14 के दौरान यह ₹ 999 करोड़ घटकर ₹ 6,314 करोड़ हो गए जो कि मुख्यतः तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों में

₹ 554 करोड़ तथा राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदानों में ₹ 414 करोड़ की कमी के कारण हुआ था। 2014-15 के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान ₹ 864 करोड़ बढ़ गए जिसमें विगत वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई थी। लेकिन वर्ष 2015-16 में गत वर्ष की तुलना में चौदहवें वित्त आयोग के आयोजनेत्तर अनुदानों में ₹ 7,325 करोड़ की बहुत अधिक वृद्धि तथा राज्य योजना स्कीमों में ₹ 3,577 करोड़ की कटौती की गई तथापि भारत सरकार से प्राप्त कुल सहायता अनुदान महत्वपूर्ण रूप से ₹ 4,118 करोड़ (57 प्रतिशत) बढ़ गए। 2011-16 की अवधि के दौरान इसकी राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिशतता 40 तथा 48 प्रतिशत के मध्य थी। 2015-16 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त कुल सहायता अनुदानों में आयोजनेत्तर अनुदानों, राज्य एवं केन्द्रीय योजना स्कीमों और केन्द्र प्रायोजित योजना स्कीमों का अंशदान क्रमशः 75, 7 तथा 18 प्रतिशत था।

1.3.2.2 केन्द्रीय कर अंतरण

केन्द्रीय कर अन्तरण चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर ₹ 967 करोड़ (37 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2014-15 के ₹ 2,644 करोड़ से 2015-16 में ₹ 3,611 करोड़ हो गए जैसा कि तालिका 1.10 में दिया गया है।

तालिका 1.10: वर्ष 2014-15 व 2015-16 के दौरान केन्द्रीय कर अन्तरण

(₹ करोड़ में)

कर	चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुति	2014-15 के वास्तविक आँकड़े	2015-16 के वास्तविक आँकड़े	भिन्नता
निगम कर	संघीय कर राजस्व की शुद्ध लब्धियों में राज्यांश पहले (2014-15 तक) के 32 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 42 प्रतिशत हो गया।	923.41	1,135.61	212.20
आय कर		659.41	786.68	127.27
सम्पत्ति कर		2.50	0.32	(-) 2.18
सीमा शुल्क		427.66	579.13	151.47
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		241.48	484.57	243.09
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क		--	2.93	2.93
सेवा कर		389.69	621.90	232.21
आय व व्यय पर अन्य कर		0.02	0.03	0.01
योग		2,644.17	3,611.17	967.00

1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि तथा संघटन की प्रवृत्ति तालिका 1.11 में दी गई है।

तालिका 1.11: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि तथा संघटन की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
पूंजीगत प्राप्तियां	2,009	3,392	4,067	11,568	6,155
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-) 35.81	68.84	19.89	184.44	(-) 46.79
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	--	--	--	650	--
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	25	21	17	41	26
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (केवल ऋण व अग्रिम)	(-) 65.75	(-) 16.00	(-) 19.05	141.18	(-) 36.83
लोक ऋण प्राप्तियां	1,984	3,371	4,050	10,877	6,129
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-) 17.71	69.91	20.14	168.57	(-) 43.65

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि पूंजीगत प्राप्तियां 2011-12 में ₹ 2,009 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 6,155 करोड़ हो गई। वर्ष 2015-16 के दौरान विगत वर्ष (2014-15) की तुलना में पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर में 46.79 प्रतिशत के ह्रास के साथ ₹ 5,413 करोड़ की कमी दर्ज हुई। वर्ष 2015-16 के

दौरान लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 4,748 करोड़ (43.65 प्रतिशत) तथा ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली में ₹ 15 करोड़ के ह्रास के कारण ऐसा हुआ। पूँजीगत प्राप्तियों के स्रोतों के ब्यौरे अनुवर्ती पैरों में विवेचित किए गए हैं।

1.4.1 ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियाँ

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम, हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारिता विपणन एवं उपभोक्ता परिसंघ (हिमफैड), हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगमों आदि जैसी विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को ऋण तथा अग्रिम प्रदान किए थे। 31 मार्च, 2016 तक कुल बकाया ऋण तथा अग्रिम ₹ 2,784 करोड़ थे। इसमें से राज्य सरकार ने 2015-16 के दौरान केवल ₹ 26 करोड़ वसूल किए। इसके अतिरिक्त ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज के रूप में ₹ 53 करोड़ प्राप्त किए गए। ऋणों व अग्रिमों की विस्तृत स्थिति पैरा 1.8.3 में वर्णित है।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

आन्तरिक स्रोतों अर्थात् बाजार ऋण/विभिन्न वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों से उधार से ऋण प्राप्तियाँ 2011-12 से 2015-16 तक निरन्तर राज्य सरकार की प्राप्तियों के स्रोत बने रहे।

तालिका 1.12: आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
बाजार ऋण	1,325 (70)	2,359 (73)	2,367 (59)	2,345 (22)	2,450 (40)
केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	279 (14)	471 (15)	617 (15)	1,102 (10)	1,307 (22)
अर्थोपाय अग्रिम (अधिविकर्ष सहित)	--	--	629 (16)	6,860 (64)	1,785 (29)
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	300 (16)	400 (12)	350 (9)	400 (4)	500 (8)
अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण	--	9 (--)	28 (1)	45 (--)	37 (1)
आन्तरिक ऋण प्राप्तियाँ	1,904	3,239	3991	10,752	6,079
आन्तरिक ऋण चुकौतियाँ	1,034	2,056	1,639	8,193	3,876

कोष्ठकों के आँकड़े आन्तरिक ऋण प्राप्तियों की प्रतिशतता दर्शाते हैं

जैसे कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2015-16 के दौरान अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट की न्यून आवश्यकता के कारण विगत वर्ष की अपेक्षा आन्तरिक ऋण प्राप्तियाँ घट गयीं लेकिन विगत पाँच वर्षों में आन्तरिक ऋण के मुख्य घटक बाजार ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि व राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक थे। वर्ष 2015-16 में गत वर्ष की अपेक्षा बाजार ऋण ₹ 105 करोड़ (4 प्रतिशत) और राष्ट्रीय लघु बचत निधि से ऋण ₹ 205 करोड़ (19 प्रतिशत) बढ़ गए। वर्ष 2015-16 के दौरान आन्तरिक ऋण प्राप्तियाँ गत वर्ष की तुलना में ₹ 10,752 करोड़ से ₹ 4,673 करोड़ (43 प्रतिशत) घटकर ₹ 6,079 करोड़ रह गयीं और आन्तरिक ऋण चुकौतियाँ भी ₹ 8,193 करोड़ से ₹ 4,317 करोड़ घटकर ₹ 3,876 करोड़ रह गयीं।

1.4.3 भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम

विगत पाँच वर्षों के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की स्थिति तालिका 1.13 में दी गई है।

तालिका 1.13: भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिमों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
अथ शेष	961	947	1,018	1,012	1,070
वर्ष के दौरान प्रदत्त	80	132	59	125	50
वर्ष के दौरान निस्तारण	94	61	65	67	71
अंत शेष	947	1,018	1,012	1,070	1,049
कुल व्यय की प्रतिशतता	6	5	5	5	4

वर्ष 2015-16 के दौरान भारत सरकार से राज्य योजना स्कीमों के लिए ऋण व अग्रिमों की प्राप्ति (₹ 49.52 करोड़) 60 प्रतिशत घट गयी जो विगत पाँच वर्षों में सबसे कम थी।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियां

कुछ लेन-देनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उचंत, प्रेषणों आदि जो समेकित निधि का भाग नहीं हैं, के संदर्भ में प्राप्तियों तथा संवितरणों को संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत संस्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और ये राज्य विधानसभा द्वारा मत की शर्ताधीन नहीं हैं। यहां सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरणों के बाद बकाया वह उपलब्ध निधि होती है, जिसका सरकार उपयोग कर सकती है। वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों तथा संवितरणों की प्रवृत्ति तालिका 1.14 में दर्शाई गयी है।

तालिका 1.14: 2014-15 और 2015-16 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों तथा संवितरणों की प्रवृत्ति (₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	लोक लेखा प्राप्तियां		लोक लेखा संवितरण		संवितरणों पर प्राप्तियों का आधिक्य	
	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16
लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	3,153	3,116	1,968	2,397	1,185	719
आरक्षित निधि	161	235	159	244	02	(-) 9
जमा तथा अग्रिम	2,222	2,408	1,718	2,293	504	115
उचंत तथा विविध	487	617	459	651	28	(-) 34
प्रेषण	4,552	5,139	4,540	4,992	12	147
कुल	10,575	11,515	8,844	10,577	1,731	938

निवल लोक लेखा प्राप्तियां= लोक लेखा प्राप्तियां- लोक लेखा संवितरण


जैसा कि उक्त तालिका से स्पष्ट है कि निवल लोक लेखा प्राप्तियां (संवितरणों पर प्राप्तियों का आधिक्य) 2014-15 के ₹ 1,731 करोड़ से ₹ 793 करोड़ घटकर 2015-16 में ₹ 938 करोड़ रह गई। इस अवधि के दौरान यह ह्रास मुख्यतः लघु बचतों, भविष्य निधि आदि के अंतर्गत ₹ 466 करोड़ तथा जमा तथा अग्रिम के अन्तर्गत ₹ 389 करोड़ रहे।

1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुख्य व्यय उत्तरदायित्व उनके द्वारा सौंपे जाते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के कार्य ढांचे में घाटों अथवा उधारों के माध्यम से वित्तपोषित सार्वजनिक व्यय उठाने में बजट बाधाएं आती हैं। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चालू राजकोषीय शुद्धता तथा समेकन प्रक्रिया व्यय की लागत पर नहीं है, विशेषतः जब व्यय सामाजिक क्षेत्र के विकास हेतु किया गया हो।


1.6.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन

चार्ट-1.5 विगत पांच वर्षों (2011-16) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्ति एवं संघटन प्रस्तुत करता है तथा 'आर्थिक वर्गीकरण' व 'कार्यकलापों द्वारा व्यय' की दृष्टि से इसका संघटन क्रमशः चार्ट 1.6 तथा चार्ट 1.7 में दर्शाया गया है।



➤ राज्य का कुल व्यय 10 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर 2011-12 में ₹ 16,201 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 25,630 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान वृद्धि ₹ 2,896 करोड़ (13 प्रतिशत) थी। कुल व्यय में वृद्धि, राजस्व व्यय में ₹ 2,516 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय में ₹ 391 करोड़ की वृद्धि के कारण थी।

व्यय के इन संघटकों के सापेक्ष अंश की गति से इंगित हुआ कि व्यय के मुख्य संघटकों में अन्तः




वर्षीय भिन्नताएँ थीं। अविकासीय समझा जाने वाला सामान्य सेवा (ब्याज भुगतान सहित) व्यय 2011-12 के 35.6 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 36.1 प्रतिशत हो गया लेकिन वर्ष 2015-16 में क्रमशः घटकर 34.6 प्रतिशत पर आ गया। सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत व्यय मुख्यतः ब्याज भुगतानों (36 प्रतिशत) तथा

पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभों (43 प्रतिशत) के कारण था। दूसरी ओर विकास व्यय⁴ अर्थात् सामाजिक व आर्थिक सेवाओं पर व्यय वर्ष 2014-15 के 64.1 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2015-16 में 63.5 प्रतिशत हो गया।

⁴ परिशिष्ट 4 की शब्दावली में संदर्भित।

- **राजस्व व्यय:** राजस्व व्यय वर्ष 2014-15 में ₹ 19,787 करोड़ से ₹ 2,516 करोड़ (13 प्रतिशत) बढ़कर 2015-16 में ₹ 22,303 करोड़ हो गया। व्यय वृद्धि मुख्यतः सामान्य सेवाओं पर ₹ 1,184



करोड़ (16 प्रतिशत), सामाजिक सेवाओं पर ₹ 529 करोड़ (7 प्रतिशत) तथा आर्थिक सेवाओं पर ₹ 801 करोड़ (17 प्रतिशत) थी। समग्र वृद्धि ब्याज भुगतान (₹ 306 करोड़), विद्युत (₹ 306 करोड़), ग्रामीण रोजगार (₹ 64 करोड़) एवं स्वास्थ्य व परिवार कल्याण (₹ 49 करोड़) शीर्षों के अन्तर्गत प्रमुख वृद्धि की परिणामी थी। वर्ष 2011-16 के

दौरान राजस्व व्यय लगातार कुल व्यय के प्रभावी अनुपात (86 से 88 प्रतिशत) में बना रहा और 10 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ा। वर्ष 2015-16 के दौरान यह कुल व्यय का 87 प्रतिशत रहा।

योजनागत राजस्व व्यय गत वर्ष की तुलना में 2015-16 में ₹ 289 करोड़ (9 प्रतिशत) बढ़ गया और उसने कुल राजस्व व्यय में केवल 12 से 16 प्रतिशत का अंशदान किया। आयोजनेतर राजस्व व्यय गत वर्ष की तुलना में 2015-16 में ₹ 2,227 करोड़ (13 प्रतिशत) बढ़ गया और 2011-16 के दौरान उसका राजस्व व्यय में 84 से 88 प्रतिशत का प्रभावी अंश रहा। 2011-16 वर्षों में राजस्व प्राप्तियों की 80 से 95 प्रतिशत के प्रभावी अनुपात से (परिशिष्ट 1.3) आयोजनेतर राजस्व व्यय में प्रयुक्ति हुई।

2015-16 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 21.21 प्रतिशत तथा राजस्व व्यय का 20.18 प्रतिशत रहा। राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 1,137 करोड़ रहा जो कि चालू वर्ष के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.03 प्रतिशत था।

- **पूंजीगत व्यय:** पूंजीगत व्यय 2011-13 के वर्षों में ₹ 1,810 करोड़ से ₹ 145 करोड़ बढ़कर ₹ 1,955 करोड़ हो गया लेकिन 2013-14 में ₹ 99 करोड़ घटकर ₹ 1,856 करोड़ हो गया। 2015-16 वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय (₹ 2,864 करोड़) गत वर्ष 2014-15 (₹ 2,473 करोड़) की तुलना में ₹ 391 करोड़ (16 प्रतिशत) बढ़ गया। सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति (₹ 299 करोड़) व जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास (₹ 354 करोड़), आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत विद्युत परियोजनाएं (₹ 265 करोड़), सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण (₹ 142 करोड़) तथा परिवहन (₹ 1,327 करोड़) प्रमुख लाभकारी क्षेत्र थे जिनमें 2015-16 के दौरान पूंजीगत व्यय किया गया था। कुल व्यय के संदर्भ में पूंजीगत व्यय का शेयर 2014-15 के 10.9 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 11.2 प्रतिशत हो गया।

- **ऋण तथा अग्रिम:** 2015-16 में कुल व्यय का ₹ 463 करोड़ (2 प्रतिशत) था, जो विगत वर्ष की तुलना में ₹ 11 करोड़ घट गया।

1.6.2 प्रतिबद्धित व्यय

राज्य सरकार का राजस्व लेखा पर प्रतिबद्धित व्यय ब्याज भुगतानों, वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय, पेंशनों तथा उपदानों से समाविष्ट रहता है। जैसे तालिका 1.15 से स्पष्ट है कि राज्य के प्रतिबद्धित व्यय में निरन्तर वृद्धि हो रही है। गत वर्ष की तुलना में 2015-16 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में ₹ 1,529 करोड़

(10 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2011-16 के वर्षों में राजस्व व्यय का प्रतिबद्ध व्यय लगातार क्रमशः 79, 80, 77, 76 व 74 प्रतिशत का प्रमुख भाग रहा। वर्ष 2011-16 के दौरान इन संघटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को चार्ट 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.15: प्रतिबद्धित व्यय के संघटक


(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्धित व्यय के संघटक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
वेतन तथा मजदूरियां, जिनमें	6,215 (43)	7,255 (47)	7,545 (48)	8,418(47)	8,174* (35)
आयोजनेत्तर शीर्ष	5,981	6,999	7,289	8,159	7,826
योजनागत शीर्ष	234	256	256	259	348
ब्याज भुगतान	2,130 (15)	2,370 (15)	2,481 (16)	2,849 (16)	3,155 (13)
पेंशन	2,217 (15)	2,747 (18)	2,855 (18)	2,914 (16)	3,836 (16)
उपदान	465 (3)	567 (4)	467 (3)	801 (4)	1,346 (6)
योग	11,027	12,939	13,348	14,982	16,511
राजस्व व्यय पर प्रतिशतता	79	80	77	76	74

* वेतन: ₹ 7,950 करोड़; मजदूरी: ₹ 224 करोड़

कोष्ठकों के आँकड़े राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में प्रतिशतता इंगित करते हैं।

(₹ करोड़ में)



वेतन एवं मजदूरी

2015-16 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय गत वर्ष की अपेक्षा ₹ 244 करोड़ (3 प्रतिशत) घट गया और यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 35 प्रतिशत था। चालू वर्ष (₹ 7,950 करोड़) में वेतन व्यय मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (₹ 8,285 करोड़) के प्रक्षेपों के अन्तर्गत था।

पेंशन भुगतान

पेंशन भुगतानों पर व्यय 2011-12 में ₹ 2,217 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 3,836 करोड़ तथा गत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान ₹ 922 करोड़ (32 प्रतिशत) तक बढ़ गया। वेतन एवं पेंशन भुगतानों पर व्यय राजस्व प्राप्तियों का 51 प्रतिशत था। चालू वर्ष के दौरान पेंशन भुगतानों पर वास्तविक व्यय चौदहवें वित्त आयोग में किये गये प्रक्षेपणों (₹ 3,846 करोड़) के अन्तर्गत था।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतानों में 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 2011-12 के ₹ 2,130 करोड़ से 2015-16 में ₹ 3,155 करोड़ हो गए तथा गत वर्ष की तुलना में 2015-16 के दौरान ₹ 306 करोड़ (11 प्रतिशत)

की वृद्धि हुई। चालू वर्ष हेतु ब्याज भुगतान चौदहवें वित्त आयोग के मानदण्डात्मक निर्धारण (₹ 3,088 करोड़) तथा राज्य सरकार द्वारा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणों के प्रक्षेपणों (₹ 2,950 करोड़) से क्रमशः 2 व 7 प्रतिशत बढ़ गए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ब्याज भुगतान का वृद्धिकारी निर्गमन बढ़े हुए वाणिज्यिक उधार के कारण था जैसे कि पैरा 1.9.2 में विवरण दिया गया है।

उपदान

राज्य सरकार विभिन्न संस्थाओं/निकायों/निगमों आदि को उपदानों का भुगतान कर रही है। तालिका 1.15 विगत पाँच वर्षों (वर्ष 2013-14 को छोड़कर) में सरकार द्वारा प्रदत्त उपदानों में स्पष्ट वृद्धि दर्शाती है। 2015-16 में उपदान ₹ 545 करोड़ बढ़ गए जो कि राजस्व प्राप्तियों का लगभग 6 प्रतिशत था। उपदानों के मुख्य संघटक ऊर्जा (₹ 784 करोड़); परिवहन (₹ 235 करोड़), खाद्य एवं आपूर्ति (₹ 168 करोड़) तथा उद्यान (₹ 53 करोड़) थे।

1.6.3 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान विभिन्न संस्थाओं को अवमुक्त किये गये सहायता अनुदानों की विस्तृत स्थिति तालिका 1.16 में दी गई है।

तालिका 1.16: स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को अवमुक्त किए गए सहायता अनुदानों का विवरण (₹ करोड़ में)

क्रमांक	संस्था का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1.	विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाएं	314.89 (1)	405.62 (29)	451.55 (11)	601.03(33)	663.67 (10)
2.	नगर निगम एवं नगरपालिकाएं	122.94 (33)	174.09 (42)	282.33 (62)	211.65 (-25)	321.63 (52)
3.	पंचायती राज संस्थाएं	263.95 (3)	282.09 (7)	353.54 (25)	810.37(129)	926.72 (14)
4.	विकास अभिकरण	46.72 (-10)	38.72 (-17)	65.96 (70)	63.52(-4)	80.53 (27)
5.	अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	69.70 (45)	87.77 (26)	94.63 (8)	216.24 (129)	277.14 (28)
6.	अन्य संस्थाएं	162.89 (82)	214.82 (32)	189.87 (-12)	253.37 (33)	342.58 (35)
	योग	981.09 (16)	1,203.11 (23)	1,437.88 (20)	2,156.18 (50)	2,612.27 (21)
	सहायता अनुदानों की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय	7.06	7.43	8.28	10.90	11.71

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा संकलित आंकड़े कोष्ठकों के आंकड़े गत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि/ह्रास दर्शाते हैं।

2011-16 की अवधि में स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को दिये गए अनुदानों में लगातार बढ़ती हुई प्रवृत्ति सामने आई। यह अनुदान विगत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष (2015-16) के दौरान ₹ 456.09 करोड़ (21.15 प्रतिशत) तक बढ़ गये। वर्ष 2015-16 के दौरान सहायता अनुदानों में वृद्धि मुख्यतः नगर निगमों व नगरपालिकाएं (₹ 109.98 करोड़) (52 प्रतिशत), अस्पतालों व अन्य दातव्य संस्थाओं (₹ 60.90 करोड़) (28 प्रतिशत), विकास अभिकरणों (₹ 17 करोड़) (27 प्रतिशत) तथा पंचायती राज संस्थाओं (₹ 116 करोड़) (14 प्रतिशत) को अधिक अनुदान अवमुक्त करने के कारण थी।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतः इसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूल रूप से तीन पहलुओं अर्थात् व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवाएं प्रदान करवाने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता तथा इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय- परिणाम सम्बन्धों का निर्धारण) में सम्मिलित है।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

राज्य सरकार को समनुदेशित सामाजिक क्षेत्र व आर्थिक मूलाधार से सम्बद्ध व्यय दायित्व अधिकांशतः राज्य के कार्य क्षेत्र में आता है। मानवीय विकास स्तर की वृद्धि हेतु राज्यों से अपेक्षा है कि वे मुख्य

सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपना व्यय बढ़ाएं। यदि किसी विशेष व्यय शीर्ष को प्रदत्त प्राथमिकता उस वर्ष में विशेष श्रेणी वाले राज्यों के औसत से न्यून है तो उस सेक्टर को न्यून राजकोषीय प्राथमिकता (सकल व्यय पर व्यय श्रेणी अनुपात) से सम्बद्ध किया कहा जा सकता है।

तालिका 1.17 (क) वर्ष 2012-13, 2014-15 व चालू वर्ष 2015-16 में विशेष श्रेणी राज्यों के सापेक्ष विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय और पूंजीगत व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताएं विश्लेषित करती है।

तालिका 1.17 (क): 2012-13, 2014-15 व 2015-16 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	स.व./ स.रा.घ.उ.	वि.व. #/ स.व.	सा.क्षे.व./ स.व.	आ.क्षे.व./स.व.	प.व./स.व.	शि./स.व.	स्वा./स.व.
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2012-13 *	22.23	69.92	38.42	31.50	15.53	20.86	5.58
हिमाचल प्रदेश का औसत (अनुपात) 2012-13	22.60	63.93	35.31	28.62	10.51	19.27	5.41
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2014-15 *	23.80	71.77	40.29	31.49	15.27	21.04	5.90
हिमाचल प्रदेश का औसत (अनुपात) 2014-15	22.48	66.15	35.08	31.07	10.88	18.81	5.71
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2015-16 *	21.66	70.41	39.78	30.63	13.95	20.63	6.41
हिमाचल प्रदेश का औसत (अनुपात) 2015-16	23.19	65.27	34.22	31.04	11.17	17.29	5.53

स.व.: सकल व्यय, स.रा.घ.उ.: सकल राज्य घरेलू उत्पाद, वि.व.: विकास व्यय, सा.क्षे.व.: सामाजिक क्षेत्र व्यय, आ.क्षे.व.: आर्थिक क्षेत्र व्यय, प.व.: पूंजीगत व्यय, शि.: शिक्षा, स्वा.: स्वास्थ्य
विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय व संवितरित ऋण व अग्रिम शामिल है। * जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त
स्रोत: 29 जुलाई 2016 को सी.एस.ओ. वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना तथा राज्यों द्वारा आपूरित

राजकोषीय प्राथमिकता राज्य द्वारा व्यय के एक विशेष वर्गीकरण के लिए दी गई प्राथमिकता को संदर्भित है। 2012-13 तथा 2014-15 के साथ 2015-16 में हुए व्यय का तुलनात्मक अध्ययन निम्नवत् दर्शाता है:

- 2012-13 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सरकार का सकेमित व्यय 22.60 प्रतिशत था जो 2014-15 में थोड़ा सा 22.48 प्रतिशत तक घट गया। तथापि 2015-16 में यह 23.19 प्रतिशत था जो कि विगत वर्ष से 0.71 प्रतिशत अधिक तथा विशेष श्रेणी राज्यों (21.66 प्रतिशत) से 1.53 प्रतिशत अंक उपर है।
- समेकित व्यय में विकास व्यय की प्रतिशतता 2012-13 के 63.93 प्रतिशत से 2014-15 में 2.22 प्रतिशत अंक बढ़ गई किंतु 2015-16 (65.27 प्रतिशत) में 0.88 प्रतिशत अंक तक घट गई जो कि विशेष श्रेणी राज्य के 70.41 प्रतिशत से कम है और चिंता का विषय है।
- राज्य में समेकित व्यय के अनुपात में सामाजिक क्षेत्र व्यय, विशेष श्रेणी राज्य से 2012-13, 2014-15 तथा 2015-16 में क्रमशः 3.11, 5.21 तथा 5.56 प्रतिशत अंक कम था।
- समेकित व्यय के अनुपात में पूंजीगत व्यय विगत वर्ष से 2015-16 में 0.29 प्रतिशत अंकों से थोड़ा बढ़ गया किंतु विशेष श्रेणी राज्य के औसत से 2.78 प्रतिशत अंकों से कम रहा।
- 2012-13, 2014-15 तथा 2015-16 की अवधि के दौरान शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत अनुपात विशेष श्रेणी राज्य के औसत से कम था।

1.7.2 व्यय उपयोग की दक्षता व इसकी प्रभावशीलता

तालिका 1.17 (ख) के अनुसार, विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष 2015-16 के दौरान सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं में वेतन एवं मजदूरी में क्रमशः ₹ 106 करोड़ (2 प्रतिशत) एवं ₹ 95 करोड़ (5 प्रतिशत) की कमी हुई, जबकि सामाजिक सेवाओं में परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय में ₹ 186 करोड़ (25 प्रतिशत) की वृद्धि तथा आर्थिक सेवाओं में ₹ 19 करोड़ (2 प्रतिशत) का ह्रास हुआ। 2015-16 की अवधि के दौरान सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं में कुल व्यय के अनुपात में पूंजीगत व्यय क्रमशः 0.03 तथा 0.08 रहा जो कि खेद का विषय है।

तालिका 1.17 (ख): विभिन्न क्षेत्रों में किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल व्यय	क्षेत्र	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	कुल व्यय पर पूंजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय	
						वेतन एवं मजदूरी	परिचालन व अनुरक्षण
2014-15	22,734	सामाजिक सेवाएं	7,451	522	0.02	4,882	744
		आर्थिक सेवाएं	4,723	1,868	0.08	2,006	1,166
2015-16	25,630	सामाजिक सेवाएं	7,980	792	0.03	4,776	930
		आर्थिक सेवाएं	5,525	1,984	0.08	1,911	1,147

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हि0प्र0 से वाञ्छित स्तर कम्प्यूटरीकरण

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

अनुवर्ती राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन के कार्य ढांचे में राज्य से इसके राजकोषीय घाटे (तथा उधार) को न केवल निम्न स्तरों पर रखने की अपेक्षा की जाती है, बल्कि इसके पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों तथा अग्रिमों सहित) की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता के परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने के लिए तथा उधार निधियों की लागत को वसूल करने के लिए अपेक्षित पग उठाने की आवश्यकता है, न कि इसे अन्तर्निहित उपदान के रूप में बजट से वहन किया जाए तथा वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने हेतु अपेक्षित पग उठाएं। यह प्रवर्ग विगत वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गए निवेशों तथा अन्य पूंजीगत व्ययों का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रदर्शित करता है।

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2016 तक अपूर्ण परियोजनाओं से सम्बंधित विभाग-वार सूचना तालिका 1.18 में दी गई है। मात्र वे परियोजनाएं अपूर्ण परियोजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं जिनमें कार्य समापन की निर्धारित तिथि 31 मार्च 2016 तक पूर्ण हो चुकी थी।

तालिका 1.18: अपूर्ण परियोजनाओं की विभाग-वार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	आरम्भिक बजटीय लागत	परियोजनाओं की संशोधित कुल लागत	31 मार्च 2016 तक कुल व्यय
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	10	95.54	58.69	121.34
भवन एवं सड़कें (लोक निर्माण कार्य)	02	24.60	--	21.21
योग	12	120.14		142.55

स्रोत: वित्त लेखे

अपूर्ण परियोजनाओं के सम्बंध में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की केवल 5 परियोजनाओं की संशोधित लागतें उपलब्ध थी, जहां ₹ 3.98 करोड़ की लागत वृद्धि थी। ये परियोजनाएं जुलाई 2005 तथा मार्च 2012 के मध्य पूरी की जानी थीं। कार्यों की भौतिक प्रगति के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि सभी

12 परियोजनाओं का 75 से 99 प्रतिशत के मध्य कार्य पूर्ण हुआ था तथा 11 वर्षों तक की समय वृद्धि हो चुकी थी।

1.8.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2016 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों एवं सहकारी समितियों में ₹ 3,041 करोड़ का निवेश किया था (तालिका 1.19 (क))। निवेश पर औसत प्रतिफल 4.10 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2011-16 के दौरान अपने उधारों पर 7.89 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज भुगतान किया।

तालिका 1.19 (क): निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिफल/उधार लागत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	औसत 2011-16
वर्षांत में निवेश	2,448	2,767	3,025	2,732	3,041	--
प्रतिफल (लाभांश/ब्याज)	85.65	100.09	103.42	171.00	111.94	--
प्रतिफल (प्रतिशत)	3.50	3.62	3.42	6.26	3.68	4.10
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.80	8.08	7.71	7.91	7.95	7.89
ब्याज दर व प्रतिफल के मध्य अंतर (प्रतिशत)	4.30	4.46	4.29	1.65	4.27	3.79

स्रोत: वित्त लेखे

यद्यपि गत वर्ष 2014-15 (₹ 2,732 करोड़) की तुलना में सरकारी निवेश 2015-16 (₹ 3,041 करोड़) में 11.31 प्रतिशत बढ़े तथा निवेशों के प्रतिफल 2011-15 में लगातार वृद्धि दर्शाते हुए 2011-12 में ₹ 85.65 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 171 करोड़ हो गये लेकिन 2015-16 के दौरान ₹ 59.06 करोड़ घट गए। विगत पांच वर्षों (2011-16) में मुख्य अंशदाता सतलुज जल विद्युत निगम था। लाभान्वित प्रमुख सरकारी कम्पनियों में, जिन्होंने नवीनतम अन्तिम रूप से दिए गए लेखों के अनुसार हानियां संचित की थी वे हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (₹ 1,875.61 करोड़), हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹ 1,020.37 करोड़), हिमाचल प्रदेश एग्री-इण्डस्ट्रीयल पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड (₹ 78.23 करोड़), हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित (₹ 77 करोड़), हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम लिमिटेड (₹ 48.27 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम (₹ 41.06 करोड़) थे।

1.8.2.1 उदय स्कीम का कार्यान्वयन

भारत सरकार द्वारा राज्य विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय एवं परिचालन क्षमता में सुधार के लिए उज्ज्वल वितरण बीमा योजना (उदय) स्कीम आरंभ की गई है। यह ब्याज भार, विद्युत लागत तथा कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम करने का उल्लेख करती है। परिणामस्वरूप डिस्कॉम लंबे समय तक पर्याप्त एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति कर सकेगा जिससे 24x7 विद्युत आपूर्ति सक्रिय रहेगी। स्कीम में प्रावधान है कि राज्य दो वर्षों में डिस्कॉम के 75 प्रतिशत ऋण (30 सितंबर, 2015 तक) हाथ में ले सकेंगे अर्थात् 2015-16 में लिए गए 50 प्रतिशत ऋण तथा 2016-17 में लिए गए 25 प्रतिशत ऋण। एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (एक सरकारी क्षेत्र उपक्रम) के मध्य हस्ताक्षर किए जाने हैं।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत तक हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की संचित हानि ₹ 2,218 करोड़ थी जबकि 30.09.2015 तक बकाया डिस्कॉम ऋण स्तर ₹ 4,617.85 करोड़ तक पहुंच गया था।

इस सन्दर्भ में, हिमाचल प्रदेश सरकार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने (अगस्त 2016) तथा सितम्बर 2015 तक बकाया हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के 75 प्रतिशत ऋण के बैंक-टू-बैंक ऋण आधार पर पुनर्गठन द्वारा, जिसमें समस्त हिमाचल प्रदेश सरकार उदय प्रतिभूति प्राप्तिरा राज्य सरकार ऋण

के रूप में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित को हस्तांतरित की जाएंगी के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016-17 से उदय स्कीम को लागू करने पर सहमत हो गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित पर तय समय सीमा के अनुसार राज्य ऋण को वापिस करने की बाध्यता रहेगी।

चूंकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उदय स्कीम 2016-17 से आरम्भ की जानी है, अतः 2015-16 के दौरान राज्य के राजकोषीय सूचकों पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा।

1.8.2.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश


राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति निर्मित की थी (अगस्त 1982) जिसके अन्तर्गत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शेयर पूंजी पर 3 प्रतिशत न्यूनतम प्रतिफल का भुगतान करना था। मन्त्रि-परिषद् ने 8 अप्रैल 2011 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया कि लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम (कल्याण एवं यूटिलिटी क्षेत्र को छोड़कर) वित्त वर्ष 2009-10 से अनुगामी वर्षों में करोपरान्त लाभ के 50 प्रतिशत सीमांकन की शर्त पर सरकारी इक्विटी पर 5 प्रतिशत प्रतिफल की अदायगी कर सकते हैं। यह राशि नवीनतम रूप से अनुवर्ती वर्ष के जून माह के अन्त तक सरकारी कोषागार में जमा की जानी थी तथा विहित था कि लाभ अर्जित करने वाले सभी उपक्रम निर्धारित प्रतिफल भविष्य में भी भुगतान करते रहेंगे। 31 मार्च 2015 को सार्वजनिक क्षेत्र के 21 उपक्रमों में राज्य सरकार की प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 1,807.51 करोड़ थी।

तालिका 1.19 (ख): प्रदत्त शेयर पूंजी में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

(₹ करोड़ में)

निवेश की प्रकृति	सरकारी कम्पनियां		सांविधिक निगम (संख्या)	सकल योग (संख्या)
	कार्यशील (संख्या)	अकार्यशील कम्पनियां (संख्या)		
प्रदत्त शेयर पूंजी	1,116.44 (17)	16.75 (2) ⁵	674.32 (2)	1,807.51 (21)

31 मई 2016 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम अन्तिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार स्थिति निम्नोक्त चार्ट तथा परिशिष्ट 1.7 में दी गई है:



⁵ दो कम्पनियों (एग्रो-इण्डस्ट्रीयल पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड व हिमाचल वस्टेड मिल्ल लिमिटेड) में से एक कम्पनी अर्थात् हिमाचल वस्टेड मिल्ल लिमिटेड परिसमापनाधीन थी।

अतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2015 तक निवेशित ₹ 1,807.51 करोड़ की इक्विटी पर इसने मात्र ₹ 0.35 करोड़ का प्रतिफल अर्जित किया जो कि मई 2016 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 0.02 प्रतिशत था।

1.8.2.3 सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं में निवेश

सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में एवं संयुक्त उद्यमों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक वस्तुओं तथा सेवाओं के शीघ्र वितरण में निजी क्षेत्र को सम्मिलित करने हेतु अपूर्व एवं नवीन पद्धति प्रस्तुत करती हैं। मार्च 2016 तक आरम्भ की गई 23 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं में से 9 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं पूर्ण तथा प्रचालनाधीन थी और सौंपी गई 14 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन थी जैसा कि परिशिष्ट 1.8 में वर्णित है।

1.8.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त राज्य सरकार शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति, पशुपालन आदि जैसे क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही है। तालिका 1.20 में 31 मार्च 2016 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों, विगत पांच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.20: राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों की प्रमात्रा/ब्याज प्राप्तियां/उधार लागत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
अथशेष	483	951	1,399	1,913	2,346
वर्ष के दौरान दी गई राशि	493	469	531	474	463
वर्ष के दौरान लौटाई गई राशि	25	21	17	41	25
अंत शेष	951	1,399	1,913	2,346	2,784
निवल वृद्धि	468	448	514	433	438
ब्याज प्राप्तियां	21	14	15	65	53
बकाया ऋणों व अग्रिमों के प्रति प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्तियां	2.21	1.19	0.78	2.77	1.90
विगत वर्ष के बकाया राजकोषीय दायित्वों के प्रति प्रतिशत के रूप में ब्याज अदायगियां	8.06	8.39	8.15	8.41	8.26
प्राप्त ब्याज एवं प्रदत्त ब्याज की औसत दर के मध्य अंतर (प्रतिशत)	(-) 5.85	(-) 7.20	(-) 7.37	(-) 5.64	(-) 6.36

स्रोत: वित्त लेखे

जैसा कि तालिका 1.20 से अवलोकित होता है कि 31 मार्च 2016 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की कुल राशि ₹ 2,784 करोड़ थी। वर्ष 2015-16 के दौरान प्रदत्त ₹ 463 करोड़ के अग्रिम के प्रति केवल ₹ 25 करोड़ लौटाए गए। अधिकांश ऋण आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों (₹ 412.26 करोड़) व कृषि कर्म (₹ 26.09 करोड़) को दिए गए बकाया ऋणों एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज की प्रतिशतता की तुलना में उधारों पर सरकार द्वारा अदा किए जा रहे ब्याज की औसत दर में भारी अन्तर था जो 2014-15 के दौरान 5.64 प्रतिशत था जो चालू वर्ष में बढ़कर 6.36 प्रतिशत हो गया। 2015-16 के दौरान बकाया ऋणों की प्रतिशतता के रूप में सरकार ने ब्याज प्राप्तियों का प्रतिफल 1.90 प्रतिशत प्राप्त किया तथापि, इस अवधि के दौरान उसने उधारों पर औसतन 8.26 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किया।

वर्ष 2015-16 के दौरान दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों की स्थिति तालिका 1.21 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.21: ऋण एवं अग्रिम

ऋणी-इकाईयां	ऋणों की संख्या	ऋणों की कुल राशि (₹ करोड़ में)	शर्तें एवं निबंधन	
			ब्याज की दर	ऋण स्थगन अवधि अगर कोई है
हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम	3	0.35	ब्याज मुक्त	--
हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ	4	26.09	ब्याज मुक्त	--
हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	12	327.26	10 प्रतिशत	5 वर्ष
हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित	5	85.00	10 प्रतिशत	5 वर्ष
हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त निगम	5	11.05	8.5 प्रतिशत	7 वर्ष
सरकारी कर्मचारी	--	13.42	--	--
योग	29	463.17		

स्रोत: वित्त लेखे

₹ 463.17 करोड़ में से ₹ 26.44 करोड़ की राशि के ऋण ब्याज मुक्त, ₹ 412.26 करोड़ के ऋण 10 प्रतिशत की दर पर तथा ₹ 11.05 करोड़ के ऋण 8.5 प्रतिशत की दर पर प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त ₹ 13.42 करोड़ के ऋण सरकारी कर्मचारियों को दिए गए। राज्य सरकार की ऋण स्थगन अवधि पांच से सात वर्षों के मध्य थी।

1.8.3.1 शर्तों एवं निबंधनों को अंतिम रूप दिये बिना ऋणों को संस्वीकृत करना/देना

2008-09 से 2013-14 की अवधि के दौरान शर्तों एवं निबंधनों को अंतिम रूप दिये बिना ₹ 18.48 करोड़ की राशि ऋण के रूप में स्वीकृत की गई थी। ब्यौरे तालिका 1.22 में दिये गए हैं।

तालिका 1.22: सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण जिनके लिए शर्तें एवं निबंधनों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है

क्रमांक	ऋणी-इकाई	ऋणों की संख्या	कुल राशि (₹ करोड़ में)	आरंभिक अवधि जिससे बकाया सम्बंधित है
1.	हिमाचल प्रदेश एग्री उद्योग निगम	1	2.54	2013-14
2.	नगर निगम शिमला	1	2.00	2008-09
3.	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति विकास निगम	8	0.76	2013-14
4.	हि0प्र0 एग्री उद्योग व हि0प्र0 बागवानी उत्पाद विपणन व विधायी निगम सीमित	7	13.18	2009-10
	योग	17	18.48	

स्रोत: वित्त लेखे

1.8.4 नकद शेष और नकद शेष का निवेश

तालिका 1.23 नकद शेष और वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा नकद शेष में से किए गए निवेश को दर्शाती है।

तालिका 1.23: नकद शेष तथा नकद शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2015 तक	31 मार्च 2016 तक	वृद्धि (+)/कमी (-)
(क) सामान्य नकद शेष			
कोषागारों में नकद	-	-	
स्थानीय-पारगमन में प्रेषण	-	-	
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	(-) 739.51	(-) 340.76	398.75
नकद शेष निवेश लेखा में किया निवेश	-	556.80	
(ख) अन्य नकद शेष एवं निवेश			
विभागीय कार्यालयों अर्थात् लोक निर्माण विभाग आदि के पास नकद	0.16	0.16	
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.03	0.03	
योग (क+ख)	(-) 739.32	216.23	955.55
(ग) नकद शेषों से निवेश			
भारत सरकार के कोषागार बिल	-	556.80	
भारत सरकार की प्रतिभूतियां	6,675.64	7,650.79	975.15
(घ) नैमित्तिक शेषों से निवेश का निधिदार ब्यौरा			
(ङ) वसूल किया गया ब्याज	9.90	39.59	29.69

राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक में ₹ 0.55 करोड़ का न्यूनतम नकद शेष अनुरक्षित करना होता है। यदि किसी भी दिन शेष सम्मत न्यूनतम से नीचे जाता है तो यह कमी समय-समय पर साधारण और विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष लेकर पूरी की जाती है। राज्य सरकार की साधारण अर्थोपाय अग्रिम के लिए सीमा 11.11.2013 से ₹ 285 करोड़ थी। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के रेहन के प्रति विशेष अर्थोपाय अग्रिम देने के लिए भी सहमत हो चुका है।

वित्त लेखे की विवरणी संख्या 2 (अनुबंध-क) व 17 के अनुसार वर्ष 2014-15 के अन्त में अर्थोपाय अग्रिम और अधिविकर्षों में ₹ 533.77 करोड़ लम्बित थे। वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य सरकार 334 दिन तक ही न्यूनतम दैनिक नकद शेष रख पायी। उसे भारतीय रिजर्व बैंक से 25 अवसरों पर अर्थोपाय अग्रिम (₹ 884.17 करोड़) व 6 अवसरों पर अधिविकर्ष (₹ 901.23 करोड़) लेकर ₹ 1,785.40 करोड़ लेने पड़े। कुल ₹ 2,319.18 करोड़ के अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों में से वर्ष 2015-16 के दौरान समस्त राशि की अदायगी कर दी गई थी।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पता चला कि चालू वर्ष के अंत में राज्य सरकार का नकद शेष 2014-15 में ₹ (-) 739.32 करोड़ से ₹ 955.55 करोड़ बढ़कर 2015-16 में ₹ (-) 216.23 करोड़ हो गया। गत वर्ष की तुलना में 2015-16 में ब्याज आय ₹ 29.69 करोड़ बढ़ गयी।

1.9 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

1.9.1 परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की वृद्धि एवं संयोजन

सरकार की विद्यमान लेखाकरण प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली भूमि व भवनों जैसी अचल परिसम्पत्तियों का व्यापक लेखाकरण नहीं किया जाता है। तथापि, सरकार के लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय से सृजित की गई परिसम्पत्तियों को प्रदर्शित करते हैं। **परिशिष्ट 1.4 (भाग ख)** 31 मार्च 2016 तक ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों का 31 मार्च 2015 को उनकी तदनुसूची स्थिति की तुलना में सार को दर्शाता है। यद्यपि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्यतः आन्तरिक उधारों, भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखों एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियों का समावेश होता है तथापि परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों व रोकड़ शेषों का समावेश होता है।

वर्ष 2015-16 में परिसम्पत्तियां गत वर्ष की तुलना में ₹ 4,257.29 करोड़ (16.47 प्रतिशत) बढ़ीं जबकि दायित्व ₹ 3,119.62 करोड़ (8.06 प्रतिशत) बढ़े। वित्तीय परिसम्पत्तियों/दायित्वों का अनुपात 2011-12 के 70 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 72 प्रतिशत हो गया जो कि 2014-15 में 67 प्रतिशत था।

1.9.2 राजकोषीय देयताएं


राज्य की 2011-12 से 2015-16 तक के पांच वर्षों के बकाया राजकोषीय देयताओं की स्थिति परिशिष्ट 1.3 व तालिका 1.24 में दर्शाई गई है। विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष 2015-16 के दौरान राजकोषीय देयताओं का संयोजन चार्ट 1.9 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.24: राजकोषीय देयताएं - मूल मापदण्ड

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजकोषीय देयताएं (₹ करोड़ में)	28,228	30,442	33,884	38,192	41,197
वृद्धि दर (प्रतिशत)	6.86	7.84	11.31	12.71	7.87
राजकोषीय देयताओं का अनुपात से					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद* (प्रतिशत)	38.82	36.99	36.60	37.77	37.28
राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	194.10	195.17	215.67	214.04	175.76
अपने संसाधन (प्रतिशत)	468.67	507.11	490.65	476.15	482.80
राजकोषीय दायित्वों की उल्लावकता से					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	--	0.60	0.90	1.38	0.85
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	0.48	1.08	15.71	0.94	0.25
अपने संसाधन (अनुपात)	0.53	(-) 23.76	0.75	0.79	1.24

*आधार वर्ष 2011-12 पर संशोधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2011-12 के ₹ 28,228 करोड़ से ₹ 12,969 करोड़ (46 प्रतिशत) बढ़कर 2015-16 में ₹ 41,197 करोड़ हो गई। राज्य की राजकोषीय देयताओं में समेकित निधि देयताएं एवं लोक लेखा देयताएं समाविष्ट हैं। समेकित निधि देयता (₹ 27,910 करोड़) में बाजार ऋण (₹ 16,860 करोड़), भारत सरकार से ऋण (₹ 1,049 करोड़) तथा अन्य ऋण (₹ 10,001 करोड़, जिनमें भारत सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूति पर ₹ 7,651 करोड़) समाविष्ट हैं।



लोक लेखा देयताओं (₹ 13,287 करोड़) में लघु बचतें तथा भविष्य निधियां (₹ 10,640 करोड़), ब्याज वहन करने वाली देयताएं तथा ब्याज वहन न करने वाली देयताएं जैसे निक्षेप (₹ 2,428 करोड़) एवं आरक्षित निधियां (₹ 219 करोड़) समाविष्ट हैं।

2015-16 के दौरान राजकोषीय देयताओं में वृद्धि की दर 8 प्रतिशत थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजकोषीय देयताओं का अनुपात 2011-12 में 38.82 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में 36.60 प्रतिशत हो गया लेकिन 2014-15 में मामूली रूप से बढ़कर 37.77 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2015-16 में यह 2014-15 वर्ष के 37.77 प्रतिशत से घटकर 37.28 प्रतिशत हो गया। ये देयताएं 2015-16 के अन्त तक राजस्व प्राप्तियों के 1.76 गुणा व अपने राजस्व संसाधनों का 4.83 गुणा थी। 2015-16 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर राजकोषीय दायित्वों का उत्प्लावकता अनुपात 0.85 रहा। यह राजकोषीय दायित्वों की वृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर से कम होने का सूचक है।

1.9.3 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन

31 मार्च 2016 तक आरक्षित निधि में अंतशेष ₹ 219.32 करोड़ (जमा) था। इसमें से ब्याज वाली आरक्षित निधि ₹ 0.71 करोड़ (जमा) थी तथा इस निधि का ब्याजरहित अंश ₹ 218.62 करोड़ (जमा) था।

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप राज्य सरकारों से अपेक्षित था कि वे दो महत्वपूर्ण आरक्षित निधियों का सृजन करें अर्थात् (i) बकाया दायित्वों के ऋणशोधन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शासी एक समेकित ऋणशोधन निधि का सृजन ताकि वे मुक्त बाजार से लिए गए ऋणों की किश्तें चुकता कर सकें तथा (ii) प्रदत्त प्रत्याभूतियों से उत्पन्न आकस्मिक दायित्वों की पूर्ति हेतु प्रत्याभूति विमोच्य निधि का सृजन। इन निधियों की स्थिति निम्न प्रकार से है:

1.9.3.1 समेकित ऋणशोधन निधि

राज्य सरकार से अपेक्षित है कि वह गत वित्तीय वर्ष के अन्त में पड़े बकाया दायित्वों के 0.5 प्रतिशत की न्यूनतम दर से इस निधि में वार्षिक अंशदान करे तथापि राज्य सरकार ने कोई भी समेकित ऋणशोधन निधि सृजित नहीं की है। 31 मार्च 2016 को हिमाचल प्रदेश सरकार के बकाया दायित्व ₹ 41,197 करोड़ थे। यदि समेकित ऋणशोधन निधि होती तो राज्य सरकार की वर्ष 2015-16 में इस निधि में देयता ₹ 190.96 करोड़ (बकाया दायित्वों का 0.5 प्रतिशत) हुई होती। अतः राजस्व व राजकोषीय घाटा उस सीमा तक न्यूनोक्त रहा।

1.9.3.2 प्रत्याभूति विमोच्य निधि

सरकार से अपेक्षित था कि वह गत वित्तीय वर्ष के अन्त में बकाया प्रत्याभूतियों के 0.5 प्रतिशत की न्यूनतम दर से इस निधि में वार्षिक अंशदान से इस निधि का गठन करे तथापि राज्य सरकार ने अभी तक ऐसी कोई निधि गठित नहीं की है। परिणामतः 31 मार्च 2016 को ₹ 21.41 करोड़ का राजस्व व राजकोषीय घाटा न्यूनोक्त रहा।

1.9.3.3 अप्रचालनीय आरक्षित निधियां

राज्य वित्त पर विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लेख किया गया था कि ₹ 1.54 करोड़ के संचित शेष वाली दो आरक्षित निधियां अर्थात् मुख्य शीर्ष 8115-अवमूल्यन/नवीकरण आरक्षित निधियां-103-अवमूल्यन आरक्षित निधियां-सरकारी वाणिज्यिक विभाग एवं उपक्रम (₹ 0.01 करोड़) तथा मुख्य शीर्ष 8226-अवमूल्यन/नवीकरण आरक्षित निधि-101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की अवमूल्यन आरक्षित निधियां (₹ 1.53 करोड़) वर्ष 1971 से अप्रचालित रहीं। बावजूद इसके राज्य सरकार ने इन निधियों के प्रचालनार्थ या बन्द करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी।

1.9.4 आकस्मिक देयताएं

1.9.4.1 गारंटियों की प्रास्थिति

यदि ऋणी जिसकी राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर गारंटी दी गई है, कोई चूक करता है तो वे गारंटियां⁶ आकस्मिक देयताएं हैं।

वित्त लेखे के विवरण-20 के अनुसार विगत पाँच वर्षों की बकाया गारंटियां तालिका-1.25 में दी गई हैं।

तालिका 1.25: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

गारंटियां	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
गारंटियों की बकाया राशि (₹ करोड़ में)	3,316	3,353	4,333	4,281	3,714
पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति गारंटियों की बकाया राशि की प्रतिशतता	26	23	28	27	21

चालू वर्ष के दौरान गारंटियों की बकाया ₹ 3,714 करोड़ की राशि विद्युत क्षेत्र (₹ 2,651 करोड़), तीन सांविधिक बोर्डों/निगमों (₹ 707 करोड़), सात सरकारी कम्पनियों (₹ 100 करोड़), एक सहकारी बैंक (₹ 227 करोड़), राज्य वित्त निगम (₹ 24 करोड़) और एक स्थानीय/स्वायत्त निकाय (₹ पांच करोड़) से सम्बंधित है। चालू वर्ष के दौरान गारंटी जारी नहीं की गई थी। राज्य सरकार ने 2015-16 के दौरान कंफर्ट पत्र जारी करने के सम्बंध में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई थी।

1.10 ऋण प्रबंधन

1.10.1 ऋण रूपरेखा

तालिका 1.26: ऋण की वृद्धि दर व परिपक्वता रूप रेखा

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	ज्यौरे	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1.	आन्तरिक ऋण	18,564 (95)	19,747 (95)	22,099 (96)	24,658 (96)	26,861 (96)
	(i) बाजार ऋण	10,147 (52)	11,809 (57)	13,565 (59)	15,196 (59)	16,860 (60)
	(ii) भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	--	--	285 (1)	285 (1)	--
	(iii) अधिविकर्ष	--	--	171 (1)	249 (1)	--
	(iv) वित्तीय संस्थाओं से ऋण	3,354 (17)	2,589 (12)	2,306 (10)	2,252 (9)	2,350 (8)
	(v) एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूतियां	5,063 (26)	5,349 (26)	5,772 (25)	6,676 (26)	7,651 (28)
2.	भारत सरकार से ऋण	947 (5)	1,018 (5)	1,012 (4)	1,071 (4)	1,049 (4)
कुल लोक ऋण:		19,511	20,765	23,111	25,729	27,910
राज्य ऋण की परिपक्वता रूप-रेखा (वर्षों में)						
0 - 1		1,496.44(8)	1,533(8)	1,923(8)	2,046 (8)	2,268(8)
1 - 3		3,408.68(17)	2,946(14)	3,514(15)	4,837(19)	6,236(22)
3 - 5		2,853.82(15)	4,349(21)	5,470(24)	4,929(19)	4,331(16)
5 - 7		4,291.81(22)	4,380(21)	3,162(14)	3,192(12)	4,339(16)
7 या उससे ऊपर		7,459.94(38)	7,557(36)	9,042(39)	10,725(42)	10,736(38)

कोष्ठकों के आंकड़े कुल लोक ऋण की प्रतिशतता इंगित करते हैं।

कुल लोक ऋण 2011-12 के ₹ 19,511 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 27,910 करोड़ हो गया जिसमें वार्षिक औसत वृद्धि दर 8.42 प्रतिशत दर्ज की गयी। कुल लोक ऋण में बाजार से उधारों का अंश

⁶ परिशिष्ट 4 की शब्दावली में संदर्भित।

2011-12 के 52 प्रतिशत से लगातार बढ़ते हुए 2015-16 में 60 प्रतिशत हो गया। चालू वर्ष (2015-16) के दौरान कुल लोक ऋण गत वर्ष से 8.48 प्रतिशत बढ़ गया।

राज्य ऋण की परिपक्वता रूप रेखा इंगित करती है कि 8 प्रतिशत (₹ 2,268 करोड़) लोक ऋण आगामी वर्ष में चुकता करने योग्य है। अड़तीस प्रतिशत (₹ 10,567 करोड़) आगामी 1-5 वर्षों में चुकता किए जाने हैं जबकि शेष 54 प्रतिशत (₹ 15,075 करोड़) पांच वर्षोंपरि अवधि में चुकता करने पड़ेंगे जो उस अवधि के सरकारी बजट पर बोझ डालेंगे। यह दर्शाता है कि राज्य द्वारा 7 वर्षों के भीतर 62 प्रतिशत ऋण का भुगतान किया जाना अपेक्षित है जो कि एक आरामदायक स्थिति नहीं है और 'ऋण जाल' की तरफ राज्य को धकेल रही है।

विगत पाँच वर्षों के समय अनुक्रम में प्रति व्यक्ति ऋण को दर्शाने वाला विश्लेषण तालिका 1.27 में दिया गया है।

तालिका 1.27: प्रति व्यक्ति ऋण

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
जनसंख्या (करोड़ में)	0.6901	0.6962	0.7023	0.7084	0.7147
कुल ऋण (₹ करोड़ में)	28,228	30,442	33,884	38,192	41,197
प्रतिव्यक्ति ऋण (₹ में)	40,904	43,726	48,247	53,913	57,642

स्रोत: वित्त लेखे व आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

उपर्युक्त तालिका प्रति व्यक्ति ऋण की 2011-12 में ₹ 40,904 से 2015-16 में ₹ 57,642 की बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाती है (पाँच वर्षीय अवधि में 41 प्रतिशत वृद्धि)। गत वर्ष की तुलना में यह 2015-16 में ₹ 3,729 (7 प्रतिशत) बढ़ गया।

1.10.2 ऋण धारणीयता

ऋण धारणीयता राज्य की ऋण निर्वहन दक्षता सूचित करती है। राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त उन विभिन्न सूचकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण धारणीयता⁷ को निश्चित करते हैं। वर्ष 2011-12 से आरम्भ करते हुए पांच वर्षों की अवधि हेतु राज्य की ऋण धारणीयता सूचकों की भिन्नताओं का विश्लेषण तालिका 1.28 में दिया गया है।

तालिका 1.28: ऋण धारणीयता: सूचक एवं प्रवाह

ऋण धारणीयता के सूचक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
बकाया ऋण की वृद्धि दर	6.86	7.84	11.31	12.71	7.87
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	--	13.16	12.51	9.20	9.30
बकाया ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)	38.82	36.99	36.60	37.77	37.28
बकाया ऋण की औसत ब्याज दर (%)	7.80	8.08	7.71	7.91	7.95
ब्याज भुगतानों का भार (ब्याज/राजस्व प्राप्ति) (%)	14.65	15.19	15.79	15.97	13.46
ऋण अदायगी/ऋण (%)	56.85	62.80	42.07	75.94	64.42
राज्य को उपलब्ध शुद्ध ऋण (₹ करोड़ में)	(-) 292	(-) 134	961	1,459	(-) 149

उपर्युक्त तालिका 1.28 से प्रकट होता है कि

- बकाया ऋण की वृद्धि दर ने 2011-15 के वर्षों में वृद्धिकारी प्रवृत्ति जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद ने घटती प्रवृत्ति दर्शाई। वर्ष 2015-16 के दौरान बकाया ऋण की वृद्धि दर लगभग 5 प्रतिशत घट गयी क्योंकि राज्य ने इस अवधि के दौरान अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्ष का कम आश्रय लिया। ऐसा चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य को भारी केन्द्रीय आवंटन के कारण हुआ।

⁷ परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें

- 2011-16 वर्षों के दौरान बकाया ऋण की औसत ब्याज दर लगभग स्थिर रही।
- 2011-15 वर्षों के दौरान राज्य की लगभग 15-16 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियाँ ब्याज-भुगतानों के लिए प्रयुक्त की गईं। वर्ष 2015-16 के दौरान ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का 13.46 प्रतिशत रहा।
- 2011-16 वर्षों के दौरान ऋण प्राप्तियों के 42.07 से 75.94 प्रतिशत उनकी चुकौतियों के लिए प्रयुक्त किए गए जिससे कुल उधारों से विकास कार्य-कलापों के लिए अल्प मात्रा में ऋण प्राप्तियाँ उपलब्ध हुईं।
- चुकौतियों (ब्याज शामिल करते हुए) का प्रावधान करने के पश्चात् ऋण से उपलब्ध शुद्ध निधियाँ 2011-12 में ₹ 292 करोड़ व 2012-13 में ₹ 134 करोड़ की ऋणात्मक निधि उपलब्धता के प्रति 2013-14 में धनात्मक होकर ₹ 961 करोड़ व 2014-15 में ₹ 1,459 करोड़ हो गयीं। वर्ष 2015-16 के दौरान यह पुनः ऋणात्मक (₹ 149 करोड़) हो गयी अर्थात् राज्य की गैर-ऋण प्राप्तियाँ उसके ब्याज भार व प्राथमिक व्यय की पूर्ति हेतु पर्याप्त थी।

1.10.3.1 एच.पी.एफ.आर.बी.एम.एक्ट के उपबन्धों का उल्लंघन

एच.पी.एफ.आर.बी.एम.एक्ट, 2005 में नियत है कि उधार स्वधारणीय विकास क्रियाकलापों या पूंजीगत परिसम्पत्तियों के संवर्धन पर प्रयुक्त किए जाने हैं और उन्हें चालू व्यय के वित्त पोषणार्थ प्रयुक्त नहीं किया जाना है। सरकार ने प्रत्येक ऋण पर यह लक्ष्य अधिसूचित किया कि ऋण की राशि विकास स्कीमों जैसे विद्युत, कृषि, सिंचाई, परिवहन, उद्योग आदि के वित्त पोषणार्थ प्रयुक्त की जाएगी जोकि विशेष रूप से राज्य के कमजोर वर्गों व पिछड़े क्षेत्रों के हित में है और जिसका लोगों की आजीविका व सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर प्रमुख दीर्घकालिक प्रभाव होगा। सरकार ने 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए उपर्युक्त लक्ष्य से जो उधार बाजार से जुटाए उनकी वर्षबद्ध स्थिति तालिका 1.29 में दर्शाई गई है:

तालिका 1.29: वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान सरकार द्वारा जुटाए गए बाजार ऋणों व अदायगी के व्यौरें (₹ करोड़ में)

वर्ष	बाजार ऋण की राशि				
	जुटाए गए	अदायगी के प्रयोजन हेतु		व्यय के प्रयोजन हेतु	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
2011-12	1,325	403	30	922	70
2012-13	2,360	698	30	1,622	70
2013-14	2,367	611	26	1,756	74
2014-15	2,345	714	30	1,631	70
2015-16	2,450	786	32	1,664	68

स्रोत: सम्बद्ध वर्षों के वित्त लेखे

मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन राज्य के वित्त में विगत दायित्वों की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा नवीन बाजार उधारों के उपयोग का उल्लेख किया गया था। इसके बावजूद भी 2015-16 के दौरान सरकार ने परिपक्व बाजार ऋणों की अदायगी हेतु 32 प्रतिशत नवीन उधारों का उपयोग किया। इस प्रकार नवीन ऋणों का भुगतान इन ऋणों के लक्ष्यों को विफल करने के अलावा एफ0आर0बी0एम0 एक्ट के उपबन्धों के विपरीत था।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य राजकोषीय प्राचल-राजस्व, राजकोषीय एवं मूल घाटा एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में समग्र राजकोषीय असंतुलन की मात्रा का प्रदर्शन करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा इसकी प्राप्तियों एवं व्यय के मध्य अंतर को प्रस्तुत करता है। घाटे का स्वरूप सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेक का सूचक है। इसके अतिरिक्त, विधि जिसमें घाटे को वित्तपोषित किया जाता है तथा जुटाये गये साधनों का उपयोग किया जाता है, इसकी राजकोषीय स्थिति के लिए महत्वपूर्ण संकेतक है।



यह प्रवर्ग इन घाटों के वित्तपोषण की प्रवृत्ति, स्वरूप, मात्रा एवं विधि तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत निश्चित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व के वास्तविक स्तर तथा राजकोषीय घाटे के निर्धारण को भी प्रस्तुत करती है।

1.11.1 घाटों का प्रवाह

2011-16 की अवधि के लिए घाटे के सूचकों (राजस्व, राजकोषीय व प्राथमिक) के प्रवाह को तालिका 1.30 व चार्ट 1.10 एवं 1.11 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.30: घाटों का प्रवाह

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
घाटे (₹ करोड़ में)					
राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+)	(+) 645	(-) 576	(-) 1,641	(-) 1,944	1,137
राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+)	(-) 1,633	(-) 2,979	(-) 4,011	(-) 4,200	(-) 2,165
प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+)	(+) 497	(-) 609	(-) 1,530	(-) 1,351	990
राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन (प्रतिशत)					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(+) 0.89	(-) 0.70	(-) 1.77	(-) 1.92	1.03
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 2.25	(-) 3.62	(-) 4.33	(-) 4.15	(-) 1.96
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(+) 0.68	(-) 0.74	(-) 1.65	(-) 1.34	0.90



एफ०आर०बी०एम० ऐक्ट/तेरहवें वित्त आयोग के अनुसार राजस्व घाटा 2011-12 में कम करके शून्य पर लाना तथा तत्पश्चात् राजस्व अधिशेष बरकरार रखा जाना अपेक्षित था तथापि वर्ष 2011-12 में राजस्व घाटे को कम करके शून्य पर लाने के लक्ष्य को लब्ध कर लिया गया था लेकिन इसे तत्पश्चात् बरकरार

नहीं रखा जा सका और राज्य ने घाटे के समस्त सूचकों में वर्ष 2012-13, 2013-14 व 2014-15 में भारी घाटे की स्थिति अनुभूत की।

वर्ष 2014-15 में ₹ 1,944 करोड़ का राजस्व घाटा वर्ष 2015-16 के दौरान राजस्व व्यय में 13 प्रतिशत की वृद्धि के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में 31 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि के कारण ₹ 1,137 करोड़ के राजस्व अधिशेष में परिवर्तित हो गया।

राजकोषीय घाटा जो सरकार के कुल उधारों का प्रतिनिधित्व करने वाला तथा कुल संसाधन अन्तराल है वर्ष 2011-12 के ₹ 1,633 करोड़ से सीधे बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 4,200 करोड़ हो गया तथा तत्पश्चात् मुख्यतः संघीय करों में हिस्सेदारी व भारत सरकार से सहायता अनुदान के कारण राजस्व प्राप्तियों (₹ 5,597 करोड़) में वृद्धि के फलस्वरूप गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2015-16 में घटकर ₹ 2,165 करोड़ रह गया। चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.96 प्रतिशत था जो कि एफ0आर0बी0एम0 ऐक्ट में निर्धारित लक्ष्यों व चौदहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपों (तीन प्रतिशत) के अन्तर्गत था।

वर्ष 2012-13 (₹ 609 करोड़), 2013-14 (₹ 1,530 करोड़) तथा 2014-15 (₹ 1,351 करोड़) की अवधि का प्राथमिक घाटा वर्ष 2015-16 में राजस्व प्राप्तियों में भारी वृद्धि के कारण प्राथमिक अधिशेष (₹ 990 करोड़) में बदल गया।

1.11.2 राजकोषीय घाटे का संघटन एवं इसका वित्तीय स्वरूप

राजकोषीय घाटे के वित्तीय ढांचे में एक रचनात्मक परिवर्तन हुआ है जैसा कि तालिका 1.31 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.31: राजकोषीय घाटे के संघटक तथा इसका वित्तीय ढांचा

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजकोषीय घाटे के संघटक					
1 राजस्व घाटा/अधिशेष	(+) 645 (0.89)	(-) 576 ((-) 0.70)	(-) 1,641 ((-) 1.77)	(-) 1,944 ((-) 1.92)	1,137 (1.03)
2 शुद्ध पूंजीगत व्यय	1,810(2.49)	1,955(2.38)	1,856(2.00)	1,823(1.80)	2,864(2.59)
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	468(0.64)	448(0.54)	514(0.56)	433(0.43)	437(0.40)
4 सकल राज्य घरेलू उत्पाद	72,720	82,294	92,589	1,01,108	1,10,511
राजकोषीय घाटे का वित्तीय ढांचा *					
1 बाजार उधार	922	1,662	1,757	1,631	1,664
2 भारत सरकार से ऋण	(-) 13	71	(-) 6	59	(-) 22
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	127	286	424	904	975
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	(-) 180	(-) 764	173	24	(-) 436
5 लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	636	1,112	887	1,185	718
6 निक्षेप एवं अग्रिम	178	(-) 156	207	504	115
7 उच्चत एवं विविध	(-) 119	756	267	28	(-) 590
8 प्रेषण	(-) 127	(-) 174	(-) 23	12	148
9 अन्य	209	186	325	(-) 147	(-) 407
10 समग्र अधिशेष/घाटा	(-) 1,633	(-) 2,979	(-) 4,011	(-) 4,200	(-) 2,165

कोष्ठकों के आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रतिशत इंगित करते हैं।

*ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरणों/बाह्य प्रवाह का निवल हैं।

स्रोत: वित्त लेखे

उपर्युक्त तालिका 1.31 दर्शाती है कि गत वर्ष की तुलना में 2015-16 के दौरान राजस्व अधिशेष के कारण राजकोषीय घाटा ₹ 2,035 करोड़ घट गया। ₹ 2,165 करोड़ का राजकोषीय घाटा मुख्यतः बाजार

के उधारों (₹ 1,664 करोड़), लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि (₹ 718 करोड़), निक्षेप एवं अग्रिम (₹ 115 करोड़) तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियों (₹ 975 करोड़) के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शुद्ध पूंजीगत व्यय 2011-12 के 2.49 से घटकर वर्ष 2014-15 में 1.8 प्रतिशत रह गया तथापि वर्ष 2015-16 में 2.59 प्रतिशत हो गया।

1.11.3 घाटे/अधिशेष की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात सूचित करता है कि किस सीमा तक उधार ली गई निधियां चालू उपभोग हेतु प्रयुक्त की गईं। इसके अतिरिक्त राजकोषीय घाटे के संदर्भ में राजस्व घाटे का निरन्तर उच्च अनुपात यह भी इंगित करता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार निरन्तर कम हो रहा था तथा उधारों (राजकोषीय देयताएं) का कोई परिसम्पत्ति पूर्तिकर (बैकअप) नहीं है। प्राथमिक घाटे का द्विभाजन वह सीमा इंगित करता है जिस पर पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण घाटा था जो कि राज्य अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता के सुधारार्थ वांछनीय है। 2011-15 के दौरान राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात 0.19 से 0.49 तक था। 2015-16 के दौरान राज्य ने ₹ 1,137 करोड़ का राजस्व अधिशेष अनुभूत किया (परिशिष्ट 1.3)।

2011-16 की अवधि के दौरान सरकार के प्राथमिक घाटे या अधिशेष में परिणत घटकों का द्विभाजन तालिका 1.32 में इंगित है।

तालिका 1.32: प्राथमिक घाटा/अधिशेष-घटकों का द्विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ऋणोत्तर प्राप्ति	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	कुल मूलभूत व्यय (3+4+5)	प्राथमिक राजस्व अधिशेष (2-3)	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+) (2-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
2011-12	14,568	11,768	1,810	493	14,071	2,800	(+) 497
2012-13	15,619	13,804	1,955	469	16,228	1,815	(-) 609
2013-14	15,728	14,871	1,856	531	17,258	857	(-) 1,530
2014-15	18,534	16,938	2,473	474	19,885	1,596	(-) 1,351
2015-16	23,466	19,149	2,864	463	22,476	4,317	(+) 990

इस तालिका से अवलोकित हुआ कि ऋणोत्तर प्राप्ति वर्ष 2011-12 के ₹ 14,568 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 23,466 करोड़ हो गयी जो कि राजस्व लेखे में प्राथमिक व्यय की आवश्यकता पूर्ति हेतु बिल्कुल पर्याप्त थीं लेकिन वे पूंजीगत लेखे के अन्तर्गत व्यय की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2012-13 (₹ 609 करोड़), 2013-14 (₹ 1,530 करोड़) व 2014-15 (₹ 1,351 करोड़) के दौरान प्राथमिक घाटा हुआ। वर्ष 2011-12 व 2015-16 के दौरान ऋणोत्तर प्राप्ति राजस्व व पूंजीगत दोनों ही लेखाओं के अन्तर्गत व्यय की पूर्ति हेतु पर्याप्त थीं जिसके परिणामस्वरूप 2011-12 व 2015-16 में क्रमशः ₹ 497 करोड़ व ₹ 990 करोड़ का प्राथमिक अधिशेष हुआ।

1.12 राज्य वित्त के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

राज्य के वित्त पर वर्ष 2008-09 से अनुगामी वर्षों का प्रतिवेदन तैयार करके राज्य विधान मण्डल में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2012-13 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई से सम्बन्धित टिप्पणी/स्वतः उत्तर प्रस्तुत कर दिए हैं। लोक लेखा समिति द्वारा राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अभी चर्चा की जानी है।

1.13 निष्कर्ष

राज्य ने 2011-12 में राजस्व घाटा खत्म करने के लक्ष्य की लब्धि कर ली थी क्योंकि राज्य राजस्व अधिशेष में पहुँच गया था लेकिन तत्पश्चात् इसे बरकरार नहीं रख सका और 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान समस्त तीनों सूचकों में भारी घाटे की अनुभूति हुई।

वर्ष 2014-15 का ₹ 1,944 करोड़ का राजस्व घाटा वर्ष 2015-16 के दौरान राजस्व व्यय में 13 प्रतिशत की वृद्धि के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में 31 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि के कारण ₹ 1,137 करोड़ के राजस्व अधिशेष में परिवर्तित हो गया।

राजकोषीय घाटा वर्ष 2014-15 में ₹ 4,200 करोड़ से घटकर वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 2,165 करोड़ हो गया और एफ0आर0बी0एम0/चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत निर्धारित सीमा (अर्थात् तीन प्रतिशत) से नीचे सकल राज्य घरेलू उत्पाद (1.96 प्रतिशत) के सापेक्ष रहा। वर्ष 2014-15 में ₹ 1,351 करोड़ का प्राथमिक घाटा चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्रीय अन्तरणों के परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्तियों में भारी वृद्धि के कारण वर्ष 2015-16 में अधिशेष (₹ 990 करोड़) में बदल गया।

वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 23,440 करोड़) गत वर्ष की तुलना में (13.57 प्रतिशत) ₹ 5,597 करोड़ (31.36 प्रतिशत) बढ़ गईं। केवल 37 प्रतिशत प्राप्तियाँ ही कर व कर-भिन्न राजस्व से युक्त राज्य के अपने संसाधनों से आईं जबकि अधिकांश (63 प्रतिशत) राजस्व प्राप्तियाँ केन्द्रीय अन्तरणों (अर्थात् सहायता अनुदान (48 प्रतिशत) व केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (15 प्रतिशत)) से प्राप्त हुईं।

वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य का कुल व्यय (₹ 25,630 करोड़) गत वर्ष (₹ 22,734 करोड़) की तुलना में ₹ 2,896 करोड़ (13 प्रतिशत) बढ़ गया। राजस्व व्यय 2014-15 वर्ष के ₹ 19,787 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,516 करोड़ (13 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 22,303 करोड़ हो गया लेकिन इसी अवधि में कुल व्यय में इसका अंश (87 प्रतिशत) यथावत् रहा। योजनागत राजस्व व्यय (₹ 3,493 करोड़) गत वर्ष (₹ 3,204 करोड़) की तुलना में ₹ 289 करोड़ (9 प्रतिशत) बढ़ गया और विगत पाँच वर्षों में राजस्व व्यय का 12 से 16 प्रतिशत रहा तथापि आयोजनेत्तर राजस्व व्यय 2011-16 वर्षों के दौरान राजस्व व्यय का 84-88 प्रतिशत रहा। वेतन, ब्याज भुगतानों, पेंशनो व उपदानों पर हुए व्यय ने 2011-16 वर्षों की अवधि में निरन्तर वृद्धि दर्शाई और यह वर्ष 2011-12 के ₹ 11,027 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 16,511 करोड़ हो गया जो कि राजस्व व्यय का औसतन 77 प्रतिशत था। कुल व्यय पर पूँजीगत व्यय का अंश 2014-15 के 10.9 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015-16 में 11.2 प्रतिशत बढ़ गया। कुल व्यय पर विकासात्मक व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2014-15 के 64.10 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 65 प्रतिशत हो गयी।

आयोजनेत्तर व्यय का प्रमुख हिस्सा वेतनों, ब्याज अदायगियों तथा पेंशन में रहता है। वेतन एवं पेंशन दोनों मिलकर राजस्व व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक प्रयोग में लाते हैं। ये बड़े पैमाने पर अपरिहार्य हैं। राज्य सरकार आयोजनेत्तर राजस्व व्यय के संघटकों को शामिल करने हेतु उचित उपाय करें ताकि राज्य परिसम्पत्ति निर्माण एवं निरन्तर विकास को जगह देने हेतु राजस्व अधिशेष का रखरखाव किया जा सके।

केन्द्र सरकार के निर्णय कि वर्ष 2014-15 से निधियां राज्य के बजट के माध्यम से हस्तांतरित की जाए के बावजूद भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 364.57 करोड़ की निधियां राज्य कार्यकारी अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित की गईं। राज्य में कोई भी अभिकरण ऐसा नहीं है जो इन निधियों से किए गए व्यय का अनुश्रवण करें तथा किसी भी तरह का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है जो बता सके की इन कार्यकारी अभिकरणों द्वारा वर्ष विशेष में वास्तव में कितना धन खर्च किया गया।

वर्ष 2015-16 के अन्त में कुल ₹ 142.55 करोड़ की निधियाँ 12 अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध थीं।

31 मार्च 2016 तक कम्पनियों/निगमों में निवेशित ₹ 3,041 करोड़ से प्रतिफल नगण्य (₹ 111.94 करोड़) अर्थात् 3.68 प्रतिशत था जबकि सरकार ने अपने उधारों पर 7.89 प्रतिशत औसत ब्याज का भुगतान किया। इस निवेश में निरन्तर हानि वहन करने वाली कम्पनियाँ/निगम भी थे।

वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक की अवधि के लिए ऋण के रूप में विभिन्न ऋणियों/एककों को शर्तों एवं निबन्धनों को अन्तिम रूप दिए बिना ₹ 18.48 करोड़ संस्वीकृत किए गए थे।

चालू वर्ष के अन्त में गत वर्ष की तुलना से 8 प्रतिशत की वृद्धि से ₹ 41,197 करोड़ के राजकोषीय दायित्व थे जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 37 व राजस्व प्राप्तियों के 176 प्रतिशत थे। कुल लोक ऋण में बाजार ऋणों के अन्तिम शेष का हिस्सा 2014-15 के 59 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 60 प्रतिशत हो गया। राज्य द्वारा 7 वर्षों के भीतर 62 प्रतिशत ऋण का भुगतान किया जाना अपेक्षित है जो कि एक आरामदायक स्थिति नहीं है और 'ऋण जाल' की तरफ राज्य को धकेल रही है।

वर्ष 2015-16 के दौरान 32 प्रतिशत उधार पुराने ऋणों को चुकाने में खपे जिससे इन ऋणों के लक्ष्य ही विफल हो गए।

1.14 संस्तुतियां

- (i) राज्य सरकार द्वारा कर व कर-भिन्न राजस्व के संग्रहण में सुधारार्थ तथा राजस्व व्यय को नियन्त्रणार्थ प्रयास किए जाने चाहिए ताकि भारत सरकार व उधार ली गई निधियों पर निर्भरता कम हो सके।
- (ii) इन निधियों की समुचित लेखाबद्धता के लिए कोई व्यवस्था बनानी चाहिए व इनकी प्रभावी प्रयुक्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वैधीकृत अद्यतन सूचना होनी चाहिए।
- (iii) राज्य सरकार को सुधारात्मक कार्रवाई की दृष्टि से अपूर्ण परियोजनाओं के त्वरित पूर्णता हेतु मार्ग दर्शिकाएँ बनानी चाहिए और समय एवं लागत वृद्धि के कारणों का सख्ती से अनुश्रवण करना चाहिए। राज्य सरकार को भारी हानि वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य की समीक्षा करके उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए।

अध्याय-II
वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

अध्याय-II

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 परिचय

2.1.1 विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यार्थ दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोजनों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के दत्तमत एवं प्रभारित व्यय के लेखे विनियोजन लेखे होते हैं। ये लेखे मूल बजट आकलनों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों तथा पुनर्विनियोजनों को पृथक रूप से सूचीबद्ध करते हैं तथा बजट की दोनों प्रभारित व दत्तमत मदों के संबंध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय इंगित करते हैं। इस प्रकार विनियोजन लेखा वित्त के प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधान के अनुश्रवण को सुविधाजनक बनाते हैं इसलिए ये वित्त लेखा के सम्पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि वास्तविक रूप से विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय विनियोजन अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के भीतर है तथा संविधान के प्रावधान के अंतर्गत प्रभारित किए जाने वाले अपेक्षित व्यय के अनुसार प्रभारित किया गया है। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इस प्रकार किया गया व्यय विधि, सम्बंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

लेखापरीक्षा में ध्यान में आई बजट एवं व्यय प्रबन्धन तथा बजट नियमावली के उल्लंघन से सम्बंधित कमियों की अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.2 विनियोजन लेखे का सारांश

वर्ष 2015-16 के दौरान 32 अनुदानों/विनियोजनों के प्रति वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति तालिका 2.1 में दी गई है।

तालिका 2.1: 2015-16 के मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय स्वरूप	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	योग	वास्तविक व्यय	बचत ⁸ (-) / आधिव्यय (+)	अभ्यर्पित राशि	31 मार्च को अभ्यर्पित बचतों का प्रतिशत (कॉलम 7/ कॉलम 6)
	1	2	3	4	5	6	7	8
दत्तमत	I राजस्व	22,296.08	1,450.86	23,746.94	21,561.76	(-) 2,185.18	2,799.16	128
	II पूंजी	2,990.92	289.63	3,280.55	2,883.53	(-) 397.02	452.98	114
	III ऋण एवं अग्रिम	397.49	34.17	431.66	463.16	31.50	106.41	--
कुल दत्तमत		25,684.49	1,774.66	27,459.15	24,908.45	(-) 2,550.70	3,358.55	132
प्रभारित	IV राजस्व	2,998.51	161.26	3,159.77	3,198.94	39.17	29.09	
	V पूंजी	--	40.56	40.56	41.02	0.46	--	
	V लोक ऋण-अदायगी	1,502.77	125.79	1,628.56	3,947.73	2,319.17	--	
कुल प्रभारित		4,501.28	327.61	4,828.89	7,187.69	2,358.80	29.09	
आकस्मिक निधि (अगर कोई है) से विनियोजन			-		-	-	-	-
सकल योग		30,185.77	2,102.27	32,288.04	32,096.14	(-) 191.90	3,387.64	-

स्रोत: विनियोजन लेखे

मूल बजट प्रावधान ₹ 30,185.77 करोड़ था। इसमें ₹ 2,102.27 करोड़ का अनुपूरक अनुदान किया गया जिससे कुल बजट प्रावधान ₹ 32,288.04 करोड़ हो गया। वर्ष 2015-16 के दौरान कुल प्रावधान में से ₹ 32,096.14 करोड़ प्रयुक्त किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 191.90 करोड़ की बचत हुई।

⁸ निधियों के उपयोग में कमी

अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत ₹ 191.90 करोड़ की समस्त बचतें/अप्रयुक्त जो निधियां दर्ज की गईं वो पूंजीगत प्रवर्ग के अन्तर्गत 20 अनुदानों व एक विनियोजन तथा राजस्व प्रवर्ग के 29 अनुदानों व सात विनियोजनों में ₹ 3,040.33 करोड़ (संदर्भ: विनियोजन लेखा का सारांश) में बचतों तथा पूंजीगत प्रवर्ग के अन्तर्गत चार अनुदानों तथा दो विनियोजनों तथा राजस्व प्रवर्ग के तीन अनुदानों तथा दो विनियोजनों में ₹ 2,848.43 करोड़ के आधिक्य (संदर्भ: विनियोजन लेखा का सारांश) के परिणामस्वरूप हुआ। इसमें से ₹ 3,387.64 करोड़ की बचतें अभ्यर्पित की गई थी।

वर्ष के दौरान अनुदान जिनके प्रति ₹ 25 करोड़ से अधिक की सार्थक बचतें पाई गईं उनमें मुख्यतः पुलिस व सम्बद्ध संगठन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन, कृषि, पशुपालन, योजना, वन एवं वन्य जीवन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ग्रामीण विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण, वित्त, जनजातीय विकास एवं अनुसूचित जाति उप-योजना (राजस्व दत्तमत्त), सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता योजना एवं अनुसूचित जाति उप-योजना (पूंजीगत दत्तमत्त) विभाग हैं। इसी प्रकार अनुदान/विनियोजन जिनके प्रति वर्ष 2015-16 के दौरान आवंटनों की तुलना में सार्थक व्यय आधिक्य पाया गया उनमें भू: राजस्व एवं जिला प्रशासन, सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता (राजस्व दत्तमत्त), वित्त (राजस्व प्रभारित), विद्युत विकास (पूंजीगत दत्तमत्त) तथा वित्त (पूंजीगत प्रभारित) विभाग थे।

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश द्वारा संबन्धित नियंत्रण अधिकारियों से बचतों/आधिक्यों के लिए कारण मांगे गये थे (जुलाई 2016) तथापि कारण प्रतीक्षित थे (सितंबर 2016)।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 अधिक व्यय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (3) के अनुसार इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुरूप विधि द्वारा निर्मित विनियोगों को छोड़कर राज्य की समेकित निधि से कोई भी धन प्रत्याहृत नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त उपबन्धों के बावजूद भी बजट प्रावधान से अधिक व्यय 2014-15 के ₹ 1,262.74 करोड़ (79.60 प्रतिशत) से ₹ 1,585.69 करोड़ बढ़कर 2015-16 में ₹ 2,848.43 करोड़ हो गया। जो दर्शाता है कि बजट प्रावधानों की समीक्षा ठीक प्रकार से नहीं की गयी थी। सकल व्यय (₹ 11,529.74 करोड़) अनुमोदित प्रावधान से ₹ 2,847.29 करोड़ बढ़ गया, उन व्यय के ब्यौरे जिनमें से प्रत्येक आठ मामलों में व्यय ₹ एक करोड़ से अधिक व कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत (चार) से भी अधिक बढ़ गया, परिशिष्ट 2.1 में दिये गये हैं।

दोषी विभागों को अधिक व्यय से बचने हेतु सुदृढ़ उपाय करने की आवश्यकता है। अधिक व्यय की अपरिहार्यता का कोई ठोस कारण नहीं है जबकि सरकार को किसी भी वर्ष में विधानमण्डल के तीन सत्रों के दौरान अनुपूरक अनुदान मांगें प्रस्तुत करने के अवसर प्राप्त होते हैं। बजटीय अनुदान की अधिकता खराब योजना, दूरदर्शिता के अभाव तथा बजट आकलनों के साथ-साथ अनुदानों हेतु अनुपूरक मांगों पर असक्षम अनुश्रवण का परिणाम थी।

2.3.1.1 प्रावधानों पर आधिक्य नियमन हेतु अपेक्षित

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार के लिए अनुदान/विनियोजन के आधिक्य को राज्य विधायिका से नियमित करवाना अनिवार्य है। यद्यपि व्यय के नियमन हेतु अनुच्छेद के अंतर्गत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखों पर परिचर्चा पूर्ण होने के उपरांत अधिक व्यय का नियमन किया जाता है। तथापि, 2010-11 से 2014-15 तक के वर्षों का

₹ 5,753.78 करोड़ (परिशिष्ट 2.2) का अधिक व्यय सितम्बर 2016 तक नियमित किया जाना बाकी था। वर्ष 2015-16 के दौरान सात अनुदानों तथा चार विनियोजनों में हुए ₹ 2,848.43 करोड़ (परिशिष्ट 2.3) के अधिक व्यय को भी नियमित किये जाने की आवश्यकता है।

2.3.1.2 निरंतर व्यय आधिक्य

अनुदान संख्या 13-सिंचाई, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के अन्तर्गत राजस्व-दत्तमत्त में 2010-11 (₹ 586.72 करोड़), 2011-12 (₹ 350.71 करोड़), 2012-13 (₹ 285.21 करोड़), 2013-14 (₹ 255.33 करोड़), 2014-15 (₹ 474.07 करोड़) एवं 2015-16 (₹ 184.97 करोड़) के दौरान निरंतर व्यय आधिक्य था।

निरंतर व्यय आधिक्य यह दर्शाता है कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में ठोस प्रयास की कमी थी और वर्षानुवर्ष अधिक व्यय को रोकने के लिए निधियां आवंटित करते समय गत वर्षों की प्रवृत्ति को ध्यान में नहीं रखा गया।

2.3.1.3 प्रावधानरहित व्यय

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार निधियों के प्रावधान के बिना स्कीम/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

तथापि, यह देखा गया कि 27 मामलों में मूल आकलनों/अनुपूरक मांग में बिना किसी प्रावधान तथा इस आशय के किन्हीं पुनर्विनियोजन आदेशों के बिना ₹ 1,430.11 करोड़ का व्यय किया गया जैसाकि **परिशिष्ट 2.4** में ब्योरा दिया गया है।

कुल 27 मामलों में 10 मामले (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ और इससे अधिक) ऐसे थे जहां बिना प्रावधान के किया गया व्यय ₹ 1,427 करोड़ तक बढ़ गया था। अतः विनियोजन के आधिक्य में या विनियोजनरहित व्यय बजट नियन्त्रण तन्त्र में चूक का द्योतक है और अनियमित भी है क्योंकि राज्य विधान-मण्डल से अनुमोदन के बिना व्यय किया गया था।

2.3.1.4 अपर्याप्त/अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान के परिणामस्वरूप बचत/अधिक व्यय

अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोजन, प्राधिकृत मूल अनुदान अथवा विनियोजन का परिवर्धन है। बजट नियमावली के परिच्छेद 170 में विनिर्दिष्ट है कि अनुपूरक विनियोजनों हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया में कड़ी मेहनत सम्मिलित रहती है।

- वर्ष के दौरान आठ मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक) प्राप्त समग्र ₹ 318.46 करोड़ (**परिशिष्ट 2.5**) का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं हुआ।
- सात मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक) प्राप्त ₹ 500.05 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ तथा ₹ 2,805.32 करोड़ (**परिशिष्ट 2.6**) का कुल अनावृत्त आधिक्य व्यय रह गया। अनावृत्त आधिक्य में से वित्त विभाग द्वारा ₹ 2,319.17 करोड़ (83 प्रतिशत) अनुदान संख्या 29-वित्त (पूँजीगत-प्रभारित) में खर्च किया गया।

2.3.2 निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, विनियोजन की एक इकाई से जहां बचतें प्रत्याशित हैं, दूसरी इकाई को जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, अनुदान के अन्तर्गत निधियों का अंतरण है। अविवेकी पुनर्विनियोजन अधिक अथवा अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप 48 उप-शीर्षों (**परिशिष्ट 2.7**) में (प्रत्येक मामले में

₹ एक करोड़ अथवा अधिक) बचतें/आधिक्य हुआ। इनमें से, 11 उप-शीर्षों में (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक) आधिक्य/बचतें हुईं।

2.3.3 व्यय का तीव्र प्रवाह

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के अनुसार व्यय के तीव्र प्रवाह से विशेषकर वित्तीय वर्ष के समापन मास में बचना चाहिए।

इसके विपरीत वर्ष के दौरान 33 उप-शीर्षों में ₹ 10 करोड़ या अधिक का व्यय जिसमें कुल व्यय का 50 प्रतिशत या अधिक सम्मिलित है मार्च 2016 के महिने में किया गया था (परिशिष्ट 2.8)। मुख्य शीर्षों, जहां व्यय ₹ 10 करोड़ या 50 प्रतिशत से अधिक या तो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही अथवा अंतिम मास के दौरान किया गया, का ब्यौरा तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत में व्यय के तीव्र प्रवाह के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष (दत्तमत/प्रभारित)	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2016 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1.	4210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	85.84	60.26	70	50.02	58
2.	4851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	46.79	27.35	58	26.76	57
3.	4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	147.13	100.71	68	77.55	53
4.	4202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	57.00	37.10	65	30.34	53
5.	2217-शहरी विकास	233.25	129.57	56	71.24	31
6.	5054-सड़कों व पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	195.02	101.92	52	87.71	45
योग		765.03	456.91		343.62	

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय द्वारा संकलित सूचना।

2.3.4 आवंटित प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोजन

विनियोजन लेखापरीक्षा के परिणाम से उद्घाटित हुआ कि 35 मामलों में से नौ मामलों में बचतें (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ व अधिक तथा कुल प्रावधान से 20 प्रतिशत या अधिक) बढ़ गईं (परिशिष्ट 2.9)। कुल ₹ 3,040.33 करोड़ की बचतों में से ₹ 2,383.39 करोड़ (78 प्रतिशत) की बहुत अधिक बचतें जो सात अनुदानों से सम्बन्धित (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक) थीं जैसा कि तालिका 2.3 में इंगित किया गया है।

तालिका 2.3: ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें (प्रतिशत)	स्कीमें जहां बहुत अधिक बचतें हुईं
1	2	3	4	5	6
राजस्व दत्तमत					
1.	08-शिक्षा	4,710.22	3,634.00	1,076.22(23)	मिडल स्कूल: 396.10; माध्यमिक पाठशाला: 167.38; महाविद्यालय: 117.91
2.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,507.32	1,140.51	366.81(24)	शहरी स्वास्थ्य: 59.75; ग्रामीण स्वास्थ्य: 89.49; रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण: 13.54; राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रावधान: 148.16

1	2	3	4	5	6
3.	20-ग्रामीण विकास	1,185.07	976.33	208.74(18)	एकीकृत जल विभाजन प्रबंधन कार्यक्रम: 65.72; इन्दिरा आवास योजना: 41.10; राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान: 33.73
4.	29-वित्त	4,113.40	3,884.46	228.94(6)	01-11-1966 से भुगतान: 134.25; स्वावलम्बन स्कीम के अंतर्गत पेंशन अंशदान: 10.00
5.	31-जनजातीय विकास	838.01	714.62	123.39(15)	शहरी विकास: 8.10; राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन: 8.67; सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण: 7.25; अवसंरचना सुविधाएं: 6.62; बंजर क्षेत्र विकास: 5.56; जनजातीय क्षेत्रों को हेल्थीकॉम्प्लेक्स की सुविधा: 5.75
पूँजीगत दत्तमत्त					
6.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	561.17	290.59	270.58(48)	राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम: 81.88; स्थापना पर व्यय: 46.56; वसूली के समायोजन हेतु रखरखाव का प्रावधान: 36.43; जलापूर्ति एवं स्वच्छता (प्रचालन): 33.60; त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत उठाऊ सिंचाई स्कीम: 31.98
7.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	688.53	579.82	108.71(16)	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: 12.67; सर्व शिक्षा अभियान: 11.67; सामाजिक कल्याण (एकीकृत बाल विकास सेवाएं): 10.31; राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कृषि): 9.46; पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि: 8.46
योग		13,603.72	11,220.33	2,383.39	

स्रोत: विनियोजन लेखे
कोष्ठक के आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।

इन अनुदानों में ऐसी बड़ी बचतें कमजोर बजटीय तंत्र को दर्शाती हैं। राज्य सरकार द्वारा अधिक मात्रा में बचतों (उपयोग में कमी) के कारण नहीं बताए गए थे (सितम्बर 2016)।

2.3.4.1 निरंतर बचतें

गत पांच वर्षों के दौरान सात मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या इससे अधिक) निरंतर बचतें थी, जैसा कि तालिका 2.4 में वर्णित किया गया है।

तालिका 2.4: 2011-16 के दौरान निरंतर बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	बचत की राशि				
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व दत्तमत्त						
1.	03-न्याय प्रशासन	15.96	14.78	16.71	4.52	12.53
2.	08-शिक्षा	205.11	119.99	342.46	385.37	1,076.22
3.	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	9.43	6.89	13.44	11.61	31.40
4.	20-ग्रामीण विकास	75.07	72.69	60.04	109.86	208.74
पूँजीगत-दत्तमत्त						
5.	29-वित्त	1.67	5.07	4.52	5.49	5.20
6.	31-जनजातीय विकास	12.55	8.54	45.42	7.17	17.38
7.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	2.39	61.22	83.63	9.27	108.71

स्रोत: विनियोग लेखे

निरंतर बचतें दर्शाती हैं कि विभागों में बजटीय नियंत्रण प्रभावशाली नहीं था तथा चालू वर्ष के लिए निधियां आवंटित करते समय विगत वर्षों की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया था।

2.3.4.2 अधिक मात्रा में अभ्यर्पण

स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन न करने अथवा धीमें कार्यान्वयन से 144 उप-शीर्षों (परिशिष्ट 2.10 तथा 2.11) के सम्बंध में अधिक मात्रा में अभ्यर्पण (मामले जहां कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्पित किया गया) किये गये थे। ₹ 1,480.55 करोड़ राशि के कुल प्रावधान में से ₹ 1,125.83 करोड़ (76 प्रतिशत) अभ्यर्पित किये गये थे जिसमें 83 स्कीमों (₹ 385.80 करोड़) (परिशिष्ट 2.11) में शत-प्रतिशत अभ्यर्पण किया गया था। 83 स्कीमों में से मुख्यतः अनुदान संख्या 20-ग्रामीण विकास के अंतर्गत 'राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (केन्द्र प्रायोजित स्कीम) (₹ 33.73 करोड़)', अनुदान संख्या 13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता के अंतर्गत 'नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना (केन्द्र प्रायोजित स्कीम) (₹ 23.01 करोड़)' 'त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना (₹ 31.98 करोड़)' के अंतर्गत विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई स्कीम, अनुदान संख्या 32-अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत 'दौलतपुर से गगरेट पुल और इसकी सहायिकाएं (IV) बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वान का चैनलाइजेशन (₹ 20.28 करोड़)' तथा अनुदान संख्या 14-पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्यकी के अंतर्गत 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (₹ 16.45 करोड़)' के अंतर्गत अभ्यर्पण किये गए थे।

इसके अतिरिक्त, 42 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या इससे अधिक) में 31 मार्च 2016 तक ₹ 3,135.63 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया था (परिशिष्ट 2.12)। मार्च 2016 के अंतिम कार्य दिवस पर निधियों का अभ्यर्पण अपर्याप्त वित्तीय नियन्त्रण को इंगित करता है जिसके परिणामस्वरूप जरूरतमंद क्षेत्रों में अन्य विकासशील उद्देश्यों के लिए निधियों की प्रयुक्ति नहीं हुई।

2.3.4.3 प्रत्याशित बचतों का अभ्यर्पण न करना

हिमाचल प्रदेश बजट नियम-पुस्तिका (अध्याय 11 का परिच्छेद 11.2) के अनुसार सभी बचतें, जब कभी प्रत्याशित हों, व्यय करने वाले विभाग द्वारा 15 जनवरी तक वित्त विभाग को अवश्य अभ्यर्पित की जानी चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि निम्नलिखित अनुदानों में ₹ 1,212.49 करोड़ की कुल बचतों में से केवल ₹ 1,123.59 करोड़ अभ्यर्पित किये गये थे जैसाकि तालिका 2.5 में वर्णित है।

तालिका 2.5: अभ्यर्पित न किए गए ₹ एक करोड़ एवं अधिक की बचत के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई
राजस्व-दत्तमत्त				
1.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	366.81	353.90	12.91
2.	19-सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	47.43	46.68	0.75
3.	21-सहकारिता	8.45	8.21	0.24
4.	29- वित्त	228.94	176.06	52.88
5.	31- जनजातीय विकास	123.38	116.24	7.14
6.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	31.81	27.81	4.00
पूंजीगत-दत्तमत्त				
7.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल तथा भवन	3.80	--	3.80
8.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	270.58	269.51	1.07
9.	29- वित्त	5.20	4.98	0.22
10.	31- जनजातीय विकास	17.38	14.48	2.90
11.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	108.71	105.72	2.99
	योग	1,212.49	1,123.59	88.90

जैसाकि तालिका 2.5 से स्पष्ट है, बचतों की बड़ी राशि के बावजूद मुख्यतः अनुदान संख्या 29-वित्त: ₹ 52.88 करोड़ और 09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण: ₹ 12.91 करोड़ (राजस्व-दत्तमत्त) के अंतर्गत पर्याप्त अभ्यर्पण नहीं किये गए थे। इसके अतिरिक्त अनुदान संख्या 10-लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन और 32-अनुसूचित जाति उप-योजना के अन्तर्गत भी बड़ी बचतों के बावजूद अभ्यर्पण नहीं किये गये थे।

2.4 व्यक्तिगत निक्षेप लेखों का परिचालन

व्यक्तिगत निक्षेप लेखों को समेकित निधि को डेबिट द्वारा सृजित किया जाता है और उसे समेकित निधि में सम्बद्ध सेवा शीर्षों के शेष को माइनस डेबिट द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में बन्द किया जाना चाहिए। कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना से उद्घाटित हुआ कि राज्य सरकार द्वारा इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। उपर्युक्त की अवमानना में 15 जिला कोषों में 113 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में थे। तथापि, 2015-16 के दौरान कोई व्यक्तिगत निक्षेप लेखा न तो खोला गया और न ही बंद किया गया। 31 मार्च 2016 तक (परिशिष्ट 2.13) इन 113 लेखों में ₹ 231.42 करोड़ पड़े शेष की स्थिति निम्नवत् है:

- वर्ष के दौरान ₹ 231.31 करोड़ के शेष वाले 80 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में थे।
- 2010-11 से ₹ 0.11 करोड़ की राशि के तीन व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में नहीं थे।
- शून्य शेष वाले 30 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में थे।

वित्तीय वर्ष के अन्त के बाद व्यक्तिगत निक्षेप लेखा में निधियां रखने के चलन से निधियों के दुरुपयोग होने का जोखिम रहता है। अतः इससे बचने की आवश्यकता है तथा व्यक्तिगत निक्षेप लेखा में पड़े अव्ययित शेषों को जांच-पड़ताल के पश्चात् समेकित निधि में वापिस हस्तांतरित करने की आवश्यकता है।

2.5 चयनित अनुदान की समीक्षा का परिणाम

दो नमूना जांच किये गए अनुदानों यथा अनुदान संख्या 09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा अनुदान संख्या 20-ग्रामीण विकास के सम्बंध में बजट प्रक्रिया तथा व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई थी (अगस्त 2016) और समीक्षा के दौरान पाये गये प्रमुख बिन्दुओं का विवरण निम्नवत् है:

2.5.1 बजट एवं व्यय

2015-16 के दौरान अनुदान के अन्तर्गत निधियों के आवंटन एवं किये गये व्यय की पूर्ण स्थिति तालिका 2.6 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.6: 2015-16 के दौरान निधियों के आवंटन एवं किए गए व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	शीर्ष	कुल अनुदान	किया गया व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-)
09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व प्रवर्ग	1,507.31	1,140.50	(-) 366.81
	पूंजी प्रवर्ग	101.33	95.32	(-) 6.01
	कुल	1,608.64	1,235.82	(-) 372.82
20-ग्रामीण विकास	राजस्व प्रवर्ग	1,185.66	976.92	(-) 208.74
	पूंजी प्रवर्ग	5.46	5.46	--
	कुल	1,191.12	982.38	(-) 208.74

स्रोत: विनियोजन लेखे

तालिका 2.6 में देखा गया कि अनुदान संख्या 09 के अंतर्गत ₹ 1,608.64 करोड़ (राजस्व प्रवर्ग: ₹ 1,507.31 करोड़ तथा पूंजी प्रवर्ग: ₹ 101.33 करोड़) के बजट प्रावधान के प्रति ₹ 1,235.82 करोड़

(राजस्व प्रवर्ग: ₹ 1,140.50 करोड़ तथा पूंजी प्रवर्ग: ₹ 95.32 करोड़) का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 372.82 करोड़ (23 प्रतिशत) की बचतें हुई। इसी तरह, अनुदान संख्या 20 के अंतर्गत ₹ 1,185.66 करोड़ (राजस्व प्रवर्ग) के प्रावधान के प्रति ₹ 208.74 करोड़ की राशि अप्रयुक्त रही तथा ₹ 976.92 करोड़ का व्यय किया गया था जो दर्शाता है कि बजट आकलन वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किये गए थे।

2.5.2 अवास्तविक बजट प्रावधान

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा दर्शाती है कि वर्ष 2015-16 के दौरान अनुदान संख्या 09 व 20 के अन्तर्गत विभागों ने या तो अवास्तविक बजट प्रावधान किया या फिर राशि का समय से संवितरण/अभ्यर्पण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप 17 मामलों/उप-शीर्षों में (अनुदान संख्या 09:15 एवं अनुदान संख्या 20:02) ₹ 36.76 करोड़ की बचत (प्रत्येक मामले में ₹10 लाख या अधिक) हुई (परिशिष्ट 2.14)। यह भी देखा गया कि अनुदान संख्या 20 के अन्तर्गत उप-शीर्ष 2505-02-101-03 में किए गए प्रावधान ₹ 20 करोड़ (पुनर्विनियोजन द्वारा आहरण: ₹ 0.51 करोड़ एवं बचत: ₹ 19.49 करोड़) का उपयोग नहीं किया गया।

2.5.3 पुनर्विनियोजन द्वारा अत्यधिक बजट प्रावधान का आहरण

मार्च 2016 में, अनुदान संख्या 09 के अन्तर्गत 8 लघु शीर्षों/स्कीमों में ₹ 20.20 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या अधिक) एवं अनुदान संख्या 20 के अन्तर्गत दो लघु-शीर्षों/स्कीमों में ₹ 22.81 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या अधिक) का पुनर्विनियोजन, कुल मिलाकर ₹ 43.01 करोड़ के अत्यधिक बजटीय प्रावधान का पुनर्विनियोजन द्वारा आहरित किया गया जिससे बजट बनाने एवं व्यय पर नियन्त्रण की प्रक्रिया क्षीण हुई (परिशिष्ट 2.14)।

2.5.4 अवास्तविक पुनर्विनियोजन के कारण बजट प्रावधानों से आधिक्य

2015-16 के दौरान, अनुदान संख्या 09 (परिशिष्ट 2.14) के लघु-शीर्षों/स्कीमों के अन्तर्गत ₹ 149.84 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या अधिक) के प्रावधान के प्रति ₹ 13.37 करोड़ का पुनर्विनियोजन अवास्तविक सिद्ध हुआ क्योंकि ₹ 4.36 करोड़ का पुनर्विनियोजन आधिक्य सिद्ध हुआ। प्रावधान से अधिक व्यय ₹ 4.36 करोड़ को नियमितकरण कराने की आवश्यकता है।

2.5.5 अपर्याप्त मूल/अनुपूरक प्रावधान

विभाग द्वारा अनुदान संख्या 09, 2059-रख-रखाव व मरम्मत के अन्तर्गत ₹ 2.94 करोड़ के अपेक्षित/वास्तविक व्यय के प्रति केवल ₹ एक हजार राशि का मामूली मूल प्रावधान किया गया। विभाग द्वारा अवास्तविक प्राक्कलन के ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किए गए।

2.5.6 निधियों का अभ्यर्पण

वर्ष 2015-16 के दौरान, अनुदान संख्या 09-स्वास्थ्य के राजस्व प्रवर्ग के अन्तर्गत ₹ 1,507.31 करोड़ के प्रावधान के प्रति ₹ 1,140.50 करोड़ का व्यय हुआ, परिणामस्वरूप ₹ 366.81 करोड़ की बचत हुई (तालिका 2.6)। इसी तरह, अनुदान संख्या 20-ग्रामीण विकास के अन्तर्गत ₹ 1,185.66 करोड़ के प्रावधान के प्रति ₹ 976.92 करोड़ का व्यय हुआ तथा ₹ 208.74 करोड़ की राशि अप्रयुक्त रही। तथापि, विभाग ने ₹ 359.90 करोड़ व ₹ 208.52 करोड़ अभ्यर्पित (मार्च 2016) किया जो अभ्यर्पित राशि से क्रमशः ₹ 6.91 करोड़ व ₹ 0.22 करोड़ कम था।

इस प्रकार, ₹ 6.91 करोड़ व ₹ 0.22 करोड़ का कम अभ्यर्पण कमजोर वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है तथा निधियों के अनुपयोगिता को भी बढ़ावा देता है जिन्हें अन्य विकासात्मक कार्यों/स्कीमों पर उपयोग किया जा सकता था।

2.5.7 बजटीय विवरणों को देरी से प्रस्तुत करना

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार विभागाध्यक्ष से वित्त विभाग को बजट प्राक्कलन तथा आधिक्य एवं अभ्यर्पण की विवरणी क्रमशः 01 अक्टूबर एवं 15 जनवरी तक या वित्तीय वर्ष की समाप्ति से काफी समय पहले प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। तथापि, यह पाया गया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बजट प्राक्कलन 12 जनवरी 2015 को प्रस्तुत की गई थी जिसके फलस्वरूप 104 दिनों की देरी हुई। इसी तरह, यह भी पाया गया कि स्वास्थ्य विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2015-16 की आधिक्य एवं अभ्यर्पण की विवरणी क्रमशः 5 मई 2016 व 3 मई 2016 को प्रस्तुत की थी जिसके फलस्वरूप क्रमशः 106 व 104 दिनों की देरी हुई। जो यह दर्शाता है कि विभागों द्वारा बजट आकलन तथा आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणी को प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सारणी का अनुसरण नहीं किया गया था।

सहायक नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा) ने (सितम्बर 2016) देरी का कारण विभिन्न क्षेत्रीय इकाईयों से व्यय विवरणी की प्राप्ति में लगा समय बताया। उत्तर विभाग में आन्तरिक नियन्त्रण में कमी को दर्शाता है।

2.6 कोषों के निरीक्षण के परिणाम

2.6.1 पेंशन लाभों की अधिक अदायगी

वर्ष 2014-15 हेतु कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा जिला कोषों/कोषों/उप-कोषों के निरीक्षण के दौरान (2015-16 के दौरान) पेंशन भुगतान अभिलेखों की नमूना जांच दर्शाती है कि 10 जिला कोषाधिकारियों तथा एक कोषाधिकारियों ने 22 पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों को ₹ 22.03 लाख तक का अधिक भुगतान किया जैसाकि तालिका 2.7 में विवरण दिया गया है। सम्बन्धित पेंशनरों की पेंशन को कम न करने/पेंशन के रूपांतरित भाग की शीघ्र बहाली एवं निर्धारित अवधि के बाद पारिवारिक पेंशन का भुगतान के कारण अधिक भुगतान हुआ था।

तालिका 2.7: वर्ष 2014-15 के दौरान (2015-16 में जारी किए गए प्रतिवेदन) पेंशन लाभों का अधिक भुगतान (रूपांतरण/पारिवारिक पेंशन के सम्बन्ध में)

क्रमांक	जिला कोषागार/कोषागार/उप-कोषागार का नाम	अधिक भुगतान का स्वरूप	मामलों की संख्या	भुगतान		
				बैंक द्वारा	कोषागार द्वारा	कोषागार वार योग (₹ लाख में)
1.	जिला कोषागार, बिलासपुर	रूपांतरण	2	--	कोषागार द्वारा	0.39
2.	जिला कोषागार, चम्बा	पारिवारिक पेंशन	1	--		1.66
3.	जिला कोषागार, किन्नौर स्थित रिकांगपिओ	रूपांतरण	1	--	कोषागार द्वारा	0.05
4.	जिला कोषागार, कुल्लू	पारिवारिक पेंशन	2	--	कोषागार द्वारा	0.77
5.	जिला कोषागार, केलांग	रूपांतरण	2	--	कोषागार द्वारा	2.34
6.	कोषागार, काजा	रूपांतरण	2	--	कोषागार द्वारा	0.16
7.	जिला कोषागार, मंडी	पारिवारिक पेंशन	5	--	कोषागार द्वारा	1.76
8.	जिला कोषागार, शिमला (ओ)	पारिवारिक पेंशन	1	--	कोषागार द्वारा	4.89
9.	जिला कोषागार, सिरमौर स्थित नाहन	पारिवारिक पेंशन	2	--	कोषागार द्वारा	6.62
		पारिवारिक पेंशन	2	--	कोषागार द्वारा	0.37
10.	जिला कोषागार, सोलन	पारिवारिक पेंशन	1	--	कोषागार द्वारा	2.65
11.	जिला कोषागार, ऊना	रूपांतरण	1	--	कोषागार द्वारा	0.37
योग			22			22.03

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा तैयार किया गया वर्ष 2015-16 हेतु हिमाचल प्रदेश में कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन।

2.7 निष्कर्ष

वर्ष 2015-16 के दौरान अनुदानों/विनियोजन के अंतर्गत दर्ज ₹ 191.90 करोड़ की समग्र बचत, ₹ 3,040.33 करोड़ के बचत (महत्वपूर्ण अनुदानों जैसे शिक्षा एवं ग्रामीण विकास के अन्तर्गत) तथा ₹ 2,848.43 करोड़ के आधिक्य से प्रतिसंतुलित का शुद्ध परिणाम था। अनुच्छेद 205 के अनुसार 2010-11 से 2015-16 की अवधि से सम्बन्धित ₹ 7,904.32 करोड़ का अधिक व्यय राज्य विधान सभा द्वारा नियमितिकरण हेतु अपेक्षित था।

15 उप-शीर्षों में ₹ 818.51 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक/अपर्याप्त सिद्ध हुआ क्योंकि या तो व्यय मूल प्रावधान के बराबर भी नहीं हुआ या फिर सकल असम्बन्धित अधिक व्यय हुआ। 48 उप-शीर्षों में (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) निधियों का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण तरीके से किया गया जिसके फलस्वरूप बचत/आधिक्य हुआ। 42 मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ₹ 3,135.63 करोड़ अभ्यर्पित किए गए। 83 मामलों/उप-शीर्षों में ₹ 385.80 करोड़ की अनुदान राशि का शत-प्रतिशत अभ्यर्पण हुआ।

छः मामलों में वर्ष के चौथे व अंतिम तिमाही के दौरान 52 व 70 प्रतिशत के मध्य व्यय हुआ तथा केवल मार्च 2016 के दौरान इन लेखा-शीर्षों के अन्तर्गत कुल व्यय का 31 से 58 प्रतिशत तक व्यय हुआ।

2.8 संस्तुतियां

- (i) नियन्त्रण/संवितरण अधिकारी आवश्यकता के अनुरूप आवंटित निधि की उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए संस्वीकृत आवंटन के प्रति व्यय प्रवाह की उचित एवं नियमित निगरानी करें। वे मासिक व्यय नियन्त्रण/निगरानी तंत्र को भी विशेष रूप से सुदृढ़ करें।
- (ii) बड़े पैमाने पर बचत/आधिक्य, वर्ष की समाप्ति पर पुनर्विनियोजन व अभ्यर्पण रोकने के लिए सभी विभागों को व्यय की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए वास्तविक बजट प्राक्कलन प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए ताकि वे प्रभावी तरीके से दूसरे क्षेत्रों/स्कीमों में उपयोग किए जा सकें।
- (iii) राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही/महीनों में व्यय की अत्यधिकता को रोकने के लिए उपयुक्त तंत्र बनाना चाहिए।

अध्याय-III
वित्तीय विवरण

अध्याय - III

वित्तीय विवरण

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना सहित ठोस आन्तरिक वित्तीय विवरण राज्य सरकार के कुशल तथा प्रभावी शासन को महत्वपूर्ण सहयोग देता है। इस प्रकार ऐसी अनुपालनाओं की प्रास्थिति पर विवरण की सामयिकता तथा गुणवत्ता के साथ-साथ वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व दिशासूचकों की अनुपालना सफल शासन के गुणों में से एक है। अनुपालना एवं नियन्त्रणों पर विवरण, यदि प्रभावी व परिचालनात्मक है, राज्य सरकार को अनुकूल योजना तथा निर्णय लेने सहित मूल प्रबंधकता उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में सहयोग देता है। यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व दिशासूचकों सहित राज्य सरकार की अनुपालना के विहंगावलोकन तथा स्थिति को उपलब्ध करवाता है।

3.1 प्रयुक्त प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से विशिष्ट उद्देश्यार्थ अनुदानों के प्रयुक्त प्रमाणपत्र प्राप्त किये जाने चाहिए तथा सत्यापन के बाद इन्हें संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को प्रेषित किया जाना चाहिए, जब तक कि अन्य प्रकार से विनिर्दिष्ट हो। तथापि, मार्च 2016 तक ₹ 4,543.56 करोड़ के अनुदानों व ऋणों के सम्बंध में देय 38,273 प्रयुक्त प्रमाणपत्रों में से ₹ 2,225.40 करोड़ (49 प्रतिशत) की कुल राशि के 2,944 (8 प्रतिशत) प्रयुक्त प्रमाणपत्र लम्बित थे। बकाया प्रयुक्त प्रमाणपत्रों का विभाग-वार ब्यौरा परिशिष्ट 3.1 में दिया गया है तथा प्रयुक्त प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में अवधि-वार विलम्ब तालिका 3.1 में सारांशित किया गया है।

तालिका 3.1: 31 मार्च 2016 तक प्रयुक्त प्रमाणपत्रों का अवधि-वार बकाया

क्रमांक	विलम्बावधि (संख्या वर्षों में)	प्रदत्त कुल अनुदान		बकाया प्रयुक्त प्रमाणपत्र	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	0 - 1	22,734	2,156.18	1,706	1,343.18
2.	1 - 3	13,222	1,715.00	1,028	657.90
3.	3 - 5	983	307.38	204	205.03
4.	5 - 7	1,102	324.64	6	19.29
5.	7 - 9	232	40.36	--	--
योग		38,273	4,543.56	2,944	2,225.40

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश

लम्बित प्रयुक्त प्रमाणपत्र मुख्यतः ग्रामीण विकास (1,411 प्रयुक्त प्रमाणपत्र: ₹ 1,357.06 करोड़), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (443 प्रयुक्त प्रमाणपत्र: ₹ 36.18 करोड़), चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य (202 प्रयुक्त प्रमाणपत्र: ₹ 116.83 करोड़), कला एवं संस्कृति (147 प्रयुक्त प्रमाणपत्र: ₹ 1.01 करोड़), वन (112 प्रयुक्त प्रमाणपत्र: ₹ 11.86 करोड़), शिक्षा विभाग (104 प्रयुक्त प्रमाणपत्र: ₹ 43.85 करोड़), सहकारिता (104 प्रयुक्त प्रमाणपत्र: ₹ 1.72 करोड़), कृषि (103 प्रयुक्त प्रमाणपत्र: ₹ 232.73 करोड़), पशुपालन (71 प्रयुक्त प्रमाणपत्र: ₹ 86.28 करोड़), उद्योग (57 प्रयुक्त प्रमाणपत्र: ₹ 18.50 करोड़), शहरी विकास (46 प्रयुक्त प्रमाणपत्र: ₹ 203.76 करोड़), पर्यटन (37 प्रयुक्त

प्रमाणपत्र: ₹ 55.26 करोड़) से सम्बन्धित थे। प्रयुक्त प्रमाणपत्रों की अनुपलब्धता की स्थिति में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि अनुदानों को प्राप्तकर्ताओं द्वारा उस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त कर लिया गया था जिसके लिए वे दिये गये थे।

3.2 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने तथा पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधान सभा के समक्ष रखने में विलम्ब

राज्य सरकार द्वारा बहुत से स्वायत्त निकायों का गठन किया गया है। राज्य में 14 स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा सौंपने, लेखापरीक्षा को लेखे प्रस्तुत करने, पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को जारी करने तथा इसको विधानसभा पटल पर रखने की प्रास्थिति को परिशिष्ट 3.2 में इंगित किया गया है।

वर्ष 2014-15 के लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, शिमला के लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए थे। अब तक, अन्य निकायों के सम्बंध में विलम्ब एक से छः मास के मध्य था। अगस्त 2016 तक वर्ष 2015-16 के लिए 14 निकायों के लेखे उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। लेखों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब करने से वित्तीय अनियमितताओं के न पकड़े जाने का जोखिम रहता है इसीलिए लेखों को अन्तिम रूप दिये जाने तथा लेखापरीक्षा के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होती है।

लेखापरीक्षा द्वारा जिला न्यायिक सेवा प्राधिकरण, शिमला के वर्ष 2012-13 तक के पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा सभी स्वायत्त निकायों (राज्य पशु चिकित्सा परिषद्, शिमला को छोड़कर) के वर्ष 2013-14 तक के पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को जारी कर दिया गया था। राज्य पशु चिकित्सा परिषद्, शिमला की पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 तक जारी कर दी गई थी। वर्ष 2015-16 के लिए सभी 14 निकायों के पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखाओं के उपलब्ध न करवाने के कारण लम्बित थे।

3.3 प्रदत्त अनुदानों/ऋणों के ब्यौरे का अप्रस्तुतीकरण

संस्थाओं/संगठनों जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 14 तथा 15 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा आकृष्ट करते हैं, को पहचानने के लिए सरकार/विभागाध्यक्षों से प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा को विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता, प्रदत्त सहायता का उद्देश्य तथा संस्थाओं के कुल व्यय से संबंधित विस्तृत सूचना उपलब्ध करवाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन, 2007 में प्रावधान है कि सरकारें तथा विभागाध्यक्ष जो निकायों अथवा प्राधिकरणों को अनुदान और/या ऋण की संस्वीकृति देते हैं, ऐसे निकायों अथवा प्राधिकरणों, जिन्हें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कुल ₹ 10 लाख या अधिक के अनुदान और/या ऋण दिए गए थे, का विवरण प्रतिवर्ष जुलाई के अंत में लेखापरीक्षा कार्यालय को भेजेंगे जिसमें (क) सहायता की राशि, (ख) उद्देश्य जिसके लिए सहायता संस्वीकृत की गई थी तथा (ग) निकाय अथवा प्राधिकरण के कुल व्यय को इंगित किया गया हो।

अगस्त 2016 तक वर्ष 2015-16 के लिए 4 विभागों/स्वायत्त निकायों⁹ (कुल 20 विभागों/स्वायत्त निकायों में से) ने इस तरह का ब्यौरा प्रस्तुत किया था। इस कारण से शेष मामलों में लेखापरीक्षा

⁹ शिक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा सोसायटी); भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग (हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी, शिमला); तकनीकी शिक्षा विभाग (व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण) तथा स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियम (कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम को कार्यान्वित करने हेतु सोसायटी)।

विधानसभा/सरकार को उनके द्वारा संस्वीकृत/अदा किए गए अनुदानों के ढंग जिसमें उनका उपयोग किया गया है, विशेष रूप से गैर-विचलन तथा सही उपयोग के मामले पर आश्वासन देने में असमर्थ था।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश के समक्ष उपर्युक्त विवरण प्रस्तुत नहीं करने के कारण निकायों/संस्थाओं की लेखापरीक्षा क्षेत्र के अंतर्गत लाने के लिए पहचान नहीं की जा सकी थी, जिसके परिणामस्वरूप राज्य की समेकित निधि में से दिये गए ऐसे ऋणों एवं अनुदानों में से व्यय की परिशुद्धता एवं औचित्य पर लेखापरीक्षा राय व्यक्त करने हेतु लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी।

3.4 दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि

विगत वर्षों के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दुर्विनियोजन हानियों, चोरी, आदि के मामलों के संबंध में वर्णन किया गया है। इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा सितम्बर 2016 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2015-16 के दौरान भी स्थिति यथावत रही।

जून 2015 तक राज्य सरकार ने ₹ 78.70 लाख के सरकारी धन से अन्तर्ग्रस्त दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि के 47 मामलों को सूचित किया जिन पर अन्तिम कार्रवाई लम्बित थी। इनमें से 41 मामले पांच साल से अधिक पुराने थे। लम्बित मामलों का विभाग-वार ब्यौरा तथा अवधि-वार विश्लेषण परिशिष्ट 3.3 तथा इन मामलों का स्वरूप परिशिष्ट 3.4 में दिया गया है। लम्बित मामलों की अवधि-रूपरेखा तथा प्रत्येक श्रेणी में लम्बित मामलों की संख्या 'चोरी एवं दुर्विनियोजन/हानि' जो इन परिशिष्टों से उजागर हुई को तालिका 3.2 में सारांशित किया गया है।

तालिका 3.2: दुर्विनियोजन/हानियों एवं चोरी की रूपरेखा

लम्बित मामलों की अवधि रूपरेखा			लम्बित मामलों का स्वरूप		
वर्षों में अवधि	मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (₹ लाख में)	मामलों का स्वरूप/लक्षण	मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (₹ लाख में)
0 - 5	06	6.08	चोरी	12	12.09
5 - 10	07	10.48			
10 - 15	10	42.97			
15 - 20	09	12.51			
20 - 25	02	3.12	दुर्विनियोजन/सामग्री की हानि	35	66.61
25 व इससे ऊपर	13	3.54			
योग	47	78.70			
			योग	47	78.70

आगे का विश्लेषण इंगित करता है कि बकाया मामलों के कारणों का वर्गीकरण तालिका-3.3 में सूचीबद्ध श्रेणियों में किया जा सकता है।

तालिका 3.3: दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि के बकाया मामलों के कारण

विलम्बन/बकाया मामलों के कारण		मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
i)	विभागीय एवं आपराधिक जांच के लिए प्रतीक्षित	15	17.37
ii)	वसूली अथवा बट्टे खाते में डालने हेतु आदेशों के लिए प्रतीक्षित	14	8.05
iii)	न्यायालय में लम्बित	06	27.30
iv)	वसूली की गई/बट्टे खाते में डाले गए लेकिन लोक लेखा समिति से अंतिम निपटान के लिए प्रतीक्षित	12	25.98
योग		47	78.70

3.5 अस्थायी अग्रिम का असमायोजन

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 में प्रावधान है कि कार्यालय अध्यक्ष या अन्य कोई प्राधिकृत अधिकारी वस्तुओं की खरीद अथवा सेवाएं किराये पर लेना अथवा अन्य किसी विशेष उद्देश्य हेतु सरकारी सेवक को इस शर्त पर अग्रिम संस्वीकृत करे कि समायोजन बिल, शेष सहित यदि कोई है, सम्बंधित सरकारी सेवक द्वारा अग्रिम आहरण के पंद्रह दिन के भीतर जमा करवाएगा।

अभिलेखों की नमूना जांच तथा विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से उजागर हुआ कि 31 मार्च 2016 तक, 2011-12 से 2015-16 की अवधि से संबंधित छः विभागों द्वारा कुल ₹ 34.38 करोड़ के 104 मामले उनके अभिलेखों में उसी वित्त वर्ष में समायोजन वाउचरों के प्रस्तुत न किये जाने के कारण समायोजन हेतु लम्बित थे।

लम्बित अग्रिमों का अवधि-वार विश्लेषण तालिका 3.4 में दिया गया है।

तालिका 3.4: मार्च 2016 तक लम्बित अग्रिमों के मामलों का अवधि वार विश्लेषण

क्रमांक	विभाग	लम्बित वर्ष	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	निदेशक, आयुर्वेद	2011-12	09	349.08
		2012-13	14	413.74
		2013-14	12	485.78
		2014-15	18	348.13
		2015-16	18	312.50
2.	युवा सेवाएं एवं खेल (निदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान, मनाली)	2012-13	01	0.29
3.	निदेशक, महिला एवं बाल विकास	2014-15	01	0.20
4.	निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले	2013-14	01	0.50
5.	निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2012-13	01	35.00
		2013-14	09	66.37
		2014-15	13	1,398.33
6.	निदेशक, भाषा, कला एवं संस्कृति	2014-15	1	18.20
		2015-16	6	9.60
योग			104	3,437.72

अग्रिमों की अवसूली/असमायोजन संबंधित विभागों में प्रभावी आंतरिक नियन्त्रण के न होने को इंगित करता है।

3.6 निष्कर्ष

प्रयुक्त प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में अधिक विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप अनुदानों की उचित प्रयुक्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, सरकारी धन की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि आदि की ₹ 78.70 लाख की राशि के 47 मामलों के निपटान के प्रति सरकारी अनुपालना लम्बी अवधि से लम्बित थी। ₹ 34.38 करोड़ के अस्थायी अग्रिमों के प्रति समायोजन सितम्बर 2016 तक प्रतीक्षित था।

3.7 संस्तुतियां

राज्य सरकार अनुदानी संस्थानों को अवमुक्त अनुदानों के सम्बंध में उपयोगिता प्रमाणपत्रों को समय पर प्रस्तुत करना तथा लेखापरीक्षा की सुविधा हेतु स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखा समय पर तैयार एवं प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। चोरी, दुर्विनियोजन एवं हानि से सम्बंधित मामलों के तीव्रता से समायोजन सुनिश्चित किये जाने के लिए एक प्रभावी एवं समयबद्ध तंत्र प्रतिष्ठापित करने की आवश्यकता है।

शिमला

दिनांक: 02 दिसम्बर 2016

राम मोहन जौहरी

(राम मोहन जौहरी)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 13 दिसम्बर 2016

शशि कान्त शर्मा

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

राज्य रूपरेखा

क सामान्य आंकड़े

क्रमांक	विवरण	आंकड़े
1.	क्षेत्रफल	55,673 वर्ग कि०मी०
2.	जनसंख्या	
	क जनगणना (2001) के अनुसार	0.61 करोड़
	ख जनगणना (2011) के अनुसार 2015 (अनुमान)	0.69 करोड़ 0.71 करोड़
3	(क) जनसंख्या घनत्व (2001) (अखिल भारतीय घनत्व =325 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०) (ख) जनसंख्या घनत्व (2011) (अखिल भारतीय औसत=382 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०)	109 व्यक्ति/वर्ग कि०मी० 123 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०
4	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत= 30%)	10.90%
5	(क) साक्षरता (2001) (अखिल भारतीय औसत= 64.8%) (ख) साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत= 73%)	76.50% 82.80%
6	(क) शिशु मृत्यु दर (2013) (अखिल भारतीय शिशु मृत्यु दर = 39) (ख) जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (2009-13) (अखिल भारतीय औसत = 67.5)	32 70.5
7	गिनी गुणांक (2009-10) (शहरी-ग्रामीण जनसंख्या) (क) ग्रामीण (अखिल भारतीय औसत = 0.29) (ख) शहरी (अखिल भारतीय औसत = 0.38)	0.31 0.40
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2015-16	1,10,511
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (2006-07 से 2015-16)	15.47 (एस.सी.एस: 16.26)

ख वित्तीय आंकड़े

संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर		2006-07 से 2014-15		2011-12 से 2014-15		2014-15 से 2015-16	
		सभी विशेष श्रेणी राज्य *	हिमाचल प्रदेश	सभी विशेष श्रेणी राज्य *	हिमाचल प्रदेश	सभी विशेष श्रेणी राज्य *	हिमाचल प्रदेश
क	राजस्व प्राप्तियाँ	13.54	10.84	11.86	7.05	11.45	31.37
ख	कर राजस्व	15.47	17.31	11.17	13.08	19.80	12.73
ग	कर-भिन राजस्व	5.62	5.69	(-) 0.75	2.81	(-) 18.75	-11.73
घ	कुल व्यय	15.10	12.63	14.99	11.96	2.73	12.74
ड.	पूँजीगत व्यय	12.38	10.53	11.63	10.96	(-) 6.26	15.81
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय	17.28	15.07	14.92	10.86	1.24	1.42
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	18.14	12.21	14.91	7.78	20.65	30.26
ज	वेतन एवं मजदूरी	16.86	13.50	12.53	10.64	5.19	-2.90
झ	पेंशन	19.48	15.63	16.76	9.54	16.65	31.64

स्रोत: वित्त लेखे एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, भारत की जनगणना सूचना (2011), गरीबी को माप के लिए पद्धति की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समूह (रंगराजन) का प्रतिवेदन, योजना आयोग (जून 2014), एस आर एस बुलेटिन (सितम्बर 2014), आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश एवं केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

* जम्मू और कश्मीर को छोड़कर

परिशिष्ट-1.1

भाग-क

सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप

सरकारी लेखों की संरचना: राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है (i) समेकित निधि; (ii) आकस्मिकता निधि; तथा (iii) लोक लेखा।

भाग I: समेकित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, खजाना बिलों को जारी करके जुटाए गए समस्त ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के चुकाने से प्राप्त समस्त धन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत स्थापित “राज्य की समेकित निधि” नामक एक समेकित निधि होगी।

भाग II: आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के अधिकार में रखे गए अग्रदाय के रूप में है, जो उसे विधानमण्डल द्वारा लम्बित प्राधिकरण हेतु आवश्यक अनपेक्षित व्यय को वहन करने के लिए अग्रिमों को देने हेतु समर्थ बनाती है। समेकित निधि से ऐसे व्यय और समकक्ष राशि के आहरण हेतु विधानमण्डल का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है, तत्पश्चात् अग्रिमों की आकस्मिकता निधि से निधि को पूर्ति की जाती है।

भाग III: लोक लेखा: लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, निक्षेपों, उचन्त, जमाओं आदि जैसे कुछ लेन-देनों के सम्बन्ध में प्राप्तियों तथा संवितरणों, जो कि समेकित निधि का भाग नहीं होते, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत गठित लोक लेखा में रखे जाते हैं तथा इन पर राज्य विधानमण्डल द्वारा मत नहीं दिया जाता है।

परिशिष्ट-1.1

भाग-ख: वित्त लेखे की रूपरेखा

वर्ष 2015-16 के लिए वित्त लेखे को दो खण्डों-खण्ड I व II में विभाजित किया गया है। खण्ड I सरकार की वित्तीय विवरणियों को सारांशित रूप में दर्शाता है जबकि खण्ड II विस्तृत वित्तीय विवरणी को दर्शाता है। वित्त लेखे को बनाने की रूपरेखा निम्नांकित ढंग से की गई है:

रूपरेखा	
खण्ड-I	
विवरणी 1	वित्तीय स्थिति की विवरणी
विवरणी 2	प्राप्तियों एवं संवितरणों की विवरणी अनुलग्नक-क: रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश
विवरणी 3	प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)
विवरणी 4	व्यय की विवरणी (समेकित निधि)
विवरणी 5	प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी
विवरणी 6	उधारों एवं अन्य देयताओं की विवरणी
विवरणी 7	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों व अग्रियों की विवरणी
विवरणी 8	सरकार के निवेशों की विवरणी
विवरणी 9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी
विवरणी 10	सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों की विवरणी
विवरणी 11	दत्तमत व प्रभारित व्यय की विवरणी
विवरणी 12	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों और उपयोग की विस्तृत विवरणी
विवरणी 13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश
	लेखा टिप्पणियाँ
खण्ड-II	
भाग I: विस्तृत विवरणियाँ	
विवरणी 14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 15	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी
विवरणी 16	लघु शीर्षों एवं उप-शीर्षों द्वारा पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी
विवरणी 17	उधारों एवं अन्य देयताओं की विस्तृत विवरणी
विवरणी 18	सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रियों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 19	सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 20	सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 21	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा लेन-देनों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 22	चिन्हित निधियों के निवेशों की विस्तृत विवरणी
भाग II: परिशिष्ट	
I	मुख्य शीर्षों द्वारा वेतन पर तुलनात्मक व्यय
II	उपदान पर तुलनात्मक व्यय
III	सहायता अनुदान/राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता (स्कीमवार व संस्थावार)
IV	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण

V	योजनागत स्कीम व्यय क- केन्द्रीय स्कीमे (केन्द्र प्रायोजित स्कीमें तथा केन्द्रीय योजना स्कीमें) ख- राज्य योजना स्कीमें
VI	राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय स्कीम निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट से बाहर निधियां)
VII	विवरणी 18 एवं 21 में दर्शाये अंत शेष के संबंध में शेषों की स्वीकृति एवं मिलान
VIII	सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम
IX	सरकार की प्रतिबद्धताएं-अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों की सूची
X	वेतन एवं गैर-वेतन भाग के पृथक्करण के साथ अनुरक्षण व्यय
XI	वर्ष के दौरान सरकार के प्रमुख नीति निर्णयों के निहितार्थ या भावी नकद प्रवाह हेतु प्रस्तावित नई स्कीमें
XII	भविष्य में राज्य की प्रतिबद्ध देयताएं

परिशिष्ट-1.2

भाग-क

राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्य पद्धति

वित्त लेखों की विवरणियों से 2011-16 की अवधि में प्रकट हुई प्राप्तियों तथा व्यय के मुख्य राजकोषीय पूर्ण योगों की प्रवृत्ति का, जहां कहीं भी आवश्यक था, विश्लेषण किया गया तथा उनके व्यवहार पर अभ्युक्तियों की गई हैं। राज्य के वित्त की पुनर्संरचना योजना में तेरहवें वित्तायोग ने कुछ राजकोषीय योगों के लिए मानकों/सीमा की सिफारिश की तथा अन्य के लिए मानकीय प्रक्षेपण भी बनाया। इसके अतिरिक्त, तेरहवें वित्तायोग ने यह भी सिफारिश की कि सभी राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में संशोधन करें ताकि राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार किया जा सके जैसा कि मध्यम से दीर्घकालीन अवधि को आवृत्त करते हुए उनके सम्बद्ध राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों/नियमावलियों में निर्दिष्ट किया गया था। राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में की गई प्रतिबद्धताओं/प्रक्षेपणों सहित राजकोषीय योगों हेतु इसके प्रक्षेपणों के साथ तेरहवें वित्तायोग द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/सीमाओं तथा अधिनियम के अंतर्गत विधानसभा में प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित अन्य विवरणियों में चालू वर्ष के दौरान मुख्य राजकोषीय योगों की प्रवृत्तियों एवं प्रतिमान का गुणात्मक आकलन करने के लिए उपयोग किया गया है। यह मानते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का एक अच्छा सूचक है, मुख्य राजकोषीय योगों जैसे कर एवं कर-भिन्न राजस्व, राजस्व तथा पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को चालू बाजार दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद को प्रतिशतता के रूप में दर्शाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रतिनिधित्व आधार के संदर्भ में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, राजस्व व्यय इत्यादि के लिए उत्प्लावकता गुणांक का यह निर्धारण, कि क्या संसाधनों की गतिशीलता, व्यय का तरीका इत्यादि आधार में परिवर्तन के साथ गति रख रहे हैं अथवा इन राजकोषीय योगों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अतिरिक्त कारकों द्वारा भी प्रभावित किया गया है, करने के लिए भी संगणित किया गया है। 2011-12 को आधार के रूप में मानते हुए नई सकल राज्य घरेलू उत्पाद श्रृंखला को जैसा कि राज्य सरकार के निदेशक, आर्थिक तथा सांख्यिकी द्वारा प्रकाशित किया गया है, इन प्रतिशतताओं और उत्प्लावकता दरों का आकलन करने में उपयोग किया गया है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

विगत पांच वर्षों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	72,720	82,294	92,589	1,01,108	1,10,511
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	--	13.16	12.51	9.20	9.30

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार एवं केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

राजकोषीय योगों की प्रवृत्ति एवं प्रतिमान के निर्धारणार्थ प्रयोग किए गए कुछ चयनित शब्दों की परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

शब्द	गणना आधार
पैरामीटर की उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर
अन्य पैरामीटर (वाई) के संबंध में पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	$[(\text{चालू वर्ष की राशि/विगत वर्ष की राशि})-1] * 100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(विगत वर्ष के राजकोषीय देयताओं की राशि+चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)2]* 100
बकाया ऋणों के प्रति प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(अथ शेष + ऋणों तथा अग्रिमों के अंतशेष)2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण व अग्रिम-राजस्व प्राप्तियां-विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज अदायगियां
चालू राजस्व से शेष	राजस्व प्राप्तियां घटा मुख्य शीर्ष 2048-ऋण के बचाव को कम करने के लिए विनियोजन के अन्तर्गत दर्ज व्यय को छोड़कर समस्त योजनागत अनुदानों तथा गैर-योजनागत राजस्व व्यय

परिशिष्ट-1.2

भाग-ख

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा संशोधित)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2005 में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया जिसको 2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा पुनः संशोधित किया गया ताकि राजस्व घाटे में प्रगामी कमी द्वारा राजकोषीय प्रबन्धन तथा राजकोषीय स्थिरता में विवेकशीलता, राजकोषीय धारणीयता के साथ विवेकी ऋण प्रबन्धन समरूपता, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता तथा मध्यावधि ढांचे में राजकोषीय नीति के संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथानिर्धारित राजकोषीय प्रबन्धन सिद्धान्तों को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम में राज्य सरकार हेतु निम्नवत् राजकोषीय लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है:

- राजस्व घाटे को खत्म करना तथा राजस्व अधिशेष को बनाए रखना;
- राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत अथवा उससे कम करना;
- वित्तीय वर्ष 2015-16 तक बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 35.42 प्रतिशत तक कम करना।
- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति के 40 प्रतिशत से कम दीर्घावधि ऋण पर बकाया जोखिम भारित गारण्टियों को बनाए रखना जिसके लिए वास्तविक आंकड़े वित्त लेखे के अनुसार उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 7 को भी संशोधित किया गया जिसमें परिकल्पित है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत सुव्यवस्थित राजकोषीय सुधार पथ की समीक्षा व अनुश्रवण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र तंत्र स्थापित किया जाएगा।

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ: परिच्छेद 1.3, 1.6.1, 1.9.2 तथा 1.11.3; पृष्ठ: 7, 15, 25 व 32)

राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
भाग-क: प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	14,543	15,598	15,711	17,843	23,440*
(i) कर राजस्व	4,108 (28)	4,626 (30)	5,121 (33)	5,940(33)	6,696 (29)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,477 (60)	2,728 (59)	3,141 (61)	3,661(62)	3,993 (60)
राज्य आबकारी	707 (17)	810 (18)	952 (19)	1,044(18)	1,131 (17)
वाहनों पर कर	176 (4)	196 (4)	208 (4)	220(4)	317 (05)
स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	155 (4)	173 (4)	188 (4)	190(3)	206 (03)
विद्युत पर कर एवं शुल्क	185 (5)	262 (6)	191 (4)	333(5)	551(8)
भू-राजस्व	18 (1)	24 (-)	10 (-)	17(-)	7(-)
माल व यात्रियों पर कर	94 (2)	101 (2)	105 (2)	110(2)	115 (02)
अन्य कर	296 (7)	332 (7)	326 (6)	365(6)	376(5)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	1,915 (13)	1,377 (9)	1,785 (11)	2,081(12)	1,837 (08)
(iii) संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश	1999 (14)	2,282(14)	2,491 (16)	2,644(15)	3,611 (15)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	6,521 (45)	7,313 (47)	6,314 (40)	7,178(40)	11,296 (48)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	--	--	--	650	--
3. ऋणों व अग्रिमों की वसूलियां	25	21	17	41	26
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	14,568	15,619	15,728	18,534	23,466
5. लोक ऋण प्राप्तियां	1,984	3,371	4,050	10,877	6,129
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	1,904 (96)	3,239 (96)	3,362(83)	3,892 (36)	4,294 (70)
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	--	--	629(16)	6,860 (63)	1,785 (29)
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	80 (4)	132 (4)	59(1)	125(1)	50 (01)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	16,552	18,990	19,778	29,411	29,595**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	--	--	--	--	--
8. लोक लेखा प्राप्तियां	9,237	9,146	10,300	10,575	11,515
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	25,789	28,136	30,078	39,986	41,110
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	13,898	16,174	17,352	19,787	22,303
योजनागत	1,701 (12)	2,079 (13)	2,387 (14)	3,204(16)	3,493(16)
आयोजनेत्तर	12,197(88)	14,095 (87)	14,965 (86)	16,583(84)	18,810(84)
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	5,690 (41)	6,618 (41)	7,047 (41)	7,604(38)	8,788(39)
सामाजिक सेवाएं	5,147 (37)	6,131 (38)	6,706 (39)	7,451(38)	7,980 (36)
आर्थिक सेवाएं	3,049 (22)	3,418 (21)	3,590 (20)	4,723(24)	5,525 (25)
सहायता अनुदान व अंशदान	12 (--)	7 (-)	9 (-)	9(-)	10 (-)
11. पूंजीगत व्यय	1,810	1,955	1,856	2,473	2,864
योजनागत	1,764 (97)	1,859 (95)	1,815 (98)	2,431(98)	2,568(90)
आयोजनेत्तर	46 (3)	96 (5)	41 (2)	42(2)	296(10)
सामान्य सेवाएं	73 (4)	74 (4)	81 (4)	83(3)	88(3)
सामाजिक सेवाएं	372 (21)	436 (22)	478 (26)	522(21)	792(28)
आर्थिक सेवाएं	1,365 (75)	1,445 (74)	1,297 (70)	1,868(76)	1,984(69)
12. ऋण व अग्रिमों का संवितरण	493	469	531	474	463
13. योग (10+11+12)	16,201	18,598	19,739	22,734	25,630

* ₹ 23,440.48 करोड़

** ₹ 29,595.59 करोड़

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
14. लोक ऋण की चुकौतियाँ	1,128	2,117	1,704	8,260	3,948
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	1,034	2,056	1,467	1,410	1,557
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	--	--	172	6,783	2,320
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	94	61	65	67	71
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	--	--	--	--	--
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	17,329	20,715	21,443	30,994	29,578
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	--	--	--	--	--
18. लोक लेखा संवितरण	8,526	8,285	9,227	8,844	10,577
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	25,855	29,000	30,670	39,838	40,155
भाग ग. घाटा/अधिशेष					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	(+) 645	(-) 576	(-) 1,641	(-) 1,944	1,137 ¹⁰
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-) 1,633	(-) 2,979	(-) 4,011	(-) 4,200	(-) 2,165
22. प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (21+23)	(+) 497	(-) 609	(-) 1,530	(-) 1,351	990
भाग घ: अन्य आंकड़े					
23. ब्याज अदायगियाँ (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2,130	2,370	2,481	2,849	3,155
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	981	1,203	1,438	2,156	2,612
25. प्राप्त किए गए (दिवस) अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष	--	--	11	125	31
प्राप्त किए गए (दिवस) अर्थोपाय अग्रिम	--	--	10	77	25
प्राप्त किए गए (दिवस) अधिविकर्ष	--	--	01	48	06
26. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष पर ब्याज	--	--	0.11	14.80	6.40
27 सकल राज्य घरेलू उत्पाद	72,720	82,294	92,589	1,01,108	1,10,511
	(--)	(13.16)	(12.51)	(9.20)	(9.30)
28 बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्षान्त)	28,228	30,442	33,884	38,192	41,197
29. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्षान्त) (ब्याज सहित)	3,316	3,353	4,333	4,281	3,714
30. प्रत्याभूति अधिकतम राशि (वर्षान्त)	6,208	9,455	9,316	9,316	9,658
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	13	12	12	13	12
32. अपूर्ण परियोजनाओं में पूंजी अवरोधन	930	115	130	141	143
भाग ड: राजकोषीय स्थिरता सूचक					
I संसाधन गतिशीलता (अनुपात)					
स्वकीय कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
स्वकीय कर-भिन्न राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
केन्द्रीय अंतरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.12	0.12	0.10	0.10	0.13
II व्यय प्रबन्धन (अनुपात)					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.24	0.24	0.23	0.24	0.23
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	1.11	1.19	1.26	1.27	1.09
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.86	0.86	0.88	0.87	0.87
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.34	0.35	0.36	0.35	0.34
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.27	0.26	0.25	0.29	0.29
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.11	0.11	0.09	0.11	0.11
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.11	0.10	0.09	0.11	0.11

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
III राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन (अनुपात)					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.42	0.40	0.39	0.40	0.37
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्ति	1.94	1.95	2.16	2.14	1.76
IV अन्य राजकोषीय स्थिरता सूचक					
निवेश पर प्रतिफल (₹ करोड़)	85.65	100.09	103.42	170.99	111.94
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़)	(-) 1,529	(-) 3,284	(-) 3,544	(-) 4,719	1,858
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं (अनुपात)	0.70	0.70	0.68	0.67	0.72
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा (अनुपात)	*	0.19	0.41	0.46	*
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.04	0.02	0.008	0.008	0.04
राजस्व व्यय: मूल पैरामीटर					
कुल व्यय (₹ करोड़)	16,201	18,598	19,739	22,734	25,630
कुल व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	1.50	14.80	6.14	15.17	12.74
राजस्व व्यय (₹ करोड़)	13,898	16,174	17,352	19,787	22,303
राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-) 0.34	16.38	7.28	14.03	12.72
आयोजनेतर राजस्व व्यय (₹ करोड़)	12,197	14,095	14,965	16,583	18,810
आयोजनेतर राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-) 0.79	15.56	6.17	10.81	13.43
योजनागत राजस्व व्यय (₹ करोड़)	1,701	2,079	2,387	3,204	3,493
योजनागत राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	2.97	22.22	14.81	34.23	9.02
आयोजनेतर राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	18.36	18.48	17.43	17.35	17.02
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	85.78	86.97	87.91	87.04	87.02
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	75.29	75.79	75.81	72.94	73.39
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में योजनागत राजस्व व्यय	10.50	11.18	12.09	14.09	13.63
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	83.87	90.36	95.25	92.94	80.25
राजस्व व्यय की तुलना में आयोजनेतर राजस्व व्यय की प्रतिशतता	87.76	87.15	86.24	83.81	84.34
राजस्व व्यय की तुलना में योजनागत राजस्व व्यय	12.24	12.85	13.76	16.19	15.66
के साथ राजस्व व्यय की उत्लावकता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	(-) 0.02	1.11	0.58	1.24	1.37
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	(-) 0.02	2.26	10.11	1.03	0.41
आयोजनेतर राजस्व व्यय (अनुपात)	(-) 0.43	1.05	1.18	1.30	0.95
योजनागत राजस्व व्यय (अनुपात)	(-) 0.12	0.74	0.49	0.41	1.41

कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े प्रत्येक उप-शीर्ष के कुल की प्रतिशतता (पूर्णांकित) दर्शाते हैं।

*राजस्व अधिशेष है अतः आंकड़ों की गणना नहीं की गई।

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1.1; पृष्ठ: 2)

भाग-क: वर्ष 2015-16 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां				संवितरण					
	2014-15	2015-16		2014-15	2015-16				
					गैर-योजनागत	योजनागत	जोड़		
प्रवर्ग-क राजस्व									
I-राजस्व प्राप्तियां		17,843.45	23,440.48	I-राजस्व व्यय	19,787.05	18,810.18	3,492.63	22,302.81	22,302.81
(i) कर राजस्व	5,940.16		6,695.81	सामान्य सेवाएं	7,603.65	8,734.43	54.03	8,788.46	
(ii) कर-भिन राजस्व	2,081.45		1,837.15	सामाजिक सेवाएं	7,451.52	6,035.50	1,944.42	7,979.92	
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों का रान्यांश	2,644.17		3,611.17	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	4,143.87	3,330.89	801.27	4,132.16	
(iv) गैर योजनागत अनुदान	1,199.03		8,524.32	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,237.18	847.34	452.82	1,300.16	
(v) रान्य योजना स्कीमों हेतु अनुदान	4,332.60		755.52	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	1,061.51	1,035.26	231.98	1,267.23	
(vi) केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु अनुदान	1,646.04		2,016.51	सूचना एवं प्रसारण	29.33	30.32	0.33	30.65	
				अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	55.13	10.24	47.12	57.36	
				श्रम एवं श्रम कल्याण	92.51	90.13	13.33	103.46	
				सामाजिक कल्याण एवं पोषण	794.65	679.35	392.29	1,071.64	
				अन्य	37.34	11.97	5.28	17.26	
				आर्थिक सेवाएं	4,722.75	4,030.29	1,494.18	5,524.47	
				कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	1,526.96	834.48	719.86	1,554.34	
				ग्रामीण विकास	895.66	399.57	605.40	1,004.97	
				सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	359.95	328.92	8.77	337.69	
				ऊर्जा	407.54	972.22	0.30	973	
				उद्योग एवं खनिज	76.99	40.04	31.45	71.49	
				परिवहन	1,352.74	1,407.86	71.26	1,479.12	
				विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	6.69	2.66	4.92	7.58	
				सामान्य आर्थिक सेवाएं	96.22	44.07	52.21	96.28	
				सहायता अनुदान एवं अंशदान	9.13	9.96	-	9.96	
योग		17,843.45	23,440.48	योग	19,787.05	18,810.18	3,492.63	22,302.81	
II-प्रवर्ग-ख में लाया गया राजस्व घटा				II-खण्ड-ख को लाया गया राजस्व अधिशेष	(-)1,943.60			1,137.67	1,137.67
योग		17,843.45	23,440.48	योग	17,843.45			23,440.48	

प्राप्तियां				संवितरण						
		2014-15	2015-16			2014-15	2015-16			
							गैर-योजनागत	योजनागत	जोड़	
प्रवर्ग- ख-पूंजीगत										
III- स्थायी अग्रिमों एवं रोकड़ शेष निवेश सहित अथ रोकड़ शेष		(-) 887.30	(-) 739.32	III- भारतीय रिज़र्व बैंक से अथ अधिविकर्ष						
IV- विविध पूंजीगत प्राप्तियां	650.00		--	IV- पूंजीगत परिव्यय		2,472.89	296.15	2,568.34	2,864.49	2,864.49
				सामान्य सेवाएं		82.81	0.75	87.76	88.51	
				सामाजिक सेवाएं		521.97	110.80	681.23	792.03	
				शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति		130.96	72.00	227.29	299.29	
				स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		62.27	-	117.23	117.23	
				जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास		309.92	35.47	318.92	354.39	
				सूचना एवं प्रसारण		1.25	0.33	0.65	0.98	
				अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		9.69	-	6.63	6.63	
				सामाजिक कल्याण एवं पोषण		7.83	3.00	9.91	12.91	
				अन्य		0.05	-	0.60	0.60	
				आर्थिक सेवाएं		1,868.11	184.60	1,799.35	1,983.95	
				कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप		33.31	(-) 4.45	52.45	48.00	
				अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम		0.63	-	4.61	4.61	
				सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण		506.08	25.00	117.21	142.21	
				ऊर्जा		308.23	-	265.00	265.00	
				उद्योग एवं खनिज		39.26	20.00	44.94	64.94	
				परिवहन		892.74	144.05	1,183.09	1,327.14	
				सामान्य आर्थिक सेवाएं		87.86	-	132.05	132.05	
				योग		2,472.89	296.15	2,568.34	2,864.49	
V- ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां		40.56	25.90	V- संवितरित ऋण एवं अग्रिम		474.19			463.17	463.17
विद्युत परियोजनाओं से	-		-	विद्युत परियोजनार्थ		404.11	-	412.26		
सरकारी कर्मचारियों से	9.40		8.46	सरकारी कर्मचारियों को		7.27	-	13.42		
सहकारिता से	28.24		15.16	सहकारिता को		44.29	-	-		
अन्य से	2.92		2.28	अन्य को		18.52	-	37.49		
VI- अग्रणित राजस्व अधिशेष		(-) 1,943.60	1,137.67	VI- अग्रणित राजस्व घाटा						

प्राप्तियां				संवितरण					
2014-15		2015-16		2014-15		2015-16			
						गैर-योजनागत	योजनागत	जोड़	
VII-लोक ऋण प्राप्तियां		10,876.88		6,129.21	VII-लोक ऋण की अदायगी	8,259.82			3,947.73
अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	3,891.27		4,294.29		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	1,410.64		1,557.22	
अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन-देन	6,680.30		1,785.40		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अंतर्गत निवल लेन-देन	6,782.62		2,319.18	
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	125.31		49.52		केन्द्रीय सरकार को ऋणों एवं अग्रिमों की अदायगी	66.56		71.33	
VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोजन		-		-	VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोजन				-
IX-आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि				-	IX-आकस्मिकता निधि से व्यय				-
X- लोक लेखा प्राप्तियां		10,574.80		11,515.45	X-लोक लेखा संवितरण	8,843.76			10,577.29
लघु बचतें एवं भविष्य निधियां	3,152.87		3,115.93		लघु बचतें एवं भविष्य निधियां	1,967.70		2,397.50	
आरक्षित निधियां	160.73		235		आरक्षित निधियां	159.04		244.14	
निक्षेप एवं अग्रिम	2,221.67		2,408.35		निक्षेप एवं अग्रिम	1,717.82		2,293.49	
उच्चत एवं विविध	487.07		617.00		उच्चत एवं विविध	458.64		650.54	
प्रेषण	4,552.46		5,139.17		प्रेषण	4,540.55		4,991.62	
XI- भारतीय रिज़र्व बैंक से अंतशेष अधिविकर्ष					XI-अंत में रोकड़ शेष	(-) 739.32			216.23
					खजानों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	-		-	
					स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	0.19		0.19	
					रिज़र्व बैंक के पास निक्षेप	(-) 739.51		(-) 340.76	
					रोकड़ शेष निवेश	-		556.80	
योग:		19,311.34		18,068.91	योग:	19,311.34			18,068.91

परिशिष्ट-1.4

(सन्दर्भ: परिच्छेद 1.1.1 तथा 1.9.1; पृष्ठ: 2 व 24)

भाग-ख: 31 मार्च 2016 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

परिसम्पत्तियां	31 मार्च, 2015 तक	31 मार्च, 2016 तक	
स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय-	24,244.38		27,108.86
कम्पनियों, निगमों, आदि के शेयरों में निवेश	2,731.65	3,040.64	
अन्य पूंजीगत परिव्यय	21,512.73	24,068.22	
ऋण तथा अग्रिम-	2,346.81		2,784.07
विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	2,122.49	2,534.74	
अन्य विकास ऋण	187.54	207.58	
सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	36.78	41.75	
आरक्षित निधि निवेश			
रोकड़ -	(-) 739.32		216.33
खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	--	--	
भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षेप	(-) 887.49	(-) 340.76	
विभागीय रोकड़ शेष	0.16	0.16	
स्थायी अग्रदाय	0.03	0.03	
रोकड़ शेष निवेश	--	556.80	
प्राप्तियों की तुलना में व्यय का संचयी आधिक्य*	12,857.75		11,720.08
योग	38,709.62		41,829.24

* प्राप्तियों की तुलना में व्यय का संचयी आधिक्य भिन्न है, न कि चालू वर्ष हेतु राजकोषीय/राजस्व घाटे हैं।

दायित्व	31 मार्च, 2015 तक	31 मार्च, 2016 तक	
आंतरिक ऋण	24,657.64		26,860.93
ब्याज वाले बाजार ऋण	15,195.97	16,860.42	
ब्याजरहित बाजार ऋण	--	--	
भारतीय जीवन एवं सामान्य बीमा निगम से ऋण	137.65	98.67	
नाबार्ड से ऋण	1,735.10	1,931.10	
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	62.87	81.48	
केन्द्र सरकार की एन0एस0एस0एफ0 को जारी विशेष प्रतिभूतियां	6,675.64	7,650.79	
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	7.02	--	
अन्य संस्थाओं से ऋण	843.39	238.46	
केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम-	1,070.88		1,049.05
आयोजनेतर ऋण	5.53	4.85	
राज्य योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	1,065.22	1,044.07	
केन्द्रीय योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	--	--	
केन्द्र प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	--	--	
अन्य ऋण	0.13	0.13	
आकस्मिकता निधि	5.00		5.00
लघु बचतें, भविष्य निधि, आदि	9,921.47		10,639.90
निक्षेप एवं अग्रिम	2,312.81		2,427.68
आरक्षित निधियां	228.48		219.32
उच्च एवं विविध शेष	297.46		263.91
प्रेषण शेष	215.88		363.45
योग	38,709.62		41,829.24

परिशिष्ट-1.5

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1.4; पृष्ठ: 4)

लिंग बजटीकरण

1. मार्च 2016 के अंत तक 100 प्रतिशत आवंटन की सीमा तक महिलाओं के लाभार्थ स्कीमों का बजटीय आवंटन

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	स्कीम का नाम	परिव्यय अंतर्गत			व्यय अंतर्गत	
		केन्द्र अंश	राज्य अंश	योग	केन्द्र अंश	राज्य अंश
1	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	--	5.66	5.66	--	5.20
2	जागृति अभियान	--	0.15	0.15	--	0.15
3	विधवा पुनर्विवाह	--	0.71	0.71	--	0.71
4	राज्य गृह	--	0.45	0.45	--	0.43
5	राज्य महिला आयोग	--	0.77	0.77	--	0.74
6	मदर टेरेसा	--	8.60	8.60	--	6.04
7	विशेष महिला उत्थान योजना	--	0.90	0.90	--	0.90
8	बलात्कार पीड़ितों को वित्तीय सहायता	--	0.50	0.50	--	0.50
9	महिला विकास निगम	--	1.22	1.22	--	1.22
10	महिलाओं के लिए स्वरोजगार	--	0.10	0.10	--	0.10
11	माता शबरी सशक्तिकरण योजना	--	0.66	0.66	--	0.66
12	सबला पोषण	9.09	3.71	12.80	9.09	3.71
13	सबला गैर-पोषण	0.47	0.05	0.52	0.49	--
14	महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केन्द्र	0.32	--	0.32	0.02	--
15	इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना	5.37	0.22	5.59	3.30	--
16	किशोरी शक्ति योजना	0.55	0.06	0.61	0.18	--
17	बेटी है अनमोल योजना	--	9.46	9.46	0	9.46
18	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	0.42	--	0.42	0.34	--
	योग	16.22	33.22	49.44	13.42	29.82

2. मार्च 2016 के अंत तक महिलाओं के लाभार्थ स्कीमों को आंशिक बजटीय आवंटन

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	स्कीम का नाम	परिव्यय अंतर्गत			व्यय अंतर्गत	
		केन्द्र अंश	राज्य अंश	योग	केन्द्र अंश	राज्य अंश
1	एकीकृत बाल विकास स्कीम (सामान्य)	178.36	17.48	195.84	154.67	13.94
2	एकीकृत बाल विकास स्कीम (प्रशिक्षण)	1.64	0.30	1.94	1.64	0.20
3	विशेष पोषण कार्यक्रम	37.07	18.70	55.77	37.07	18.70
4	प्रतिपालक परिचर्या कार्यक्रम एवं बाल/बालिका सुरक्षा योजना	0.40	0.13	0.53	0.40	0.13
5	मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना	-	3.59	3.59	-	3.08
6	एकीकृत बाल सुरक्षा स्कीम	19.98	-	19.98	12.55	-
	योग	237.45	40.20	277.65	206.33	36.05

परिशिष्ट-1.6

(सन्दर्भ: परिच्छेद 1.2.2; पृष्ठ: 7)

2014-15 एवं 2015-16 के दौरान कार्यक्रम/स्कीमों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियों को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय स्कीम निधि का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट से बाहर निधियां) (लेखापरीक्षा किए बिना आंकड़े)			
भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन अभिकरण	भारत सरकार द्वारा जारी	
		2015-16	2014-15
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	0.11	--
	योग	0.11	--
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मण्डी	--	51.00
	योग	--	51.00
विशेष श्रेणी राज्य हेतु पैकेज	हि0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम	0.23	16.53
	योग	0.23	16.53
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास	उपायुक्त	42.50	25.00
	योग	42.50	25.00
सहायक एवं अनुसंधान विकास (आर. एंड डी. मिशन)	पर्यावरण, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग	3.65	1.04
	योग	3.65	1.04
ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स रिसर्च	बैजनाथ फार्मास्यूटिकल्स	1.00	1.00
	योग	1.00	1.00
अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुकरण के लिए कोचिंग एवं सम्बद्ध स्कीम तथा अधिनिर्णय हेतु सहायता अनुदान	स्मिति विकास के लिए रिन्चेन जांगपो सोसाइटी	0.02	0.73
	डी गोम्पा बौद्ध सांस्कृतिक सोसाइटी	0.07	0.13
	बौद्ध दर्शन एवं जनजातीय सांस्कृतिक सोसाइटी अध्ययन संस्थान, ताबो	0.23	0.41
	रामधा बौद्ध सोसाइटी	0.06	0.12
	हिमालयन बौद्ध सांस्कृतिक एसोसिएशन, मनाली, हिमाचल प्रदेश	--	0.32
	योग	0.38	1.71
ग्रिड अंतः क्रियात्मक अक्षय ऊर्जा एम.एन.आर.ई.	भारतीय स्टेट बैंक, कुल्लू	--	1.60
	भारतीय स्टेट बैंक, चम्बा	--	1.15
	हिमाचल प्रदेश ऊर्जा	0.03	0.96
	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	1.37	0.01
	यूको बैंक	1.30	--
	शौब्ला जल विद्युत प्राइवेट	2.50	--
	भारतीय स्टेट बैंक, शिमला	1.60	--
	एस.जे.वी.एन. लिमिटेड	0.12	--
	हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड	3.90	--
	योग	10.82	3.72
एकीकृत कृषि गणना एवं सांख्यिकी स्कीम	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	5.02	3.91
	योग	5.02	3.91
ई-गवर्नेंस	एच.पी.एम.सी. प्रोसेस ऑटोमेशन	--	3.94
	योग	--	3.94

राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय स्कीम निधि का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट से बाहर निधियां) (लेखापरीक्षा किए बिना आंकड़े)			
भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन अभिकरण	भारत सरकार द्वारा जारी	
		2015-16	2014-15
राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड	हिमालयन जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान	--	0.17
	राज्य औषधीय वनस्पति बोर्ड सोसाइटी, हिमाचल प्रदेश	1.34	2.50
	डॉ.वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय	0.06	0.06
	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	0.06	--
	योग	1.46	2.73
इलेक्ट्रानिक्स आई.टी. हार्डवेयर का संवर्धन एम.एफ.जी. डी.आई.टी.	राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी संघ	--	0.56
	योग	--	0.56
एकीकृत वस्त्र उद्योग पार्क स्कीम (एस.आई.टी.पी.)	हिमाचल वस्त्र उद्योग पार्क सीमित	--	11.63
	योग	--	11.63
राजीव गांधी खेल अभियान (आर.जी.के.ए.)	हिमाचल प्रदेश खेल परिषद	0.72	1.80
	योग	0.72	1.80
औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम आई.आई.यू.एस. डी.आई.पी.पी.	बददी अवसंरचना	1.61	3.91
	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम	7.87	6.14
	योग	9.48	10.05
शहरी, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपयोगिता के लिए अक्षय ऊर्जा	हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी	0.32	1.57
	योग	0.32	1.57
परिवहन सब्सिडी स्कीम	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	153.68	16.24
	योग	153.68	16.24
भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली एवं भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला को सहायता सहित मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पहल	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान	18.12	10.69
	योग	18.12	10.69
ऑफ ग्रिड डी आर पी एस	हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी	41.03	16.37
	सुखजीत कृषि उद्योग	--	0.50
	हिमाचल सलाहकार संगठन	0.01	--
	नेचर इंडिया हेतु वर्ल्ड वाइड फंड	0.07	--
	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी एवं सूचना संस्थान, हमीरपुर	0.04	--
	योग	41.15	16.87
अन्य	--	75.93	102.50
	योग	75.93	102.50
	कुल योग	364.57	278.55

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट-1.7

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.2; पृष्ठ: 21)

31 मई 2016 तक अद्यतन अंतिम रूप से तैयार लेखानुसार निवेश पर प्रतिफल हेतु प्रदत्त शेयर पूंजी का राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	कम्पनी का नाम	31.03.2015 को प्रदत्त पूंजी (एस जी)	घाटा	लाभ
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो उद्योग निगम सीमित	16.89	--	0.96
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	31.19	6.96	--
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	11.71	4.17	--
4	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	11	--	0.61
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	7.19	--	0.67
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	8.09	1.50	--
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित	0.25	--	--
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	30.82	--	6.47
9	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	7.16	--	4.93
10	व्यास घाटी विद्युत निगम सीमित	300	--	--
11	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	132.67	21.74	--
12	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित	71.79	--	2.88
13	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड निगम	458.93	13,698.34	--
14	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	3.51	--	2.06
15	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम सीमित	3.72	--	1.01
16	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम सीमित	9.22	--	0.6
17	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	12.3	--	0.2
योग		1,116.44	13,732.71	20.39
सांविधिक निगम				
18	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	92.98	1.09	--
19	हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम	581.34	172.70	--
योग		674.32	173.79	--
अक्रियाशील सरकारी कम्पनी				
20	एग्रो-इंडस्ट्रीयल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	16.75	--	--
21	हिमाचल वर्सटेड मिल्स लिमिटेड	--	--	--
योग		16.75	--	--

परिशिष्ट-1.8

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.3; पृष्ठ: 22)

हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों की लोक-निजी भागीदारी परियोजनाओं की प्राप्ति

क्रमांक	परियोजना का नाम	अनुमानित परियोजना लागत (₹ करोड़ में)
परियोजनाएं-प्रदान की गईं, पूर्ण तथा प्रचालनाधीन		
परिवहन विभाग		
1.	कांगड़ा बस अड्डा	9.50
2.	आई0एस0बी0टी0, शिमला	15
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग		
3.	रज्जु मार्ग-सह-स्की केन्द्र, सोलंग नाला	15
स्वास्थ्य विभाग/राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन		
4.	हिमाचल प्रदेश में आपात चिकित्सा परिवहन सेवा	100
5.	हिमाचल प्रदेश में सचल डाइग्नोस्टिक इकाइयां	5
6.	हिमाचल प्रदेश में हिमोडायलिसिस इकाइयां	5
7.	जे एस एस के ऐम्बुलेंस का संचालन एवं रख-रखाव	5
8.	सी.टी. स्कैन	5
9.	24x7 ट्रीमा केन्द्र	5
परियोजनाएं- प्रदान की गईं तथा कार्यान्वयनाधीन		
परिवहन विभाग		
10.	मकलोड़गंज बस अड्डा	5
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग		
11.	जाखू रज्जु मार्ग	15
12.	धर्मशाला मकलोड़गंज रज्जु मार्ग	140
13.	हिमानी चामुण्डा रज्जु मार्ग	280
14.	पल्चान रोहतांग रज्जु मार्ग	350
शहरी विकास विभाग		
15.	पार्किंग परिसर, छोटा शिमला	15
16.	पार्किंग परिसर, संजौली	25
17.	पार्किंग परिसर, लिफ्ट	45
18.	पार्किंग परिसर, विकासनगर	10
19.	पार्किंग परिसर, पालमपुर	10
20.	पार्किंग परिसर, बिलासपुर	5
21.	पार्किंग परिसर, रोहडू	
22.	टूटीकंडी-लिफ्ट-माल रोड रज्जु मार्ग	175
राजस्व विभाग		
23.	पार्किंग परिसर (जेल रोड एवं जैन्वु का नोन), मण्डी	75

स्रोत: हिमाचल प्रदेश अवसंरचना विकास बोर्ड

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1; पृष्ठ: 36)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जिनमें अधिक व्यय प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था, की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	व्यय	अधिक व्यय	व्यय आधिक्य की प्रतिशतता (20 प्रतिशत से अधिक)
राजस्व- दत्तमत्त						
1.	05	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	685.57	876.53	190.96	27.85
2.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	1,914.92	2,099.89	184.97	-
राजस्व-प्रभारित						
3.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	-	0.44	0.44	100
4.	29	वित्त	3,107.86	3,155.00	47.14	-
पूंजीगत-दत्तमत्त						
5.	10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल	960.95	1,024.04	63.09	-
6.	23	विद्युत विकास	384.59	421.85	37.26	-
पूंजीगत-प्रभारित						
7.	16	वन एवं वन्य जीव	-	4.26	4.26	100
8.	29	वित्त	1,628.56	3,947.73	2,319.17	142
योग			8,682.45	11,529.74	2,847.29	

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.1; पृष्ठ: 37)

विगत वर्षों के प्रावधानों पर आधिक्य जो नियमन के लिए अपेक्षित है

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या	अनुदान/विनियोजन की संख्याएं	आधिक्य राशि	लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने की स्थिति
2010-11	19 अनुदान 2 विनियोजन	1,4,5,7,9,10,11,12,13,14,16, 18,23,26,27,29,30,31 तथा 32 2 तथा 10	2,237.64	लेखापरीक्षा टिप्पणियां वित्त विभाग/हिमाचल प्रदेश विधानसभा को भेजी जा चुकी हैं। लोक लेखा समिति द्वारा अभी भी प्रतिवेदनों पर चर्चा की जानी/आधिक्यों का नियमन किया जाना अपेक्षित है। बजट प्रावधानों की तुलना में व्यय/बचत आधिक्य के विनियमन पर वित्त विभाग से आत्म प्रेरित उत्तर अभी तक प्रतीक्षित हैं। अतः लोक लेखा समिति द्वारा अभी भी प्रतिवेदनों पर चर्चा की जानी/आधिक्यों का नियमन किया जाना अपेक्षित है।
2011-12	6 अनुदान 1 विनियोजन	9,10,13,15,21 तथा 23 29	752.51	
2012-13	11 अनुदान 3 विनियोजन	1,2,3,10,11,13,14,18,19, 21 तथा 23 2,3 तथा 29	703.08	
2013-14	10 अनुदान 3 विनियोजन	2, 3, 4,5,10,13,16,17,21 तथा 28 2, 7 तथा 9	474.86	
2014-15	10 अनुदान 6 विनियोजन	1,2,6,11,12,13,18,19, 23(राजस्व), 23 (पूँजीगत) 1,10,19, 29 (राजस्व), 29 (पूँजीगत) तथा 31	1,585.69	
योग			5,753.78	

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.1; पृष्ठ: 37)

वर्ष 2015-16 के दौरान प्रावधानों पर आधिक्य जो नियमन के लिए अपेक्षित है

(₹ में)

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन की संख्या तथा शीर्षक	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य
राजस्व-दत्तमत्त				
1.	05-भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	6,85,57,12,000	8,76,52,62,008	1,90,95,50,008
2.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	19,14,91,62,000	20,99,89,00,556	1,84,97,38,556
3.	28-शहरी विकास	2,96,66,32,816	2,97,01,06,479	34,73,663
राजस्व-प्रभारित				
4.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	--	44,00,000	44,00,000
5.	29-वित्त	31,07,86,42,000	31,54,99,81,212	47,13,39,212
पूंजीगत-दत्तमत्त				
6.	08-शिक्षा	1,22,36,61,000	1,22,41,26,000	4,65,000
7.	10-लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन	9,60,95,21,000	10,24,03,97,752	63,08,76,752
8.	19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	9,35,00,000	10,11,73,048	76,73,048
9.	23-विद्युत विकास	3,84,59,01,000	4,21,84,74,000	37,25,73,000
पूंजीगत-प्रभारित				
10.	16-वन एवं वन्य जीव	--	4,25,87,077	4,25,87,077
11.	29-वित्त	16,28,56,63,000	39,47,73,24,797	23,19,16,61,797
योग		91,10,83,94,816	1,19,59,27,32,929	28,48,43,38,113 अर्थात् ₹ 2,848.43 करोड़

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.3; पृष्ठ: 37)
वर्ष 2015-16 के दौरान प्रावधानरहित व्यय

(₹ लाख में)

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन की संख्या व नाम	प्रावधानरहित व्यय की राशि
10- लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन		
1.	3054/03/103/01 (कार्य प्रभारित स्थापना)	0.09
2.	3054/03/103/03 (मशीनरी व उपस्कर-कार्य प्रभारित स्थापना)	0.17
3.	3054/80/001/01 (सड़क निर्माण कार्य-निर्देशन एवं पर्यवेक्षण)	4.62
11-कृषि		
4.	2401/00/115/01 (मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना)	2.60
5.	2401/00/800/15 (राष्ट्रीय संघारणीय कृषि मिशन)	0.15
6.	2401/00/800/17 (उठाऊ सिंचाई स्कीम व बोरवेल पर सब्सिडी)	1,999.00
7.	2401/00/800/03 (टैंक द्वारा सिंचाई-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना)	664.82
13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता		
8.	2215/01/001/01 (निर्देशन)	44.00
16-वन एवं वन्य जीव		
9.	4406/01/070/01 (सड़क व पुल)	425.87
20- ग्रामीण विकास		
10.	2505/02/101/03 (पानी के कच्चा टैंक्स को 'पोलीलाइन्ड'/पक्का टैंक्स में बदलने के लिए सामग्री)	1,948.72
23- विद्युत विकास		
11.	6801/00/190/01 (हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को ऋण)	21,964.74
29-वित्त		
12.	6003/00/110/03 (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कमी एवं अधिविकर्ष)	1,15,000.82
31-जनजातीय विकास		
13.	2053/00/796/05 (कार्यालय आवासीय आयुक्त, पांगी पर व्यय)	1.86
14.	2215/01/796/04 (स्टॉक)	265.29
15.	2215/01/796/05 (स्टॉक विनिर्माण)	3.45
16.	2215/01/796/06 (विविध लोक निर्माण अग्रिम)	7.13
17.	2401/00/796/22 (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कृषि))	12.40
18.	2401/00/796/22 (राष्ट्रीय विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन)	6.86
19.	2702/80/796/08 (उचन्त (स्टॉक) पर व्यय)	230.06
20.	2702/80/796/09 (उचन्त (स्टॉक विनिर्माण) पर व्यय)	16.43
21.	2702/80/796/10 (उचन्त (विविध लोक निर्माण अग्रिम) पर व्यय)	101.52
32-अनुसूचित जाति उप-योजना		
22.	2401/00/789/25 (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कृषि))	106.98
23.	2401/00/789/32 (राष्ट्रीय तिलहन एवं 'पाम आयल' मिशन)	21.35
24.	2401/00/789/33 (राष्ट्रीय विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन)	80.30
25.	2402/00/789/03 (फार्म जल प्रबंधन पर)	49.87
26.	2501/06/789/03 (राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन)	28.24
27.	4402/00/789/03 (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत व्यय)	23.82
योग		1,43,011.15
		अर्थात् ₹ 1,430.11 करोड़

स्रोत: विनियोजन लेखे

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.4; पृष्ठ: 37)
मामले जहां अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ हजार में)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचतें	अनुपूरक प्रावधान
राजस्व-दत्तमत्त					
1.	03-न्याय प्रशासन	115,61,49	112,98,69	2,62,80	9,89,94
2.	07- पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	801,19,36	788,98,03	12,21,33	61,20,97
3.	08- शिक्षा	4643,81,34	3634,00,58	1009,80,76	66,40,80
4.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन	2446,71,39	2421,85,52	24,85,87	52,79,24
5.	30-विविध सामान्य सेवाएं	73,32,40	63,90,95	9,41,45	4,57,47
6.	31-जनजाति विकास	774,67,62	714,62,00	60,05,62	63,33,26
पूंजीगत-दत्तमत्त					
7.	15-आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	174,69,00	169,97,62	4,71,38	27,72,37
8.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	656,01,01	579,81,70	76,19,31	32,51,63
योग		9686,03,61	8486,15,09	1199,88,52	318,45,68 अर्थात् ₹ 318.46 करोड़

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.4; पृष्ठ: 37)

विभिन्न अनुदानों की विवरणी जहां अनुपूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए
(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदानों का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	जोड़	व्यय	आधिक्य
राजस्व-दत्तमत्त							
1.	05	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	563.60	121.97	685.57	876.53	190.96
2.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	1,891.17	23.74	1,914.92	2,099.89	184.97
राजस्व-प्रभारित							
3.	29	वित्त	2,950.00	157.86	3,107.86	3,155.00	47.13
पूंजीगत-दत्तमत्त							
4.	10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	890.26	70.69	960.95	1,024.04	63.09
पूंजीगत-प्रभारित							
5.	29	वित्त	1,502.78	125.79	1,628.56	3,947.73	2,319.17
योग			7,797.81	500.05	8,297.86	11,103.19	2,805.32

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.2; पृष्ठ: 37)

निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अन्तिम आधिक्य (+)/ बचत (-)
1.	5	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	2029-00-103-02 (एन.पी.)	(-) 32.14	1.25
2.			2053-00-093-01 (एन.पी.)	(-) 26.17	1.61
3.	9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-200-01	1.52	1.25
4.			2210-01-102-01	1.00	(-) 1.00
5.			2210-04-101-02	(-) 14.33	(-) 7.67
6.			2210-05-105-06	4.84	2.96
7.			2211-00-101-01	(-) 27.98	(-) 1.02
8.	10	लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल एवं भवन	2059-80-053-03 (एन.पी.)	(-) 29.81	(-) 1.10
9.			2059-80-053-04 (एन.पी.)	(-) 6.99	(-) 4.86
10.			2059-80-053-06 (एन.पी.)	(-) 2.75	(-) 7.75
11.			3054-03-103-05 (एन.पी.)	(-) 2.60	(-) 1.53
12.			3054-03-103-10 (एन.पी.)	(-) 41.98	(-) 2.10
13.			3054-04-105-02 (एन.पी.)	32.48	(-) 9.41
14.			3054-04-105-06 (एन.पी.)	(-) 91.39	(-) 41.84
15.			3054-04-105-07 (एन.पी.)	(-) 93.00	(-) 928.53
16.			5054-03-337-04	(-) 7.56	1.82
17.			5054-04-337-09	7.54	1.76
18.	11	कृषि	2401-00-800-16 (एन.पी.)	(-) 15.41	(-) 6.00
19.			2401-00-800-16 (एन.पी.)	6.16	(-) 6.16
20.			2401-00-800-17 (एन.पी.)	19.99	(-) 19.99
21.			2401-00-800-15 (एन.पी.)	6.52	6.36
22.			2401-00-800-15 (एन.पी.)	6.82	5.80
23.			2401-00-800-17 (एन.पी.)	(-) 20.00	19.99
24.			2402-00-800-03 (एन.पी.)	(-) 3.29	3.36
25.			2402-00-800-03 (एन.पी.)	3.29	(-) 3.29
26.			2402-00-800-04 (एन.पी.)	5.17	5.17
27.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2215-01-102-14(एन.पी.)	(-) 2.49	(-) 4.19
28.			2215-01-102-13(एन.पी.)	1.40	1.44
29.			2215-01-799-01(एन.पी.)	79.43	29.09
30.			2700-01-001-01	0.04	(-) 1.44
31.			4711-01-800-13	(-) 26.00	(-) 1.18
32.	20	ग्रामीण विकास	2505-02-101-03	(-) 0.51	(-) 19.49
33.	23	विद्युत विकास	6801-00-190-01	(-) 100.88	(-) 81.51
34.			6801-00-190-01	0.00*	219.65
35.	29	वित्त	2071-01-101-03 (एन.पी.)	(-) 231.91	45.01
36.			2071-01-105-02 (एन.पी.)	(-) 134.25	7.15
37.			2071-01-102-02 (एन.पी.)	22.21	(-) 35.11
38.			2071-01-104-02 (एन.पी.)	35.98	(-) 42.09
39.			2071-01-115-01 (एन.पी.)	107.26	(-) 28.67
40.	31	जनजातीय विकास	2053-00-796-01	(-) 0.02	(-) 1.65
41.			2210-04-796-04	1.77	(-) 1.81
42.			2515-00-796-02	(-) 0.17	(-) 1.09
43.			2702-80-796-11	(-) 3.79	3.20
44.			3054-04-796-03 (एन.पी.)	(-) 3.30	1.20
45.			3054-04-796-04 (एन.पी.)	(-) 3.20	1.52
46.	4055-00-796-02	1.02	1.03		
47.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	2210-04-789-01	2.71	(-) 2.50
48.			5054-03-789-01	(-) 6.72	(-) 1.77

* ₹1,000 मात्र

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.3; पृष्ठ: 38)

व्यय का तीव्र प्रवाह

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष स्कीम/सेवा	जनवरी-मार्च 2016 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2016 में किया गया व्यय	2015-16 के दौरान कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता	
						जनवरी-मार्च 2016	मार्च 2016
1.	05- भू राजस्व व जिला प्रशासन	2245-02-111-01	23.69	23.44	39.45	59.42	59.42
2.		2245-02-113-01	11.91	11.91	23.66	50.34	50.34
3.		2245-05-101-01	124.95	118.52	235.00	53.17	50.43
4.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-05-105-09	16.52	16.52	16.52	100.00	100.00
5.	10- लोक निर्माण कार्य, सड़कें, पुल व भवन	4216-01-106-01	24.92	21.60	30.18	82.57	71.57
6.		5054-04-337-10	37.84	32.71	50.09	75.54	65.30
7.	11-कृषि	2401-00-800-17	15.71	14.65	19.99	78.59	73.29
8.	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4215-01-800-01	15.10	13.72	20.00	75.50	68.60
9.	14- पशुपालन, दुग्ध विकास व मत्स्यकी	2403-00-106-07	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00
10.	18-उद्योग, खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	4851-00-800-05	12.49	12.49	12.49	100.00	100.00
11.	20-ग्रामीण विकास	2505-02-101-03	19.49	19.49	19.49	100.00	100.00
12.	23-विद्युत विकास	2801-80-101-02	55.58	55.58	55.58	100.00	100.00
13.		4801-01-190-09	32.73	32.73	32.73	100.00	100.00
14.	27-श्रम रोजगार व प्रशिक्षण	4202-02-105-03	15.88	13.24	20.00	79.40	66.20
15.		2217-03-192-02	27.75	27.75	27.75	100.00	100.00
16.	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण आयोजना तथा आवास	2217-80-191-42	10.00	10.00	10.75	93.02	93.02
17.		2217-80-191-48	22.48	22.23	22.48	100.00	98.89
18.		2217-80-192-15	12.75	11.25	15.00	85.00	75.00
19.	29-वित्त	2049-01-101-04	12.78	12.78	25.56	50.00	50.00
20.		2049-01-101-05	25.98	25.98	51.96	50.00	50.00
21.		2049-01-101-07	19.58	19.58	39.15	50.01	50.01
22.		2049-01-101-80	12.24	12.24	24.48	50.00	50.00
23.		2049-01-101-95	21.08	21.08	42.15	50.01	50.01
24.		2049-01-116-01	13.19	13.19	13.19	100.00	100.00
25.		2049-01-123-01	643.68	643.68	643.68	100.00	100.00
26.		6003-00-108-02	18.50	18.50	18.50	100.00	100.00
27.	30-विविध सामान्य सेवाएं	4202-03-102-01	23.58	23.58	25.00	94.32	94.32
28.	31-जनजातीय विकास	3054-04-796-05	26.91	22.85	35.42	75.97	64.51
29.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	2202-02-789-14	10.62	10.62	13.95	76.13	76.13
30.		2202-03-789-04	25.00	25.00	33.91	73.72	73.72
31.		4215-01-789-02	22.54	19.58	35.01	64.38	55.93
32.		4801-01-789-03	11.02	11.02	11.02	100.00	100.00
33.		5054-03-789-03	40.19	40.19	70.19	57.26	57.26

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय द्वारा संकलित सूचना

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4; पृष्ठ: 38)

विभिन्न अनुदान जहां बचत प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी, का विवरण
(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल अनुदान	बचतें	प्रतिशतता (20 प्रतिशत से अधिक)
राजस्व-दत्तमत					
1.	1	विधान सभा	24.41	1.58	
2.	3	न्याय प्रशासन	125.51	12.53	
3.	4	सामान्य प्रशासन	170.44	17.03	
4.	6	आबकारी एवं कराधान	56.17	3.78	
5.	7	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	862.4	73.42	
6.	8	शिक्षा	4,710.22	1,076.22	23
7.	9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,507.32	366.81	24
8.	10	लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल एवं भवन	2,499.51	77.65	
9.	11	कृषि	344.14	38.47	
10.	14	पशु पालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्यकी	281.69	35.36	
11.	15	आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	81.99	31.4	38
12.	16	वन एवं वन्य-जीव	408.74	33.23	
13.	18	उद्योग, खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	72.29	12.23	
14.	19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	600	47.43	
15.	20	ग्रामीण विकास	1,185.07	208.74	
16.	21	सहकारिता	39.82	8.45	21
17.	22	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	231.74	47.62	21
18.	23	विद्युत विकास	972.46	1.49	
19.	24	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	26.39	2.21	
20.	25	सड़क एवं जल परिवहन	353.45	1.43	
21.	27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	212.12	63.72	30
22.	29	वित्त	4,113.4	228.94	
23.	30	विविध सामान्य सेवाएं	77.9	13.99	
24.	31	जनजातीय विकास	838.01	123.39	
25.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	749.21	31.81	
राजस्व-प्रभारित					
26.	3	न्याय प्रशासन	35.65	6.86	
पूँजीगत-दत्तमत					
27.	7	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	30.74	10.18	33
28.	9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	101.33	6.01	
29.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	561.17	270.58	48
30.	15	आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	202.41	32.44	
31.	27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	81.06	14.22	
32.	29	वित्त	11.58	5.2	45
33.	31	जनजातीय विकास	209.84	17.38	
34.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	688.53	108.71	
पूँजीगत-प्रभारित					
35.	10	लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल एवं भवन	40.56	3.80	

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4.2; पृष्ठ: 40)

क: वर्ष 2015-16 के दौरान किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (₹ लाख में)	अभ्यर्पण राशि (₹ 20 लाख तथा इससे अधिक)	कुल प्रावधान के सम्बन्ध में अभ्यर्पण की प्रतिशतता
1.	07	2070-00-106-04	103.55	66.24	64
2.	07	4055-00-211-03	526.00	332.85	63
3.	08	2202-01-111-01	21,956.00	13,862.40	63
4.	08	2202-01-111-01	8,145.00	5,080.97	62
5.	08	2202-01-800-01	1,672.00	1,037.31	62
6.	08	2202-02-109-05	1,123.00	699.10	62
7.	08	2202-02-109-14	137.00	86.62	63
8.	08	2202-03-103-07	8,998.00	6,361.06	71
9.	08	2202-03-103-07	658.00	365.00	55
10.	08	2202-03-800-01	150.00	98.16	65
11.	08	2202-80-800-08	70.98	63.98	90
12.	09	2210-05-101-03	55.86	28.01	50
13.	09	2210-06-101-05	57.46	39.31	68
14.	09	2211-00-001-01	249.95	231.53	93
15.	09	2211-00-800-01	48.69	47.39	97
16.	10	3054-04-105-05	325.06	271.36	83
17.	11	2401-00-109-25	210.00	135.33	64
18.	11	2401-00-800-13	2,961.00	2,330.25	79
19.	13	4702-00-101-06	404.00	303.88	75
20.	13	4702-00-101-07	269.00	202.26	75
21.	13	4705-00-313-01	1,870.00	1,405.87	75
22.	13	4711-01-800-13	2,558.00	1,818.45	71
23.	13	4711-01-800-15	1,618.00	1,517.22	94
24.	14	2403-00-101-10	163.00	156.88	96
25.	14	2404-00-191-04	300.00	277.80	93
26.	14	2405-00-101-05	22.00	21.25	97
27.	15	3451-00-101-09	40.00	30.51	76
28.	15	3451-00-101-21	232.00	140.14	60
29.	15	3451-00-101-22	500.00	397.92	80
30.	19	2225-03-102-01	230.00	143.54	62

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (₹ लाख में)	अभ्यर्पण राशि (₹ 20 लाख तथा इससे अधिक)	कुल प्रावधान के सम्बन्ध में अभ्यर्पण की प्रतिशतता
31.	19	2236-02-101-05	1,973.00	1,106.56	56
32.	20	2216-03-102-01	4,288.00	4,109.52	96
33.	20	2501-06-101-03	1,193.00	798.13	67
34.	20	2501-06-800-04	7,998.00	6,572.00	82
35.	20	2515-00-101-09	2,514.00	2,160.12	86
36.	22	2236-02-101-06	30.00	20.48	68
37.	23	6801-00-190-01	18,239.00	10,088.01	55
38.	27	2230-03-003-09	9,900.00	5,808.30	59
39.	27	4202-02-104-01	1,398.00	1,243.00	89
40.	27	4202-02-104-02	248.00	179.24	72
41.	29	7610-00-201-01	600.00	332.60	55
42.	30	2250-00-103-01	149.98	83.65	56
43.	31	2053-00-796-05	39.14	28.99	74
44.	31	2202-01-796-01	159.62	90.97	57
45.	31	2202-03-796-05	586.57	547.74	93
46.	31	2216-03-796-01	129.00	89.00	69
47.	31	2230-03-796-06	100.00	55.26	55
48.	31	2403-00-796-04	146.03	75.88	52
49.	31	2406-01-796-07	36.01	23.46	65
50.	31	2501-03-796-01	186.00	120.34	65
51.	31	2501-06-796-02	72.00	63.11	88
52.	31	2501-06-796-03	32.00	29.73	93
53.	31	2501-06-796-05	36.00	21.45	60
54.	31	2702-80-796-11	483.38	378.94	78
55.	31	4711-01-796-01	1,170.00	964.10	82
56.	32	2501-06-789-04	100.00	85.72	86
57.	32	4402-00-789-02	699.00	399.02	57
58.	32	4702-00-789-06	150.00	140.35	94
59.	32	4702-00-789-07	77.00	56.20	73
60.	32	4711-01-789-10	888.20	666.16	75
61.	32	5054-04-789-03	200.00	111.88	56
योग			1,09,474.48	74,002.49	

परिशिष्ट-2.11

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4.2; पृष्ठ: 40)

ख: वर्ष के दौरान शत-प्रतिशत अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं शीर्षक	लेखा शीर्षक	स्कीम का नाम	अभ्यर्पण की राशि (₹ लाख में)	कारण
1.	04-सामान्य प्रशासन	3425-60-001-02	पर्यावरण एवं वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विभाग	125.00	संहिता औपचारिकता की अपूर्णता के कारण
2.	06-आबकारी एवं कराधान	2235-60-110-02	लघु व्यवसायियों हेतु समुह दुर्घटना	200.00	स्कीम के क्रियान्वयन न करने के कारण
3.	07-पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	2070-00-108-02	जिला स्टाफ	373.00	उपकरण के न खरीद के कारण
4.		4055-00-211-03	पुलिस बल का आधुनिकीकरण	685.00	संहिता औपचारिकता की अपूर्णता के कारण
5.	08-शिक्षा	2202-01-102-03	निजी स्कूलों के कमजोर वर्ग के छात्रों को फीस लौटाना	57.00	संहिता औपचारिकता की अपूर्णता के कारण
6.		2202-02-109-09	सूचना सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी फेस-III	373.00	संहिता औपचारिकता की अपूर्णता के कारण
7.		2202-02-109-15	राजीव गांधी डिजिटल योजनाए लेपटोप/टेबलेट	250.00	गैर-योजनागत से योजनागत में स्थानान्तरण के कारण
8.		2202-02-109-16	शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम	73.00	भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की अप्राप्ति के कारण
9.		2202-80-107-15	प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना	300.00	संहिता औपचारिकता की अपूर्णता के कारण
10.		2225-03-277-06	अल्पसंख्यक समुदायों को छात्रवृत्ति	110.00	संहिता औपचारिकता की अपूर्णता के कारण
11.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-00-800-07	राष्ट्रीय ऐम्बुलेंस सेवा	248.00	संहिता औपचारिकता की अपूर्णता के कारण
12.		4210-03-105-05	वाहन स्थित नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण	139.00	मेडिकल कालेज के उन्नयन पर शून्य व्यय के कारण
13.	10-लोक निर्माण कार्य, सड़क, सेतु एवं भवन	2216-05-053-01	अन्य अनुरक्षण व्यय	330.00	रख-रखाव पर अल्प व्यय के कारण
14.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4701-20-800-02	अन्य व्यय	593.00	--
15.		4701-20-800-02	अन्य व्यय	75.00	--
16.		4701-21-800-01	नदौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना	2,044.00	--
17.		4701-21-800-01	नदौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना	257.00	--
18.		4702-00-101-06	एकीकृत सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न जिलों में लिफ्ट सिंचाई स्कीम	3,198.00	भारत सरकार से निधि की अप्राप्ति के कारण
19.		4702-00-101-07	अपवर्तन स्कीमें/प्रवाह सिंचाई स्कीम	2,133.00	भारत सरकार से निधि की अप्राप्ति के कारण
20.		4705-00-313-01	लघु सिंचाई स्कीम के अंतर्गत कमाण्ड क्षेत्र विकास	2,499.00	निधियन प्रणाली में परिवर्तन के कारण
21.		4711-01-800-10	बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के अंतर्गत मण्डी तथा हमीरपुर जिले में बरशवाड़ से जाहू तक सरी खड्ड का चैनलाइजेशन	324.00	निधियन प्रणाली में परिवर्तन के कारण
22.		4711-01-800-10	-उपरोक्त-	156.00	-उपरोक्त-
23.		4711-01-800-11	बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के अंतर्गत सूकर बाटा का चैनलाइजेशन	327.50	-उपरोक्त-
24.		4711-01-800-11	-उपरोक्त-	158.50	-उपरोक्त-
25.		4711-01-800-12	बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वान डाउन स्ट्रीम से पंजाब बाउंडरी फेस-III का चैनलाइजेशन	463.00	-उपरोक्त-
26.		4711-01-800-12	-उपरोक्त-	222.00	-उपरोक्त-

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं शीर्षक	लेखा शीर्षक	स्कीम का नाम	अभ्यर्पण की राशि (₹ लाख में)	कारण
27.		4711-01-800-14	बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला ऊना में लूंगरी खड्ड का चैनलाइजेशन	25.00	भारत सरकार से निधि की अप्राप्ति के कारण
28.		4711-01-800-15	बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के अंतर्गत चौछ खड्ड तहसील इंदोरा में बाढ़ नियंत्रण कार्य	779.00	-उपरोक्त-
29.		4711-01-800-16	जिला कुल्लू में पलछन से ओट का चैनलाइजेशन	231.00	-उपरोक्त-
30.		4711-01-800-16	-उपरोक्त-	111.00	-उपरोक्त-
31.		4711-01-800-17	जिला शिमला में पब्वर नदी का चैनलाइजेशन	231.00	-उपरोक्त-
32.		4711-01-800-17	-उपरोक्त-	111.00	-उपरोक्त-
33.	14-पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्यिकी	2403-00-101-10	पशु रोग (सामग्री एवं आपूर्ति) नियंत्रण	42.00	कम सामग्री की खरीद के कारण
34.		2403-00-800-01	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1,645.00	भारत सरकार द्वारा निधियन प्रणाली में परिवर्तन के कारण
35.		2405-00-101-06	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	95.00	लाभार्थियों द्वारा कम दावा प्राप्ति के कारण
36.	15-आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	2202-01-101-03	जूनियर माध्यमिक विद्यालय	490.00	रिक्त पदों की भर्ती न होने के कारण
37.		2202-01-800-01	मध्याह्न भोजन	600.00	सामग्री की खरीद न होने तथा क्रमचारियों को मानदेय के भुगतान न होने के कारण
38.		3451-00-101-19	कौशल विकास परिषद	200.00	कौशल विकास पर व्यय न होने के कारण
39.		5002-01-120-01	रेलवे लाइनों का निर्माण	1,000.00	रेलवे लाइनों पर भवन निर्माण पर नगण्य व्यय होने के कारण
40.		5475-00-800-02	विधायक स्थानीय	1,200.00	निर्माण पर नगण्य व्यय होने के कारण
41.	18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	2851-00-102-22	खाद्य विधायन हेतु राष्ट्रीय मिशन	224.00	स्कीम के क्रियान्वयन न होने के कारण
42.		2851-00-103-25	राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम	184.00	स्कीम के क्रियान्वयन न होने के कारण
43.	20-ग्रामीण विकास	2501-06-101-06	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के अंतर्गत आजीविका कौशल	448.00	स्कीम के क्रियान्वयन न होने के कारण
44.		2515-00-101-13	राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण	3,373.00	सहिता औपचारिकताओं के पूर्ण न होने के कारण
45.	22-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	3456-00-001-04	उपभोक्ता जागरूकता	98.00	शिविरों व संगोष्ठियों आदि के कम आयोजन होने के कारण
46.	27-श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण	2203-00-105-05	सी.डी.पी.टी. स्कीम में केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत राजकीय बहुतकनिकियां	98.00	सहायता अनुदानों के कम प्राप्त होने के कारण
47.	29-वित्त	2235-60-102-05	स्वावलम्बन स्कीम के अंतर्गत पेंशन अंशदान	1,000.00	प्रयोक्ताओं के अनुपलब्ध होने के कारण
48.	30-विविध सामान्य सेवाएं	2204-00-001-02	पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के अंतर्गत व्यय	98.00	भारत सरकार से निधियां जारी न होने के कारण
49.		2250-00-103-02	मन्दिरों के लिए रिबोल्विंग फंड हेतु सहायता अनुदान	500.00	सहिता औपचारिकताओं के पूर्ण न होने के कारण
50.	31-जनजातीय विकास	2070-00-796-04	राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो	163.09	मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षक की सूची में शुद्धि पच्ची के कारण
51.		2210-05-796-02	इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का उन्नयन	176.00	भारत सरकार से निधियों के प्राप्त न होने के कारण
52.		2235-02-796-03	एकीकृत बाल विकास स्कीम	725.00	निधियन पद्धतियों की पुनः जांच, रिक्त पदों के न भरे जाने, स्कीम के अंतर्गत गतिविधियों पर कम व्यय होने आदि के कारण
53.		2235-02-796-03	-उपरोक्त-	120.00	-उपरोक्त-
54.		2236-02-796-01	खाद्य कार्यक्रम पर व्यय	231.97	खाद्य कार्यक्रम पर अधिक व्यय होने के कारण
55.		2236-02-796-01	-उपरोक्त-	270.00	-उपरोक्त-

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं शीर्षक	लेखा शीर्षक	स्कीम का नाम	अभ्यर्पण की राशि (₹ लाख में)	कारण
56.		2401-00-796-22	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	405.00	संशोधन के कारण स्कीम के अंतर्गत बीजों एवं खादों के उपदान पर अधिक व्यय होने के कारण आधिक्य से आंशिक रूप से निधियन पद्धति अधिक सिद्ध हुई
57.		2401-00-796-50	संवर्धन एवं तकनीकी पर राष्ट्रीय मिशन	36.00	--
58.		2402-00-796-10	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर व्यय	90.00	निधियन पद्धति की पुनः जांच के कारण
59.		2501-03-796-01	बंजर क्षेत्र विकास पर व्यय	556.00	स्कीम की अनिर्तरता के कारण
60.		5054-03-796-03	राज्य राजमार्ग-केन्द्रीय सड़क निधियों के अंतर्गत सड़क निर्माण	480.00	भारत सरकार से निधियों के प्राप्त न होने के कारण
61.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	2235-02-789-03	राजीव गांधी स्कीम के अंतर्गत पौषण प्रावधान	227.00	राज्य तथा केन्द्र की हिस्सेदारी पद्धति में बदलाव के कारण
62.		2235-02-789-03	-उपरोक्त-	227.00	-उपरोक्त-
63.		2515-00-789-06	राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	283.00	स्कीम के अक्रियान्वयन के कारण
64.		2851-00-789-17	ओनलाइन विभागों का कम्प्यूटाइजेशन	50.00	भारत सरकार से अनुदान अवमुक्त न होने के कारण
65.		2851-00-789-25	राष्ट्रीय हथकरघा विकास	71.00	क्रियान्वयन अभिकरण को निधियां सीधे अवमुक्त किये जाने के कारण
66.		4055-00-789-01	पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण पर व्यय	202.00	भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण
67.		4701-20-789-04	फिना सिंह परियोजना	225.00	-उपरोक्त-
68.		4701-20-789-04	-उपरोक्त-	25.00	-उपरोक्त-
69.		4701-21-789-01	नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना	784.35	-उपरोक्त-
70.		4701-21-789-01	-उपरोक्त-	87.15	-उपरोक्त-
71.		4702-00-789-07	विभिन्न जिलों में अपवर्तन स्कीम प्रवाह सिंचाई स्कीम	690.00	-उपरोक्त-
72.		4702-00-789-10	रेन वाटर हारवैस्टिंग स्ट्रक्चरज	200.00	सहिता औपचारिकताओं के अपूर्ण रहने के कारण
73.		4711-01-789-06	जाहू खड्ड से बमसन तक सीर खड्ड का चैनलाइजेशन (बाढ़ प्रबंधन प्रोग्राम)	122.00	भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण राज्य की हिस्सेदारी अवमुक्त नहीं की जा सकी
74.		4711-01-789-06	-उपरोक्त-	52.00	-उपरोक्त-
75.		4711-01-789-08	डंकर बाटा बाढ़ प्रबंधन प्रोग्राम का चैनलाइजेशन	130.00	भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण
76.		4711-01-789-08	-उपरोक्त-	56.00	-उपरोक्त-
77.		4711-01-789-09	स्वां डाउन स्ट्रीम से पंजाब सीमा फेस-III का चनेजाइजेशन	175.00	-उपरोक्त-
78.		4711-01-789-09	-उपरोक्त-	75.00	-उपरोक्त-
79.		4711-01-789-10	बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के अंतर्गत दौलतपुर से गगरेट तथा इसकी सहायिकाओं से स्वां का चैनलाइजेशन	2,027.80	-उपरोक्त-
80.		4711-01-789-12	तहसील इन्दौरा में छोछ खड्ड बाढ़ नियंत्रण कार्य (बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम)	610.40	भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण राज्य की हिस्सेदारी अवमुक्त नहीं की जा सकी
81.		4711-01-789-12	-उपरोक्त-	261.60	-उपरोक्त-
82.		4711-01-789-13	कुल्लू जिला में पल्लान से औट तक का चैनलाइजेशन	175.00	भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण
83.		4711-01-789-13	-उपरोक्त-	75.00	-उपरोक्त-
योग				38,580.36 अर्थात् ₹ 385.80 करोड़	

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4.2; पृष्ठ: 40)

31 मार्च 2016 को ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों के अभ्यर्पण को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
1.	03	2014-न्याय प्रशासन	124.37	12.30	10
2.	04	2052-सामान्य प्रशासन	77.54	10.61	14
3.	05	2029- भू-राजस्व	188.83	22.99	12
4.	05	2053-प्राकृतिक आपदाओं के आधार पर भू-राजस्व एवं राहत	129.43	24.99	19
5.	07	2055-पुलिस	755.96	56.17	7
6.	07	2070-अन्य प्रशासन सेवाएं	80.96	17.27	21
7.	07	4055-पुलिस एवं पूंजीगत परिव्यय	24.74	10.18	41
8.	08	2202-सामान्य शिक्षा	4,698.15	1,074.07	23
9.	09	2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	1,075.26	204.25	19
10.	09	2211-परिवार कल्याण	428.88	149.65	35
11.	10	2059-लोक निर्माण कार्य	759.36	49.01	6
12.	10	3054-सड़क एवं पुल	2,731.26	296.22	11
13.	11	2401-फसल कृषि व्यवस्था	250.88	36.73	15
14.	13	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	230.29	50.79	22
15.	13	4701-मध्यम सिंचाई	30.01	30.01	100
16.	13	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	101.93	58.55	57
17.	13	4705-कमाण्ड क्षेत्र विकास	68.69	39.05	57
18.	13	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना	130.25	91.12	70
19.	14	2403-पशुपालन	252.61	28.56	11
20.	15	2202-सामान्य शिक्षा	20.40	11.40	56
21.	15	3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	23.10	12.74	55
22.	15	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	149.41	22.02	15
23.	16	2406-वन एवं वन्य जीवन	393.41	30.01	8
24.	19	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	529.01	25.91	5
25.	19	2236-पोषण	49.71	19.31	39
26.	20	2216-आवास	66.37	41.10	62
27.	20	2501-ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	113.44	80.97	71
28.	20	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	555.13	82.57	15
29.	22	2408-खाद्य भण्डार एवं भण्डारण	214.78	41.26	19
30.	23	6801-विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	230.78	100.88	44
31.	27	2230-श्रम रोजगार	159.60	62.08	39
32.	27	4202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	80.46	14.22	18
33.	29	2054-कोषागार एवं लेखा प्रशासन	42.24	11.31	27
34.	29	2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	4,040.72	150.83	4
35.	31	2202-सामान्य शिक्षा	205.68	26.42	13
36.	31	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	29.26	12.96	44
37.	31	3054-सड़क एवं पुल	217.25	18.89	9
38.	32	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	122.78	13.69	11
39.	32	4701-मध्यम सिंचाई	11.34	11.30	100
40.	32	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	40.28	11.38	28
41.	32	4711-खाद्य नियंत्रण परियोजनाएं	47.63	44.47	93
42.	32	5054-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	236.65	27.41	12
योग			19,718.84	3,135.63	

परिशिष्ट-2.13

(संदर्भ: परिच्छेद 2.4; पृष्ठ: 41)

31 मार्च 2016 को व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में अव्ययित शेष दर्शाने वाली विवरणी

(₹ लाख में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष	शीर्ष का नाम	कोषागार/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अव्ययित शेष
1	8229/110	विद्युत विकास निधि	एन.जे.पी.सी. सी.टी.ओ. (02)	21,684.78
2	8443/106	व्यक्तिगत जमा	हि.प्र. उच्च न्यायालय, शिमला (52)	36.86
3	8443/106	व्यक्तिगत जमा	आई.जी.एम.सी., शिमला (53)	14.56
4	8443/106	व्यक्तिगत जमा	युवा व खेल (54)	17.68
5	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक (बेतार) (18)	38.84
6	8443/110	पुलिस निधि जमा	पी.टी.एस., जुंगा (14)	26.59
7	8443/110	पुलिस निधि जमा	डी.आई.जी. (पी.) ट्रेनिंग, ड्रोह (12)	27.30
8	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, चंबा (09)	1.88
9	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, ऊना (07)	133.92
10	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, मण्डी (01)	8.23
11	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, नाहन (03)	30.76
12	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर (04)	19.99
13	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, कुल्लू (05)	44.65
14	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, सोलन (08)	33.67
15	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, कांगडा स्थित धर्मशाला (10)	58.00
16	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, शिमला (13)	33.20
17	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, केलांग (15)	19.21
18	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर (16)	65.65
19	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, किन्नौर (17)	20.10
20	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	एन.ए.सी., जुब्बल (40)	0.87
21	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	नगर निगम, शिमला (42)	5.39
22	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	एन.पी. सन्तोखगढ़ (23)	0.06
23	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	एन.ए.सी., चुवाड़ी (26)	0.55
24	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	एन.ए.सी., सुजानपुर (13)	0.06
25	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	नगरपालिका, हमीरपुर (14)	14.68
26	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	नगरपालिका, मण्डी (01)	7.17
27	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	नगरपालिका, सुन्दरनगर (02)	0.07
28	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	नगरपालिका, कल्पा (46)	0.84
29	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	नगरपालिका, केलांग (48)	0.16
30	8448/106	आई.सी.ए.आर. निधियां	शिमला-01	9.91
31	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., पूह (70)	3.09
32	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., निचार (71)	3.22
33	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., भवारना (39)	1.73
34	8448/109	पंचायत निकाय निधि	जिला परिषद, धर्मशाला (66)	0.08
35	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., आनी (64)	0.18
36	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., ऊना (26)	1.77
37	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., गगरेट (27)	1.88
38	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., अम्ब (29)	2.55
39	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., कांगडा (30)	0.73
40	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., नगरोटा बगवां (31)	74.80
41	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., रायत (32)	2.45
42	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., नूरपुर (33)	51.08
43	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., इन्दौरा (34)	1.01
44	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., परागपुर (36)	1.60

क्रमांक	मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष	शीर्ष का नाम	कोषागार/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अव्ययित शेष
45	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., नगरोटा सूरियां (37)	1.05
46	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., पंचरूखी (38)	0.58
47	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., लम्बागांव (41)	2.59
48	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., भटियात (55)	70.53
49	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., सलूणी (56)	0.00 ¹¹
50	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., झण्डूता (58)	3.04
51	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., केलांग (60)	2.04
52	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., कुल्लू (61)	1.38
53	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., नाहन (16)	1.22
54	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., सोलन (21)	0.09
55	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., कुनिहार (22)	1.20
56	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., चौतडा (06)	2.28
57	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., गोपालपुर (09)	161.80
58	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., सुजानपुर (12)	0.19
59	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., नादौन (13)	0.89
60	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., भोरंज (14)	0.60
61	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., ठियोग (44)	4.45
62	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., सदर मण्डी (01)	0.16
63	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., द्रंग (04)	1.88
64	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., सिराज (05)	0.26
65	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., जुब्बल (48)	0.21
66	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., चिड़गांव (49)	14.41
67	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., पांगी (50)	0.01
68	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., चम्बा (51)	1.68
69	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., मेहला (52)	3.28
70	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., तीस्सा (53)	50.97
71	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., कल्पा (67)	5.73
72	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., कण्डाघाट (24)	0.00 ¹²
73	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., पच्छाद (20)	0.00 ¹³
74	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., नारकण्डा (42)	51.22
75	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., रामपुर (45)	4.00
76	8449/120	विविध जमा	प्राचार्य, एम.एस.एम.एल.एम. कॉलेज, सुन्दरनगर (19)	0.10
77	8449/120	विविध जमा	प्राचार्य, डी.ए.वी. कॉलेज, कोटखाई (01)	0.71
78	8449/120	विविध जमा	प्राचार्य, आर्य महाविद्यालय, नूरपुर (09)	4.10
79	8449/120	विविध जमा	प्राचार्य, एम.एस.एम.एल. कॉलेज, थुरल (08)	2.67
80	8449/120	विविध जमा	उपमण्डल अधिकारी (सिविल) नाहन (18)	0.03
81	8449/120	विविध जमा	प्राचार्य, एस.वी.एस.डी. कॉलेज, भटोली (18)	37.10
82	8443/106	तकनीकी शिक्षा	तकनीकी शिक्षा निदेशक, सुन्दरनगर (73)	0.05
83	8449/120	विविध जमा	प्राचार्य, डी.ए.वी. कॉलेज, कांगड़ा (18)	208.04
योग				23,142.32 अर्थात् ₹231.42 करोड़

¹¹ वास्तविक आंकड़ा ₹ 0.29

¹² वास्तविक आंकड़ा ₹ 1

¹³ वास्तविक आंकड़ा ₹ 281.81

परिशिष्ट-2.14

(संदर्भ: परिच्छेद 2.5.2, 2.5.3 व 2.5.4; पृष्ठ: 42)

पुनर्विनियोजन के माध्यम से अत्यधिक बजट प्रावधान का आहरण

(₹ में)

लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल प्रावधान	व्यय	भिन्नता आधिक्य (+)/ बचत (-)
अनुदान संख्या-09						
2059-01-053-49	1,000	--	307,09,000	307,10,000	294,41,788	(-) 12,68,212
2210-01-102-01	165,50,000	--	100,00,000	265,50,000	165,50,000	(-) 100,00,000
2210-01-110-03	18427,09,000	--	(-) 6164,54,000	12262,55,000	12220,71,823	(-) 41,83,177
2210-03-110-01	28925,03,000	--	(-) 7969,39,000	20955,64,000	20890,47,169	(-) 65,16,831
2210-04-101-02	8442,72,000	--	(-) 1433,48,000	7009,24,000	6242,12,966	(-) 767,11,034
2210-05-101-01	1226,08,000	--	6,93,000	1233,01,000	1177,21,743	(-) 55,79,257
2211-00-003-01	349,85,000	--	(-) 148,78,000	201,07,000	183,07,376	(-) 17,99,624
2211-00-101-01	8016,27,000	--	(-) 2797,84,000	5218,43,000	5116,61,152	(-) 101,81,848
2211-00-102-01	1441,74,000	--	(-) 647,15,000	794,59,000	758,21,416	(-) 36,37,584
2059-01-053-55	132,00,000	--	200,00,000	332,00,000	237,20,922	(-) 94,79,078
2210-01-110-03	4400,00,000	--	209,20,000	4609,20,000	4552,36,194	(-) 56,83,806
2210-03-110-01	5045,00,000	--	(-) 965,70,000	4079,30,000	3937,87,656	(-) 141,42,344
2210-05-105-06	286,00,000	--	354,15,000	640,15,000	540,51,404	(-) 99,63,596
2210-05-105-08	99,00,000	--	213,00,000	312,00,000	213,98,061	(-) 98,01,939
2210-06-101-02	170,00,000	--	(-) 77,35,000	92,65,000	81,84,974	(-) 10,80,026
योग	77126,29,000	--	18813,86,000	58312,43,000	56612,14,644	(-) 1700,28,356
अनुदान संख्या-09						
2210-01-200-01	2273,33,000	--	152,20,000	2425,53,000	2550,90,908	(+) 125,37,908
2210-02-001-02	6712,23,000	--	(-) 1972,52,000	4739,71,000	4754,62,213	(+) 14,91,213
2210-05-105-06	5998,45,000	--	483,68,000	6482,13,000	6777,69,813	(+) 295,56,813
योग	14984,01,000	--	(-) 1336,64,000	13647,37,000	14083,22,934	(+) 435,85,934
अनुदान संख्या-20						
2505-02-101-03	2000,00,000	--	(-) 51,28,000	1948,72,000	--	(-) 1948,72,000
2515-00-102-01	8601,89,000	--	(-) 2229,65,000	6372,24,000	6345,38,439	(-) 26,85,561
योग	10601,89,000	--	(-) 2280,93,000	8320,96,000	6345,38,439	(-) 1975,57,561

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: परिच्छेद 3.1; पृष्ठ: 45)

31 मार्च 2016 को बकाया पड़े प्रयुक्ति प्रमाण पत्र

(₹ लाख में)

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय प्रयुक्ति प्रमाण पत्र		बकाया प्रयुक्ति प्रमाण पत्र	
			मद संख्या	राशि	मद संख्या	राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	2011- संसद/राज्य/संघ क्षेत्र विधान सभाएं	2014-15	1	8.23	-	-
			1	8.23	-	-
2	2029-भू-राजस्व	2013-14	10	183.00	-	-
		2014-15	20	312.00	-	-
			30	495.00	-	-
3	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	2014-15	6	110.91	6	110.91
			6	110.91	6	110.91
4	2055- पुलिस	2013-14	1	10.00	-	-
		2014-15	1	10.00	1	10.00
			2	20.00	1	10.00
5	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2014-15	16	300.00	-	-
			16	300.00	-	-
6	2075- विविध सामान्य सेवाएं	2013-14	3	125.27	3	125.27
		2014-15	18	164.29	18	164.29
			21	289.56	21	289.56
7	2202- सामान्य शिक्षा	2012-13	167	91.26	-	-
		2013-14	9,414	24,965.94	21	3,585.27
		2014-15	19,911	43,674.85	83	799.29
			29,492	68,732.05	104	4,384.56
8	2203-तकनीकी शिक्षा	2013-14	3	48.00	-	-
			3	48.00	-	-
9	2204- खेल एवं युवा सेवाएं	2013-14	12	51.30	-	-
		2014-15	43	682.52	1	2.71
			55	733.82	1	2.71
10	2205- कला एवं संस्कृति	2012-13	168	271.43	-	-
		2013-14	161	363.76	-	-
		2014-15	164	270.00	147	101.51
			493	905.19	147	101.51
	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य					
11	2210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2011-12	1	170.00	1	170.00
		2012-13	3	300.00	3	300.00
		2013-14	470	1,822.09	43	1,650.91
		2014-15	583	6,851.58	130	4,659.17
			1,057	9,143.67	177	6,780.08
12	2211- परिवार स्वास्थ्य	2013-14	9	4,816.54	1	533.00
		2014-15	44	14,772.12	24	4,369.61
			53	19,588.66	25	4,902.61
	योग (चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य)		1,110	28,732.33	202	11,682.69
	शहरी विकास					
13	2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2014-15	1	914.79	-	-
			1	914.79	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14	2217- शहरी विकास	2008-09	4	465.33	-	-
		2009-10	14	6,055.65	-	-
		2010-11	20	2,953.06	5	1,919.83
		2011-12	20	4,422.65	4	728.63
		2012-13	34	11,736.91	5	489.10
		2013-14	53	26,724.59	12	6,363.41
		2014-15	46	18,736.92	16	8,474.81
			191	71,095.11	42	17,975.78
15	3054- सड़क एवं पुल	2008-09	2	600.00	-	-
		2010-11	2	276.00	-	-
		2011-12	1	600.00	1	600.00
		2012-13	1	600.00	1	600.00
		2013-14	1	600.00	1	600.00
		2014-15	1	600.00	1	600.00
			8	3,276.00	4	2,400.00
योग (शहरी विकास)			200	75,285.90	46	20,375.78
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता						
16	2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	2011-12	13	1,003.30	10	1,000.00
		2012-13	29	1,431.11	20	1,006.49
		2013-14	35	630.60	3	8.60
		2014-15	5	227.10	4	225.10
			82	3,292.11	37	2,240.19
17	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2008-09	44	366.61	-	-
		2009-10	38	156.45	-	-
		2010-11	84	493.74	-	-
		2011-12	431	716.02	-	-
		2012-13	353	839.14	-	-
		2013-14	545	2,102.09	-	-
		2014-15	656	3,147.28	403	1,375.82
			2,151	7,821.33	403	1,375.82
योग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)			2,233	11,113.44	440	3,616.01
18	2230- श्रम एवं रोजगार	2014-15	1	5.00	-	-
			1	5.00	-	-
सचिवालय एवं सामाजिक सेवाएं						
19	3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं	2011-12	1	5.00	-	-
		2012-13	2	75.00	-	-
		2013-14	4	54.30	-	-
		2014-15	17	500.94	12	457.02
			24	635.24	12	457.02
20	2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएं	2009-10	1	49.00	-	-
		2010-11	1	57.22	-	-
		2012-13	1	3.00	1	3.00
		2013-14	4	46.00	4	46.00
		2014-15	10	1,445.09	10	1,445.09
			17	1,600.31	15	1,494.09
योग (सचिवालय एवं सामाजिक सेवाएं)			41	2,235.55	27	1,951.11
21	2401- कृषि कर्म	2011-12	22	625.33	-	-
		2012-13	32	1,321.51	13	681.41
		2013-14	43	2,216.79	27	1,776.15
		2014-15	39	5,716.35	21	5,070.75
			136	9,879.98	61	7,528.31

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
22	2403- पशुपालन	2012-13	30	2,379.66	11	145.56
		2013-14	30	2,457.92	6	1,770.35
		2014-15	33	4,653.87	24	3,820.79
			93	9,491.45	41	5,736.70
23	2404- डेयरी विकास	2013-14	9	1,400.00	9	1,400.00
		2014-15	21	1,451.59	21	1,451.59
			30	2,891.59	30	2,891.59
24	2405- मत्स्य पालन	2012-13	10	7.95	-	-
		2013-14	5	39.30	1	33.60
		2014-15	12	30.25	6	25.20
			27	77.50	7	58.80
25	2408- खाद्य भंडारण एवं भण्डारगृह	2010-11	1	2.49	-	-
		2011-12	8	20.40	8	20.40
		2012-13	12	26.99	12	26.99
		2013-14	18	33.50	18	33.50
		2014-15	22	35.71	22	35.71
			61	119.09	60	116.60
26	2425- सहकारिता	2012-13	12	15.68	-	-
		2013-14	37	106.45	17	12.85
		2014-15	59	119.45	27	42.45
			108	241.58	44	55.30
	ग्रामीण विकास					
27	2216- आवास	2009-10	93	515.60	-	-
		2010-11	58	1,104.70	-	-
		2011-12	17	281.13	-	-
		2012-13	84	1,574.00	-	-
		2013-14	102	2,391.29	-	-
		2014-15	78	2,947.00	53	1,156.36
			432	8,813.72	53	1,156.36
28	2501- विशेष कार्यक्रम	2008-09	18	141.53	-	-
		2009-10	20	366.13	-	-
		2010-11	27	562.00	-	-
		2011-12	61	1,648.71	-	-
		2012-13	81	739.08	-	-
		2013-14	58	1,364.14	-	-
		2014-15	44	1,500.07	20	932.91
			309	6,321.66	20	932.91
29	2505-ग्रामीण रोजगार	2008-09	2	816.89	-	-
		2009-10	2	224.04	-	-
		2011-12	9	284.86	9	284.86
		2012-13	17	3,911.91	17	3,911.91
		2013-14	14	4,996.53	14	4,996.53
		2014-15	19	39,245.37	19	39,245.37
			63	49,479.60	59	48,438.67
30	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2008-09	162	1,645.69	-	-
		2009-10	337	9,042.51	-	-
		2010-11	397	10,531.28	-	-
		2011-12	353	19,652.67	158	16,862.40
		2012-13	412	19,172.34	312	17,035.62
		2013-14	395	27,717.68	365	12,435.51
		2014-15	444	38,844.26	444	38,844.26
			2,500	1,26,606.42	1,279	85,177.78
	योग (ग्रामीण विकास)		3,304	1,91,220.98	1,411	1,35,705.73

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
31	2801- विद्युत	2011-12	2	212.00	2	212.00
		2013-14	2	1,876.50	2	1,876.50
		2014-15	5	1,349.00	5	1,349.00
			9	3,437.50	9	3,437.50
32	2810- ऊर्जा के अपरम्परागत स्रोत	2013-14	2	5.00	-	-
		2014-15	12	7.75	-	-
			14	12.75	-	-
33	2851- ग्रामीण एवं लघु उद्योग	2011-12	26	361.69	-	-
		2012-13	52	705.10	14	565.74
		2013-14	102	2,276.82	22	275.57
		2014-15	100	3,016.86	21	1,008.43
			280	6,360.47	57	1,849.74
34	3055- पथ परिवहन	2014-15	1	3,000.00	-	-
			1	3,000.00	-	-
35	3435- पारिस्थितिकी पर्यावरण	2013-14	7	42.15	5	40.70
		2014-15	5	52.40	4	50.40
			12	94.55	9	91.10
36	3452- पर्यटन	2010-11	7	74.51	1	10.00
		2011-12	16	706.62	10	606.62
		2012-13	12	1,000.68	9	900.68
		2013-14	12	1,995.06	9	1,905.06
		2014-15	10	2,203.30	8	2,103.30
			57	5,980.17	37	5,525.66
37	3604- स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	2012-13	24	717.57	-	-
		2013-14	48	909.03	-	-
		2014-15	24	912.70	-	-
			96	2,539.30	-	-
38	2406-वन एवं वन्य जीव (वन लेखे)	2011-12	1	18.11	1	18.11
		2012-13	11	171.36	9	170.64
		2013-14	41	570.36	17	474.23
		2014-15	171	1,099.00	85	522.72
			224	1,858.84	112	1,185.70
39	2415- कृषि अनुसंधान व शिक्षा (वन लेखे)	2011-12	1	10.00	-	-
		2012-13	1	10.00	-	-
		2013-14	24	11,145.75	-	-
		2014-15	42	15,744.85	42	15,744.85
			68	27,221.60	42	15,744.85
40	2250-अन्य सामाजिक समुदाय	2014-15	5	502.39	3	2.12
			5	502.39	3	2.12
41	3425-अन्य विज्ञान सम्बन्धी	2014-15	21	406.80	3	80.20
			21	406.80	3	80.20
42	3454-जनगणना	2014-15	23	5.42	23	5.42
			23	5.42	23	5.42
सकल योग			38,273	4,54,357.40	2,944	2,22,540.16

परिशिष्ट - 3.2

(संदर्भ: परिच्छेद 3.2; पृष्ठ: 46)

स्वायत्त निकायों का निष्पादन दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	निकाय का नाम	सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	लेखे प्रस्तुत करने में विलम्ब	अवधि जब तक पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत करने की तिथि
1.	हि0प्र0 राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, शिमला	जनवरी-2014	2014-15	6 महीने	2013-14	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
2.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, शिमला	जनवरी-2014	2014-15	1 महीना	2012-13	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
3.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, रामपुर	जनवरी-2014	2014-15	1 महीना	2013-14	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
4.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, धर्मशाला	जनवरी-2014	2014-15	1 महीना	2013-14	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
5.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, नाहन	जनवरी-2014	2014-15	1 महीना	2013-14	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
6.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर	जनवरी-2014	2014-15	1 महीना	2013-14	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
7.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, सोलन	जनवरी-2014	2014-15	1 महीना	2013-14	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
8.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, मण्डी	जनवरी-2014	2014-15	1 महीना	2013-14	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
9.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, ऊना	जनवरी-2014	2014-15	2 महीने	2013-14	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
10.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, चम्बा	जनवरी-2014	2014-15	1 महीना	2013-14	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
11.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, कुल्लू	जनवरी-2014	2014-15	1 महीना	2013-14	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
12.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर	जनवरी-2014	2014-15	1 महीना	2013-14	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
13.	हि0प्र0 भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड, शिमला	2009-10 से आगे	2013-14	10 महीने	2013-14	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
14.	हि0प्र0 राज्य पशु चिकित्सा परिषद, शिमला	2005-06 से आगे	2014-15	-	2014-15	मार्च 2016

परिशिष्ट- 3.3

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4; पृष्ठ: 47)

चोरी, दुर्विनियोजन/हानि आदि के मामलों का विभागबद्ध तथा अवधिबद्ध व्यौरा

क्रमांक	विभाग का नाम	5 वर्ष तक		5 से 10 वर्ष		10 से 15 वर्ष		15 से 20 वर्ष		20 से 25 वर्ष		25 वर्ष से अधिक		मामलों की कुल संख्या	
		सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए
1.	शिक्षा	02	2.55	01	0.93	-	-	-	-	-	-	-	-	03	3.48
2.	ग्रामीण विकास	-	-	02	4.68	-	-	-	-	-	-	-	-	02	4.68
3.	कृषि	-	-	-	-	01	9.20	01	0.26	-	-	-	-	02	9.46
4.	उद्यान	01	1.54	01	0.06	-	-	01	1.29	-	-	-	-	03	2.89
5.	भू-राजस्व	-	-	-	-	-	-	-	-	01	2.57	-	-	01	2.57
6.	पुलिस	01	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.08
7.	मत्स्यपालन	01	1.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	1.28
8.	राजस्व	-	-	-	-	01	0.31	-	-	-	-	01	0.02	02	0.33
9.	गृह रक्षा	-	-	-	-	02	25.37	-	-	-	-	01	0.05	03	25.42
10.	पशुपालन	-	-	-	-	01	0.17	-	-	-	-	02	0.93	03	1.10
11.	आयोजना निदेशक	-	-	01	2.97	-	-	-	-	-	-	-	-	01	2.97
12.	स्वास्थ्य	-	-	01	0.95	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.95
13.	वन	01	0.63	-	-	01	2.38	-	-	-	-	02	0.40	04	3.41
14.	लोक निर्माण	-	-	-	-	02	5.27	05	3.21	01	0.55	07	2.14	15	11.17
15.	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	-	-	01	0.89	02	0.27	02	7.75	-	-	-	-	05	8.91
	योग:	06	6.08	07	10.48	10	42.97	09	12.51	02	3.12	13	3.54	47	78.70

सी: मामलों की संख्या

ए: राशि (₹ लाख में)

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4; पृष्ठ: 47)

सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागबद्ध/श्रेणीबद्ध ब्यौरा

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
शिक्षा	02	1.60	01	1.88	03	3.48
ग्रामीण विकास	02	4.68	00	00	02	4.68
कृषि	00	00	02	9.46	02	9.46
भू-राजस्व	00	00	01	2.57	01	2.57
उद्यान	01	0.06	02	2.83	03	2.89
मत्स्यपालन	01	1.28	00	00	01	1.28
पुलिस	00	00	01	0.08	01	0.08
राजस्व	01	0.31	01	0.02	02	0.33
गृह रक्षा	00	00	03	25.42	03	25.42
पशुपालन	01	0.17	02	0.93	03	1.10
आयोजना निदेशक	01	2.97	00	00	01	2.97
स्वास्थ्य	00	00	01	0.95	01	0.95
वन	00	00	04	3.41	04	3.41
लोक निर्माण	02	0.77	13	10.40	15	11.17
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	01	0.25	04	8.66	05	8.91
योग:	12	12.09	35	66.61	47	78.70

परिशिष्ट-4

शब्दावली

क्रम संख्या	शब्द	विवरण
1.	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था शामिल है जिसे राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों अर्थात् सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन संस्था तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आदि हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के लिए प्राधिकृत किया जाता है।
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की कुल आय अथवा श्रम का उपयोग करके तथा अन्य चालू कीमतों पर अन्य सभी कारकों से उत्पन्न हुई वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात मूल अस्थिरता में दिए गए परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय अस्थिरता की अनुक्रियाशीलता की मूल्य-सापेक्षता अथवा अवस्था को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्प्लावकता का अर्थ है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत तक वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति 0.6 प्रतिशत बिन्दुओं तक वृद्धि की ओर अभिमुख होगी।
4.	विकास व्यय	व्यय के आंकड़ों को विकास एवं गैर-विकास व्यय में विश्लेषित किया गया है। राजस्व लेखों, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बद्ध समस्त व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं विकास व्यय का निर्माण करती है जबकि सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को गैर-विकास व्यय के रूप में निरूपित किया जाता है।
5.	ऋण धारणीयता	ऋण धारणीयता को एक समयावधि में स्थिर ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात का अनुरक्षण करने के लिए राज्य की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है तथा इसकी ऋण व्यवस्था करने की क्षमता के बारे चिन्ता भी अभिव्यक्त करती है। इसलिए ऋण धारणीयता चालू अथवा वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल सम्पत्तियों की पर्याप्तता तथा ऐसे उधारों से होने वाली आय के साथ अतिरिक्त उधारों की लागतों के मध्य संतुलन रखने के लिए क्षमता का उल्लेख भी करती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का ऋण सेवा के लिए क्षमता में वृद्धि के साथ मेल होना चाहिए।
6.	गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	वृद्धिशील ब्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता को आवृत्त करने के लिए है। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता था यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियां वृद्धिशील ब्याज भार तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।
7.	उधार निधियों की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों के प्रति ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है तथा उस सीमा को इंगित करता है जिसके लिए ऋण प्राप्तियों का निवल उधार निधियों की उपलब्धता दर्शाते हुए ऋण विमोचन में उपयोग किया जाता है।
8.	गैर-ऋण प्राप्तियां	वृद्धिशील ब्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता को आवृत्त करने के लिए है। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता है यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियां वृद्धिशील ब्याज भार तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।
9.	गारंटियां	कर्जदार, जिसकी गारंटी दी गई है, द्वारा चूक के मामले में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2016
www.cag.gov.in

www.aghp.cag.gov.in